लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं]
Vol. LII contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29—सोमवार, 28 मार्च, 1966/7 चैत्र, 1888 (शक)

No. 29—Monday, March 28, 1966/Chaitra 7, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
802	जवानों के परिवारों को सहायता	Assistance to Jawans' Families .	5659–61
803	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी	Hindi in Indian Embassies Abroad	5661–63
804	ब्रिटिश गिआना	British Guiana	5663–66
806	अखबारी कागज	Newsprint	5666–70
807	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये विचार-विमर्श की व्यवस्था	Negotiating Machinery for Civilian Defence Employees . .	5670–72
808	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश	Earned Leave to Employees in Defence Establishments . .	5672–73
809	नैट विमानों के पुर्जे	Components for Gnat Aircrafts .	5673–75
813	टेलीविजन का विकास	Development of Television . .	5675–77
अ० स० प्र० सं० S. N. Q. Nos.			
13	लापता सैनिक कर्मचारी	Missing Army Personnel . .	5677–79

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.			
805	जंजीबार में भारतीय उद्भव के लोग	People of Indian Origin in Zanzibar	5679
810	सीमान्त मोर्चों पर प्रतिरक्षा कर्मचारियों की समस्याओं का अध्ययन	Study of Problems of Defence Personnel in Forward Areas . .	5680
811	आकाशवाणी से फार्म सम्बन्धी गोष्ठी कार्यक्रम	A.I.R. Farm Forum Programme .	5680
812	आवडि डिपो	Avadi Depot	5680–81
814	जंगी जहाजों का निर्माण	Manufacture of War Ships .	5681
815	सैंसर व्यवस्था विनियमों में ढील	Relaxation of Censorship Regulations	5681

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
816	वियतनाम	Vietnam . . .	5681–82
817	नेताजी जयन्ती	Netaji Jayanti . .	5682
818	कारतूसों की कमी	Scarcity of Cartridges . .	5682
819	सिक्किम के चोग्याल और ग्यालमो की यात्रा	Visit of Chogyal and Gyalmo of Sikkim	5682–83
820	तटस्थ राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन	Summit Conference of Non-Aligned Nations . . .	5683
821	मिजो पहाड़ी जिले में हुए दंगों के बारे में पाकिस्तान द्वारा रेडियो प्रसारण	Radio Broadcasts from Pakistan on Disturbances in Mizo Hill District	5683–84
822	विदेशी भाषाओं का ज्ञान	Knowledge of Foreign Languages	568 4
823	जबलपुर के आयुध कारखाने	Ordnance Factories at Jabalpur .	5684
824	एव्रो-748 विमानों का निर्माण	Manufacture of AVRO-748 Planes	
825	श्री लंका में उपद्रव	Disturbances in Ceylon . .	5685
826	चन्दा समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन	Interim Reports of Chanda Committee	5685–86
828	भारत और पाकिस्तान के वायु-सेनाध्यक्षों की बैठक	Meeting of Indo-Pak. Air Force Chiefs	5686
829	छम्ब जोरियां क्षेत्र से सेनाओं की वापसी	Withdrawals from Chhamb Jaurian Areas	5686–87
830	मिजो विद्रोहियों द्वारा सेना के एक हैलीकौपटर पर गोली चलाया जाना	Shooting at an Army Helicopter by Mizo Hostiles . . .	5687
831	छावनी बोर्ड कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Cantonment Board Employees	5687

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2885	अन्तरिक्ष किरण सम्बन्धी अनुसंधान	Research in Cosmic Rays . .	5687–88
2886	सेना के जवानों की विधवाओं के लिये संस्था	Institute for Jawans' Widows .	5688
2887	खेमकरण क्षेत्र में शहीद हुए जवानों के लिये स्मारक	Memorial to Heroes of Khem Karan	5688
2888	मैसूर में पंचायतों के लिये रेडियो सेट	Radios for Mysore Panchayats .	5688–89
2889	मैरीन डीजल इंजन फैक्टरी	Marine Diesel Engine Factory .	5689
2891	भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि	Lands for Ex-Servicemen .	5689–90

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2892	प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries under Defence Ministry . . .	5690
2893	वाणिज्य प्रतिनिधि	Trade Representations . .	5690–91
2894	परीक्षण राकेटों के लिये भारयोगों (पे लोडस) का निर्माण	Manufacture of Payloads for test Rockets	5691
2895	सस्ते रेडियो सेटों का निर्माण	Manufacture of Cheap Radio Sets	5691
2896	सीलोन रेडियों से प्रसारित फिल्मी गानों पर रायल्टी	Royalty for Film Songs to Ceylon Radio	5691–92
2897	नेपाल में भारतीय नागरिकों की भूमि का जब्त किया जाना	Confiscation of Land of Indian Nationals in Nepal . ,	5692
2898	सेवा निवृत्त सैनिकों को नागरिक सेवाओं में नौकरी देना	Employment of Retired Military Personnel in Civil Services .	5692–93
2899	बृज क्षेत्र में ट्रान्समिटर	Transmitter in Braj Area . .	5693
2900	चीन द्वारा मारे गये भारतीय जवान	Indian Jawans killed by China .	5693
2901	विचाराधारा डिवीजन	Ideology Division . .	5693–94
2902	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष	International Co-operation Year .	5694
2903	सीमा के साथ साथ सुरक्षा पट्टी	Safety-Belt along the Border	5694
2904	अज्ञात विमान	Unidentified Planes .	5695
2905	चुनौती का मुकाबला करो प्रदर्शनी	Meet the Challenge Exhibition .	5695
2906	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोली बारी	Firing by East Pakistan Rifles ,	5695–96
2907	पाकिस्तान के लिए पासपोर्ट	Passports for Pakistan . .	5696
2908	मंगोलिया में रिहायशी (रेजिडेंट) मिशन	Resident Mission in Mangolia	5696
2909	श्रीलंका में भारतीय नागरिक	Indian Citizens in Ceylon .	5696
2910	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	Air Space Violations by Pakistan .	5697
2911	मुक्त कराये गये क्षेत्र में सुरंगों (माइन्स) को हटाना	Clearing of Mines in Liberated Areas . . .	5697
2912	पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों को रेडियो सेट	Radio Sets to Rural Areas in Punjab	5697
2913	आकाशवाणी केन्द्र, सम्बलपुर	A.I.R. Station, Sambalpur . .	5698
2914	भारी पानी निर्माण संयंत्र	Heavy Water Manufacturing Plant	5698
2915	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में किराये पर ली गई असैनिक मोटर-गाड़ियां	Civil Vehicles hired during Indo-Pak. Conflict	5698–99

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2916	स्वर्गीय प्रधान मंत्री के निधन पर झंडों का न झुकाया जाना	Flags not Flown at Half-Mast on Late Prime Minister's death .	5699–5700
2917	भारतीय सेना में गोरखों की भर्ती	Enrolment of Gurkhas in Indian Army	5700
2918	संयुक्त राष्ट्र संघ की आयव्ययक समिति का प्रस्ताव	N. Budgetary Committee's Proposals	5700
2919	अणु शक्ति संस्थान के एक वैज्ञानिक द्वारा आत्महत्या	Suicide by a Scientist of Atomic Energy Establishment . .	5700–01
2920	पाकिस्तान पर चीन का दबाव	Chinese Pressure over Pakistan .	5701
2921	कलकत्ता में अधिगृहीत प्लाट की वापसी	De-Requisition of a plot in Calcutta	570
2922	राष्ट्रीय सेना छात्र दल के कैडेटों के भोजन में विष	Poison in Food of N.C.C. Cadets .	5701–02
2923	राकेटों का निर्माण	Manufacture of Rockets . .	5702
2924	शिलांग और पासीघाट में नये ट्रान्समिटर	New Transmitters in Shillong and Pasighat	5702
2925	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा	National Defence Academy Examination	5702–03
2926	प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	Defence Research and Development Organisation . .	5703
2927	बर्मा में मिजो शरणार्थी	Mizo Refugees in Burma . .	5704
2928	बर्मा से वापस आने वाले भारतीयों की आस्तियां	Assets of Indian Repatriates from Burma	5704
2929	विदेशों में भारतीय दूतावास में पुस्तकालय	Libraries in Indian Missions Abroad	5704
2930	प्रतिरक्षा संस्थानों में अपर डिविजन क्लर्कों तथा लोअर डिविजन क्लर्कों का अनुपात	Ratio of U.D.Cs to L.D.Cs in Defence Establishments . .	5705
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
श्री अ० क० गोपालन का स्वास्थ्य —		Health of Shri A. K. Gopalan—	
डा० राम मनोहर लोहिया		Dr. Ram Manohar Lohia .	5726
श्री नन्दा		Shri Nanda . . .	5726–27
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में—		Re: Motions for Adjournment and Calling Attention Notices—	
बस्तर की घटना		Bastar Incident . . .	5705–11
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table . .	5711–12

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
कनाडा द्वारा दी जाने वाली खाद्य सहायता के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Food Aid by Canada—	
श्री चि० सुब्रमण्यम	Shri C. Subramaniam .	5712
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद, सम्बन्धी उप-समिति का प्रतिवेदन	Report of Sub-Committee on Defence Research and Development Laboratory, Hyderabad .	5712
पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में	Re: Statement on Food Situation in West Bengal . . .	5712–13
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	Twenty-first Report . .	5713
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting—	
श्री दि० सि० चौधरी	Shri D. S. Chaudhri . .	5713–14
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	5714–15
श्रीमती मैमूना सुल्तान	Shrimati Maimoona Sultan .	5715–1
श्री अन्सार हरवानी	Shri Ansar Harvani . .	5716–17
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	5717
श्री काशीनाथ दुरै	Shri Kasinath Dorai .	5718
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	5718–20
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	5720–21
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	5721–22
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya . .	5722–23
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattnayak .	5723–24
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta .	5724
श्री ह० च० सोय	Shri H. C. Soy . .	5724–25
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	5725
श्री अ० ना० विद्यालंकर	Snri A. N. Vidyalankar	5725–26
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi . .	5727
श्री बासप्पा	Shri Basappa .	5727–28
श्री वाल्मीकी	Shri Balmiki . . .	5728–29
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachavaiya	5729
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur . .	5729–34
प्रतिरक्षा मंत्रालय—	Ministry of Defence—	
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh .	5735

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 28 मार्च, 1966 / 7 चैत्र, 1888 (शक)

Monday, March 28, 1966/Chaitra 7, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : हमें थोड़ा विलम्ब हो गया है ।

श्री हेम बरुआ : प्रति दिन आरंभ में ही गणपूर्ति न होने के लिये आपको कुछ कहना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : सभा को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए । यह शोभा की बात नहीं है कि हम 11 बजे के बाद सभा की कार्यवाही आरंभ करें । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे 11 बजे तक सभा में आ जाये ।

Assistance to Jawan's Families

\+
***802. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have issued instructions to State Governments to give sympathetic treatment to the families of soldiers posted in forward areas or injured in the war and remove their difficulties to the maximum possible extent and solve their problems and, if so, the nature thereof ;

(b) whether arrangements have been finalised or are under consideration to look after those families which are either unable or are incapable of meeting the local administrative officials on account of their being illiterate, handicapped or inactive ;

(c) whether any improvement is being made in the official machinery to show liberal and sympathetic treatment to the soldiers and members of their families at Tehsil, District, and other administrative levels ; and

(d) the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes, Sir.

(b) The local authorities including Village Panchayats and Block Development Officers through their State Governments have been requested to look after the problems of such families.

(c) and (d). Yes, Sir. The welfare of the families of serving and ex-Service personnel is normally looked after by the DSS&ABs. However, to strengthen and assist this Organisation in its work, Government have sanctioned on long term basis the appointment of 4 Liaison Officers at the 4 Army Command Headquarters.

Shri M. L. Dwivedi : Is it a fact that inspite of the provisions of Soldiers' and Sailors' Boards, the State Governments do not pay any attention to the complaints of soldiers at the District and Tehsil levels ? If so, have the Government recently issued a circular to the effect that the State Government should help the soldiers and their families in every respect ? and if so, the result thereof and the states which have accepted it ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हम सैनिकों के परिवारों के लिये कल्याण कार्यों को, विशेष रूप से इस बात को कि अग्रिम क्षेत्रों में तैनात सनिकों के परिवारों की देखभाल की जाये, बहुत महत्व देते है । प्रतिरक्षा मंत्री महोदय स्वयं इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं । इस सम्बन्ध में कई राज्य सरकारों को भी लिखा गया है । मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखे गये हैं । हम उनके परिवारों की देख भाल के लिये यथा संभव प्रयत्न कर रहे है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रक्रिया अनुकूल है ।

Shri M. L. Dwivedi : Are the Soldiers' and Sailors' Boards have become ineffective or they do not work or the State Governments do not care for them and if so, what steps are being taken by the Government to strengthen these Boards ?

श्री अ० म० थामस : इस कार्य के लिये इन बोर्डों के अलावा विभिन्न कमान मुख्यालयों में तीन-चार सम्पर्क अधिकारी भी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री अ० म० थामस : यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सैनिकों के परिवारों की देखभाल का काम एन० सी० सी० के अधिकारियों को सौंपा गया है । वे 4,754 परिवारों के पास गये । सैनिकों के आश्रितों तथा विधवाओं को मिलने वाले लाभ से सम्बन्धित 95 प्रतिशत मामले निपट चुक हैं तथा शेष मामले भी निपटाये जायेंगे जिससे उनके आश्रितों और विधवाओं को लाभ हो सके ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या जवानों के परिवारों में जवानों के वृद्ध तथा असमर्थ मां-बाप भी शामिल हैं, और यदि हां, तो क्या उनके हितों का भी ध्यान रखा जाता है ?

श्री अ० म० थामस : जी हां, तो उनके हितों की देखभाल भी की जाती है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कह दिया है कि जवानों के परिवारों को कम से कम कितनी सहायता दी जाये क्योंकि इस समय विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाने वाली सहायता में अन्तर होने से जवानों में असंतोष है ?

श्री अ० म० थामस : यह सच है कि इस समय दी जाने वाली सहायता में अन्तर है किन्तु जवानों के परिवारों के कल्याण कार्य के बारे में राज्य सरकारों तथा जिला अधिकारियों के दृष्टिकोण में अवश्य परिवर्तन हुआ है। जनता भी इस मामले में जागरूक है जिसका अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स तथा सेलर्स बोर्डों में इस समय असैनिक अधिकारी भी है, और यदि हां, तो क्या उनके द्वारा अथवा जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा कोई जांच की गई है ?

श्री अ० म० थामस : जांच करने की इन बोर्डों की अपनी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त कल्याण अधिकारी हैं। हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय से उनके परिवारों की देख भाल करने के लिये कुछ सेवानिवृत अधिकारी, मेजर, कप्तान आदि नियुक्त किये गय हैं।

Hindi in Indian Embassies Abroad

+

*803. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri P. C. Borooah :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether instructions have been issued to the Indian Embassies abroad to work in Hindi, the Official Language as accepted in the constitution ; and

(b) whether work in Hindi has been started in any Indian Embassy ?

वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विदेश-स्थित हमारे मिशनों को सूचित कर दिया गया है कि 26 जनवरी, 1965 से, संविधान के अंतर्गत, हिन्दी संघ की राजभाषा बन गई है और उसी तारीख से अंग्रेजी के साथ-साथ इसका उपयोग पत्र व्यवहार करने के लिए किया जा सकता है और अगर कोई सरकारी कर्मचारी फाइलों पर नोट लिखने में इसका उपयोग करना चाहे तो कर सकता है।

(ख) हमारे किसि भी मिशन ने अभी तक पूरी तरह से हिन्दी में काम करना शुरु नहीं किया है। लेकिन हमारे कुछ मिशन सिमित रूप में हिन्दी का उपयोग कर रहे है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Have we started correspondence in our own language with the countries who use their own language in correspondence or still we are using English for the purpose ?

Shri Swaran Singh : We are still using English in correspondence but the Warrant of Appointment of our embassadors in foreign countries is in Hindi which are signed by me in Hindi as well.

Shri Bhagwat Jha Azad : Have you intimated them that Hindi has become our National language with effect from this particular date and have they also been instructed to use Hindi at least in these two matters ?

Shri Swaran Singh : I could not do it so far.

Shri M. L. Dwivedi : Do our ambassadors abroad feel difficulty in reading or understanding the Constitution of India and if not why they are unable to use Hindi in their noting etc. Why Government do not instruct them in this respect. Are the Government unable to do so and what are the reasons for delay ?

Shri Swaran Singh : The reasons for delay in the use of Hindi in External Affairs Ministry are the same as are in other departments. It is more difficult to use Hindi in foreign countries because in the international life the use of more popular language in that country is more advisable.

श्री स० चं० सामन्त : क्या हमारे कुछ दूतावासों में हिन्दी स्टेनोग्राफर और हिन्दी के टाइपराइटर हैं ?

श्री स्वर्णसिंह : मुझे इसके लिये समय चाहिए क्योंकि मेरे पास इस समय ब्यौरा नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या हमारे दूतावासों में हिन्दी एकक हैं, और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये चालू वर्ष के आयव्ययक में क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास जानकारी नहीं है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Do the majority of Ambassadors sent abroad know Hindi or not ?

Shri Swaran Singh : Ambassadors already appointed are expected to learn Hindi but no preference is given to Hindi while making appointment.

Shri Tyagi : Is the hon. Minister aware that Russians do not like the correspondence of our embassy there in English and they continue to stress that the medium of talks in that country should be Hindi. May I remind the hon. Minister that at the time of Mr. Khruchev's visit to India, late Pandit Jawahar Lal Nehru asked that all the cautions of Guard of Honour should be translated into Hindi and that was done within two hours. Keeping in view of these facts have the Government made any arrangements to have talks in Hindi with Russians ?

Shri Swaran Singh : I agree that English is not the language of Russia and several other countries and they expect that we should speak with them in our own language and also should make some such arrangement to make them understand our language. Our late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri on his visit to Russia delivered his several speeches in Hindi and they had arrangements for it. We have one interpreter there who can translate from Hindi into Russians and his services were also utilised on several occasions.

Shri Yashpal Singh : May I know the number of credentials and certificate which are prepared in English and Hindi respectively ?

Shri Swaran Singh : I have so far signed 25 or 30 and these were all in Hindi, I agree that I do not know Hindi but I singed all of them in Hindi.

Shri Rameshwar Tantia : Is the medium of correspondence between our embassies abroad and the Ministry of External Affairs English or Hindi ?

Shri Swarna Singh : English.

श्री रंगा : क्या हम यह समझें कि यदि यही प्रक्रिया अपनाई गई तो, हिन्दी न जानने वाले लोगों को विदेशों में स्थित हमारे राजदूतावासों तथा प्रतिनिधि मंडलों में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा नहीं होगा । गृह-कार्य मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री जी इस सम्बन्ध में कई बार स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में तथा सरकारी सेवा में काम करने वाले व्यक्तियों को हिन्दी न जानने अथवा अच्छी तरह हिन्दी का ज्ञान न होने के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ेगी और इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि उन्हें किसी प्रकार की हानि न हो । यह बिल्कुल अलग बात है कि हम उनसे हिन्दी सीखने की आशा करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस उत्तर से एक प्रश्न पैदा होता है जिसे मैं पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने दूसरा प्रश्न पूछने को कह दिया है । यदि माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वे आधे घंटे की चर्चा उठा सकते हैं । (**अन्तर्बाधा**)

श्री रंगा : दल के नेता को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा रही है जब कि सभा में सभी प्रकार के प्रश्न पूछने तथा मामले उठाने की अनुमति दी जाती है । मैं अपनी ओर से किसी प्रकार के सहयोग का वचन नहीं दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुकर्जी का सभी तरह से आदर करता हूं । मैं ऐसा नहीं करता किंतु जब कोई सदस्य उठ गये, तो मैंने अगला प्रश्न पूछने के लिये कह दिया ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं इस बात को नहीं भूल सकता हूं कि यहां पर भेद भाव का बर्ताव किया जाता है । यदि हम अध्यक्षपीठ के प्रति नम्र रहें तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है ।

ब्रिटिश गिआना

+

*804. **श्री मधु लिमये** :

श्री किशन पटनायक :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश गिआना 26 मई, 1966 को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा जिस में विदेशी नीति और प्रतिरक्षा पर नियंत्रण भी शामिल होगा; और

(ख) क्या स्वतंत्रता संधि के अंतर्गत ब्रिटिश गिआना के सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार मिल जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 2 से 19 नवम्बर 1965 तक लंदन में आयोजित ब्रिटिश गियाना संवैधानिक सम्मेलन की समाप्ति पर ब्रिटिश उपनिवेश सचिव ने यह

घोषणा की थी कि ब्रिटिश गियाना के स्वतंत्र संविधान के स्वरुप पर समझौता हो गया है "जिस में प्रभुसत्तात्मक लोकतंत्र राज्य की व्यवस्था है और उसका गवर्नर जनरल महारानी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"

आजादी के बाद, ब्रिटिश गियाना को गुयाना कहा जाएगा।

हालांकि संविधान का मसौदा अभी बनाया जा रहा है, फिर भी, यह आशा की जाती है कि गुयाना का स्वतंत्र राज्य अपनी विदेश और रक्षा संबंधी नीतियों पर नियंत्रण रखेगा।

(ख) लंदन संवैधानिक सम्मेलन में संविधान के जिस मसौदे पर विचारविमर्श किया गया, उसके दूसरे अध्याय में ब्रिटिश गियाना में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों को समान अधिकार दिए जाने की व्यवस्था है।

Shri Madhu Limaye : Is it a fact that the biggest party of Guiana led by Dr. Cheddi Jagan had bycotted the confernce held to consider the independence of Guiana because inspite of securing 46 per cent votes by them in the election,a voting system was adopted to crush them so that the interest of the majority should be put to an end, and if so, have the Government of India had any consultations in this regard with British Government?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि अनुपातीय प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत दिसम्बर, 1966 में हुए पिछले आम चुनावों में पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी को सब से अधिक मत अर्थात् 45.8 प्रतिशत मत और 24 स्थान प्राप्त हुए। पीपुल्स नेशनल कांग्रेस तथा युनाइटेड फोर्सेज ने मिल कर 53 मतदान किया और क्रमशः 22 और 7 स्थान प्राप्त किये। हम यह भी जानते है कि प्रोग्रेसिव पार्टी ने, जिसके नेता डा० छेदी जगन हैं, संवैधानिक सम्मेलन में भाग नहीं लिया। जहां तक मिली जुली सरकार सरकार बनाने का सम्बन्ध है, यदि दोनों पार्टियां मिल जायें तो उनका बहुमत हो जायेगा। यह सच है कि हम इस प्रकार की अनुपातीय प्रतिनिधित्व के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि इससे जाँति के आधार पर जनता का विभाजन होता है। ब्रिटिश सरकार वहां पर यही नीति अपना रही है। हम सदा यह बात कहते रहे हैं कि यह लोकतंत्रीय पद्धति के अनुकूल नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Sir, will the Independence which Guiana is going to achieve will be incomplete? Is it not a fact that English people want to keep them forces in order to protect their capital and other economic interests. Their intention is to continue the slavery in new form.

श्री स्वर्ण सिंह : संवैधानिक उपबन्धों के ब्यौरे पर टिप्पणी करना मेरे लिये बहुत कठिन है। हमें इस बात को समझना चाहिये कि यह मामला अनिवार्य रुप से वहां के लोगों, ब्रिटिश गिआना की सरकार तथा ब्रिटिश सरकार का आपसी मामला है। ब्रिटिश सरकार वहां औपनिवेशिक शक्ति है और हम सदा हर रूप में औपनिवेशवाद को खत्म करने के लिये कार्य करते रहे हैं। नये संविधान के वास्तविक ब्यौरे के संबंध में, यह अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक शक्ति तथा सम्बन्धित उपनिवेशों के लोगों के प्रतिनिधियों का आपसी मामला है।

Shri Kishen Pattnayak : It has been the policy of British imperialism to sow the seeds of communal hatred and these weaken the future of any country, before leaving it. India has a very bitter experience in this regard . So in view of this background I want to know whether our Government have advised or suggested some ways to the people of Guiana to safeguard them selves against this danger ?

Shri Swaran Singh : I think it would be much better that the people of Guiana be given a chance to think for themselves. It should be left to them to decide as to what they want and in what form they want it. We can express our opinion no doubt, but it is not our policy to interfere in the internal affairs of others.

श्री कपूर सिंह : ब्रिटिश गियाना में रहने वाले भारत मूलक लोगों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश गिआना में चुनाव के समय गये प्रेक्षक दल के साथ हमारे एक सहयोगी-एक माननीय संसद सदस्य गये थे। उन्होंने तथा दल के प्रधान श्री टेकचन्द ने जोकि भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, ब्रिटिश गिआना के लोगों के साथ सांस्कृतिक संबन्ध सुदृढ़ करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं, हालांकि यह कार्य उन के कार्य क्षेत्र से बाहर था। हम इस दशा में कुछ कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी मौके पर, इस संवैधानिक सम्मेलन से पहले अथवा इस के बाद में ब्रिटिश सरकार ने अथवा बहुमत के दल के नेता के रूप में डा० चेड्डी जगन ने, राष्ट्रमंडल के सदस्य के नाते भारत सरकार से शक्ति के हस्तान्तरण के किसी पहलू के बारे में, कभी कोई परामर्श किया है, और यदि हां, तो किन बातों पर सलाह ली गई थी तथा क्या सलाह दी गई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : वे अभी राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं है, क्योंकि वे राष्ट्रमंडल के सदस्य तभी होंगे, जब वे स्वतंत्र हो जायें अथवा कम से कम अधिराज्य (डोमिनियन) बन जायें। इस लिये इस बारे में परामर्श लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम वहां के लोकमत तथा दोनों दलों से सम्पर्क बनाये हुये है। हमारा दृष्टिकोण केवल जातिय नहीं है। सभा को याद होगा कि कुछ वर्ष पहले वहां के वर्तमान प्रधान मंत्री एवं सरकार के नेता श्री बरनहाम तथा श्री चेड्डी जगन दोनों यहां आये थे। यह स्वाभाविक है कि वहां जो भी सरकार हो हम उसके साथ संबंध बनाये रखें तथा उस समस्या को उसी पहलू से देखें। जब कभी कोई मूलभूत प्रश्न होता है जिस पर हमें अपनी राय व्यक्त करनी होती है तो हमें अपनी राय व्यक्त करनी चाहिये और हमने अपनी राय स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : महोदय, मैं आशा करता हूं कि दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के नाम पर हमारी सरकार ने साम्राज्यवाद विरोधी तथा औपनिवेशवाद विरोधी रवैया को नही छोड़ा है, जोकि हमारी नीति का परंमपरागत अंग रहा है। यदि उन्होंने इसे छोड़ दिया है तो यह बिल्कुल अलग बात है। यदि उन्होंने इसे नही छोड़ा है तो मधु लिमये तथा श्री किशन पटनायक द्वारा पूछे गये प्रश्न को देखते हुये जिनको कि उन्होंने गलत नही बताया है, बल्कि कहा है कि वहां ऐसे तत्व विद्यमान थे, मैं जानना चाहता हूं कि इस औपनिवशवाद विरोधी मामले को ब्रिटिश सरकार के साथ क्यों नहीं उठाया गया, जब कि ब्रिटेन और भारत राष्ट्र मंडल के सदस्य है, जिसे एक संघ समझा जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि किसी आश्वासन की आवश्यकता हो तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम हर प्रकार के तथा हर रूप में संसार के किसी भी भाग में औपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी दृढ़ नीति पर अडिग है, चाहे वह औपनिवेशिक शक्ति ब्रिटन हो अथवा अन्य कोई देश। इसबात में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात संविधान के कुछ पहलूओं पर जिसके आधार पर शक्ति का हस्तान्तरण किया जायेगा, ब्रिटिश सरकार को हमारा मत व्यक्त करने के बारे में है। हम ने समय समय पर

इस बारे में ब्रिटिश सरकार से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अनुपाती प्रतिनिधित्वपद्धति के उपबन्धोंके बारे में भी हमने एक से अधिक अवसरों पर अपना मत सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी इन निर्णयात्मक बातों के बारे में जिन्हें प्राय: शक्ति का हस्तान्तरण करते समय अपनाया जाता है और जिन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों के विभिन्न सम्प्रदायों में हमेशा के लिये घृणा के भाव पैदा हो जाते है, हम ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री हम बरुआ : इस बात को देखते हुये कि भारत को छोड़ कर ब्रिटेन ने जितने भी उपनिवेश को छोड़ा है वहां मूलवंश के आधार पर पृथक्करण का बीज बोने का प्रयत्न किया है, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ब्रिटेन से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह क्यों नहीं कहा कि ऐसी स्थिति में भारत के लिये राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहना संभव नहीं होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है।

श्री हम बरुआ : महोदय, यह अलग प्रश्न कैसे है। यदि हम वास्तव में औपनिवेशवाद का खात्मा करने में विश्वास करते हैं, यदि हम मूलवंश के आधार पर पथक्करण को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें ब्रिटेन को यह अवश्य बता देने चाहिये कि हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनका कि वह बीज बो रहा है तथा इस के परिणामस्वरूप भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं रह सकता।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इन बातों पर विचार करेंगे।

Shri Tulsidas Jadhav : May I know whether Government have issued certain instructions to our ambassador to bring about congenitial relations between the residents of Indian origin in British Guiana and the original inhabitants of that country ?

Shri Swaran Singh : It has always been our desire that the relations between our Indian brethren at a time who are at present the citizens of British Guiana and other residents of that country should be congenitial and that of friendship. We have always been and will always be trying for that.

Newsprint

***806. Shri D. N. Tiwary:** Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in view of the shortage of newsprint, Government have decided to allot more quota of newsprint to the small newspapers and lesser quota to the big newspapers and a larger quota of white printing paper to the big ones ;

(b) whether the big newspapers have requested to reduce the price of white printing paper to some extent ; and

(c) if so, Government's decision thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c). Excise duty has been withdrawn on such white printing paper as is allocated to dailies to make it less expensive for them. No further reduction is at present contemplated.

Shri D. N. Tiwary : May I know the ratio in which newsprint is being supplied to big and small newspapers ?

Shri Raj Bahadur : The newsprint is allotted to the daily paper with a circulation between ten thousand to fifty thousand. The quota of newsprint remained static during the Year 1963-64, 1964-65 and 1965-66. Later on an increase of 20% has been made for daily papers having circulation between ten to twenty five thousand and those daily papers with a circulation between twenty five thousand to fifty thousand were given an enhanced quota of 50% in newsprint and 50% in white printing paper.

Shri D. N. Tiwary : May I know whether Government propose to make some reduction in the price of white printing paper being supplied to small newspapers, keeping in view their economic position ?

Shri Raj Bahadur : White printing paper is not supplied to small newspapers. Newsprint is supplied to them from which duty has been removed.

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हाल ही में कुछ समय पहले कुछ दैनिक समाचार पत्रों का मूल्य 16 पैसे से बढ़ाकर 18 पैसे इस आधार पर कर दिया गया है कि उन्हें अखबारी कागज के स्थान पर सफेद कागज का प्रयोग करना पड़ता है और यदि हां, तो सरकार की समाचारपत्रों के मूल्य में की गई वृद्धि के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राज बहादूर : मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि मूल्य पृष्ठ अनुसूची लागू करने के प्रस्ताव का उद्देश्य एक यह सिफारिश करना भी था कि बड़ समाचारपत्रों के मूल्य में पृष्ठों के आधार पर वृद्धि की जानी चाहिये ताकि अवांछनीय प्रतियोगिता न हो। वास्तव में कुछ सीमा तक इस वृद्धि के कारण उस सिफारिश की पूर्ति की गई है। मेरा कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि उस की पूर्णतः पूर्ति की गई है। मैं कहना चाहूंगा कि समाचारपत्रों के मूल्य पर ऐसा हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

डा० रानेन सेन : उन्होंने अभी कहा है कि यदि समाचारपत्रों के पृष्ठों में वृद्धि होगी, तो मूल्य में भी वृद्धि होगी, परन्तु समाचार पत्रों के पृष्ठों में तो कोई वृद्धि नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि हमारे देश में अखबारी कागज का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे काले बाजार में बेचा जा रहा है तथा ऐसे छोटे समाचारपत्र हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज नहीं दिया जाता जिस का परिणाम यह होता है कि उन्हें अपने समाचारपत्र पूर्णतः काले बाजार की सहायता से चलाने पड़ते हैं और यदि हां तो क्या कोई जांच की गई है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राज बहादूर : सरकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। जब कभी किसी ऐसे मामले की रिपोर्ट की जायेगी तथा उसे स्थापित किया जा सकेगा तो हम निस्संदेह उस समाचारपत्र के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करेंगे। मेरी भी यह भावना है कि अखबारी कागज में चोर बाजारी की जा रही है और कुछ समाचारपत्रों के विरुद्ध इस का आरोप लगाया जा रहा है, परन्तु जब तक हमें तथ्यों की जानकारी न हो.....।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has admitted that there is black market going on in newsprint. I want to know the number of cases

registered on this account during the year so far. May I know whether it is a fact that whereas the number of English papers is less more quota has been allotted to them and whereas the number of Hindi papers in more less quota is allotted to them. What is the reason for this discrimination ?

Shri Raj Bahadur : Firstly there is no discrimination between Hindi papers and English papers. Secondly I am not in a position to indicate the number of cases registered so far on this account, but we have evolved a machinery in the Ministry to examine the circulation of papers and reduction has been made in the allotment of newsprint to newspaper on the basis of their circulation. Due to this sufficient saving has been made during the last three years.

Shri Sheo Narain : The hon. Minister is new to this Department. I want to know whether he will be kind enough to listen to the grievances of newspaper owners ?

Shri Raj Bahadur : Certainly.

श्री श्यामलाल सर्राफ : छोटे समाचारपत्रों के सम्पादकों की समिति द्वारा सरकार को पेश की गई इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुये कि भाषा के छोटे समाचारपत्रों को कागज नहीं दिया जाता और यदि दिया भी जाता है तो बहुत कम दिया जाता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस दशा में क्या कदम उठा रही है और कब तक उस के निष्कर्ष ज्ञात हो सकेंगे ?

श्री राज बहादूर : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है दिवाकर समिति का प्रतिवेदन 9 मार्च को सभा पटल पर रखा गया था। राज्य सरकारों बहुत से अन्य संस्थानों तथा संगठनों से परामर्श करना है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम बिल्कुल समय नष्ट नहीं करेंगे और यथा संभव शीघ्र कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अनसार हरवानी : क्या सरकार को ज्ञात है कि तीन वर्ष पूर्व कलकत्ते का एक बड़ा समाचारपत्र काले बाजार में अखबारी कागज बेचता हुआ पकड़ा गया था और वह मामला पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश पर दबा दिया गया था और यदि हां, तो सरकार का उस के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री राज बहादूर : मुझे इस की जानकारी नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है मैं इस विभाग के लिये नया हूं।

श्री हेम बरूआ : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि कुछ वर्ष पूर्व एक समाचार पत्र को उस के वास्तविक प्रकाशन से पहले ही अखबारी कागज दिया गया था क्योंकि उस समाचार पत्र से कुछ कांग्रेस दल के व्यक्ति सम्बन्धित थ और जो कोटा दिया गया था वह उस समाचार-पत्र की आवश्यकता से अधिक था ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक यह नियम विरोधी कार्य जारी है और यदि हां, तो क्या इसे दूर किया जायेगा ?

श्री राज बहादूर : मुझे इन तथ्यों की अथवा उस उपाक्षेप की बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरूआ : यह कोई उपाक्षेप नहीं है।

श्री राज बहादूर : उन्होंने कांग्रेस दल का नाम लिया है। क्या यह उपाक्षेप नहीं है ? यदि उन्होंने दल का नाम नहीं लिया होता, तो मैं यह बात नहीं कहता। वह इस तरह दल का नाम नहीं ले सकते।

श्री हेम बरूआ : अवश्य ले सकता हूं। वह समाचारपत्र "पैटरियट" है और कांग्रेस दल के कुछ व्यक्ति उस पत्र से सम्बन्धित है और उस समाचारपत्र को वास्तविक प्रकाशन से पहले अखबारी कागज़ दिया गया था तथा जो कोटा उसे दिया गया था वह उस से अधिक था जितने के लिये उन्होंने आवेदन पत्र दिया था।

श्री राज बहादूर : मैं इसे अस्वीकार करता हूं। मुझे किसी ऐसे समाचार पत्र की जानकारी नहीं है, जो कांग्रेस का हो ..... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हेम बरूआ : मैंने यह नहीं कहा कि वह कांग्रेस का पत्र है, मैंने तो यह कहा है कि उस पत्र के साथ कुछ कांग्रेस के लोग सम्बन्धित हैं। उन्हें * * * **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

एक माननीय सदस्य : यह असंसदनीय है।

श्री हेम बरूआ : यह असंसदनीय हो सकता है ..... **(अन्तर्बाधायें)** मैंने यह नहीं कहा कि वह कांग्रेस का पत्र है। यह तो मेरे मुख में शब्द रख रहे हैं..... **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्या कहा था ?

श्री हम बरूआ : मैं ने कहा था ***..... **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री त्यागी : महोदय, क्या मैं आप से प्रार्थना कर सकता हूं कि आप उन्हें उन असंसदीय शब्दों को वापस लेने को कहें ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी माननीय सदस्यों से कहा है कि वे तुरन्त ऐसा निष्कर्ष न निकाला करें।

श्री हेम बरूआ : हमें यह बताने का अधिकार है, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे साथ क्या व्यवहार होता है*** मुझे यह कहने का अधिकार है कि यह ***

अध्यक्ष महोदय : तब तो मुझे आदेश देना होगा कि उन शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने दिवाकर समिति के प्रतिवेदन की जांच तो अवश्य कराई होगी। उस प्रतिवेदन में साक्ष्य के दौरान और सिफारिशों के अन्तर्गत भी यह कहा गया है कि कलकत्ते के एक विशेष समाचार पत्र को, जिसे यहां के एक भूतपूर्व मंत्रीमंडलीय मंत्री ने आरम्भ किया था, आवश्यकता से अधिक अखबारी कागज़ दिया गया था और संभवत: इस का कारण उस के व्यक्तिगत सम्बन्ध थे। उस में यह भी कहा गया है कि कलकत्ते में एक समाचारपत्र को अखबारी कागज़ दिया गया परन्तु बाद में वह कभी नहीं निकाला गया। ये सब मामले दिवाकर समिति के प्रतिवेदन में दिये गये है, जो विचाराधीन है। मंत्री महोदय कहते है कि वह नये हैं अत: उन्हें इन सब बातों की जानकारी नहीं है। उन के अधिकारियों को चाहिये कि वे इन सब बातों से मंत्री जी को सुचित रखे। वे अधिकारी क्या करते हैं ?

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही से निकाला गया।

*** Expunged as ordered by the chair.

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ने उन असंसदनीय शब्दों को निकालने का आदेश दिया है अथवा उन सब बातों को जिन में उन असंसदनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल उन शब्दों को ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार काले बाजार में जाने वाले आवंटित अखबारी कागज पर लगातार एवं प्रभावी रोक रखती है ?

श्री राज बहादूर : जहां तक संभव है हम अधिक से अधिक रोक लगाने का प्रयत्न करते हैं । यदि माननीय सदस्य किसी समाचार पत्र के बारे में कोई यथार्थ मामला बतायें तो हम उस का स्वागत करेंगे और उसकी जांच की जायेगी ।

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन की रोक प्रभावी है ?

श्री राज बहादूर : हमारे पास एक संगठन है जिस के बारे में मैं पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में उल्लेख कर चुका हूं ।

Shri Kashi Ram Gupta : There are small dailis as well as weeklies. The small weeklies complain that justice is not being done to them and specially to those weeklies which are criticising Government, in the allotment of quotas. May I know whether it is a fact ?

श्री राज बहादूर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता । यदि कोई भेदभाव बताया जाय, तो हम अवश्य उस की जांच करेंगे ।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये विचार-विमर्श की व्यवस्था

***807. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये पुनः विचारविमर्श की व्यवस्था आरम्भ कर दी गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इसकी शीघ्र व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क), (ख) तथा (ग) : केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए संयुक्त मन्त्रणा संगठन की विरचना तक के लिए सरकार एक अन्तरिम वार्ता संघ की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय विचार करता रहा है । 21 दिसम्बर 1965 को अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ इस अन्तरिम वार्ता संघ के प्रारूप पर बातचीत की गई थी । उन्हें वह प्रारूप सम्पूर्णतः मान्य न था, और उन द्वारा उठाई गई आपत्तियां सरकार के विचाराधीन हैं । प्रस्तावित प्रारूप के संबंध में वैसी ही बातचीत भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों से भी करने का विचार था । मामला केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त मन्त्रणा संगठन की स्थापना की योजना से संबद्ध है, जो सक्रियता से सरकार के विचाराधीन है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय को शायद पता है कि 1960 की हड़ताल के बाद दण्ड के फलस्वरुप वार्ता संघ की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी । रेलवे और डाक तथा तार

विभाग के कर्मचारियों के मामले में इस व्यवस्था को फिर कायम किया गया था, मैं जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को फिर कायम करने के मामले में प्रतिरक्षा मंत्रालय इतनी लम्बी इन्तजार क्यों कर रहा है और संयुक्त मंत्रालय संगठन की विरचना की प्रतीक्षा क्यों कर रहा है।

श्री अ० म० थामस : यह सच है कि 1960 की हड़ताल के फलस्वरूप मज़दूर संघों की मान्यता छीन ली गई थी और वार्ता संघ व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई थी। तत्पश्चात सरकार इस मामले की ओर ध्यान देती रही है। वास्तव में विभिन्न मंत्रालयों से विचार विमर्श करके हमने एक प्रारुप भी तैयार करवाया है जिस के सम्बन्ध में अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के, श्री बनर्जी स्वयं जिस के प्रधान हैं, प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जा चुकी है।

वास्तव में इस बात चीत के पश्चात्, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाये हैं जिनके बारे में गृहकार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से अग्रेतर विचार विमर्श करना पड़गा। इस प्रारुप में गंभीर रुप से परिवर्तन करना संभव नहीं है क्योंकि गृह कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श करके उसे अन्तिम रुप दे दिया गया है। अब विलम्ब का कारण मुख्यतः यह है कि उन्होंने कुछ संशोधन करने के सुझाव दिये हैं और हम अन्य संघों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत नहीं कर पाये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि अधिकांश विवादास्पद मामले सुलझाये जा चुके हैं और अब केवल थोड़ा सा मतभेद रह गया है जिसे किसी विशेष वार्ता के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह मामला गृह कार्य मंत्रालय को दुबारा क्यों सौंप दिया गया है और क्या यह सच है बैडमिंटन की चिड़िया की भांति वह गृह कार्य मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय के बीच चक्कर काट रहा है और उसके पश्चात बिना किसी सुझाव के प्रतिरक्षा मंत्रालय में वापस आ रहा है ? इस मामले को अन्तिम रूप कब तक दिये जाने की संभावना है ?

श्री अ० म० थामस : यह कहना कि अधिकांश मामले निबटाये जा चुक हैं, पूर्णतया सच नहीं है। वास्तव में महत्वपूर्ण मामले उठाये गये हैं ; एक प्रश्न यह है कि बाहर वालों को संस्थाके पदाधिकारियों के रुप में अनुमति देने का है; दूसरा यह है : अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय के लिये विषय और क्या स्वैच्छिक मध्यस्थ निर्णय उपलब्ध होगा; ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अतिरिक्त, जब कि गृह कार्य मंत्रालय एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जो न्यायोचित ढंग में सभी मंत्रालयों पर लागू होगी और निकट भविष्य में उसे सुलझाये जाने की कुछ संभावना है तो ऐसी स्थिति में गृह-कार्य मन्त्रालय की सिफारिशों की भी हमें प्रतीक्षा करनी है।

Shri Yashpal Singh : If the Ministry of Defence do not take a prompt decision; who else will then take it?

श्री अ० म० थामस : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने स्वतः सक्रिय रुपसे रुचि ली है और उसकी यह इच्छा रही है कि इस वार्ता संघ की पुनर्स्थापना की जाये। हम काफी चिंतित हैं, किन्तु जैसा मैंने कहा अन्य परिस्थितियों के कारण इस मे विलम्ब हो गया है। हम यथाशीघ्र इसे अन्तिम रुप देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में आयुध तथा अन्य कारखानों में काम करने वाले हजारों प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों ने अधिकारियों के समक्ष पिछले तीन-चार वर्षों से अपनी शिकायतें रखी हैं। क्या उनकी शिकायतें अन्तिम रुप से दूर कर दी गई हैं, विशेषतः क्या उनमें से सभी व्यक्तियों को असैनिक प्रतिरक्षा सेवा की स्थायी पदाली में रख दिया गया है और यदि नहीं, तो ऐसा किये जाने की कितनी जल्दी संभावना है ?

श्री अ० म० थामस : संसद सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समिति में भी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब प्रस्तावित अन्तरिम व्यवस्था तथा 1960 से पहले विद्यमान विचार-विमर्श की व्यवस्था के बीच किन-किन मूल बातों का अन्तर है ?

श्री अ० म० थामस : भूतपूर्व योजना के अधी स्वैच्छिक मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था थी, वर्तमान योजना के अन्तर्गत, वेतन तथा भत्ते, साप्ताहिक काम के घंटे, कर्मचारियों की श्रेणी अथवा वर्ग की छुट्टियां आदि सम्बन्धी विषयों पर अनिवार्य मध्यस्थ निणय विचार करेगा। केवल ऐसे मामले ही मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपे जायेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the steps being taken by the Government in order to avert all kinds of strikes resorted to by employees working under the Ministry of Defence ? As the hon. Minister stated that the suggestions were under consideration, may I know the time by which a final decision would be taken ?

श्री अ० म० थामस : कोई भी हड़ताल न होने की स्थिति में उसका श्रेय सरकार तथा कर्मचारी, दोनों ही पक्षों को मिलता है।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उपर्जित अवकाश

+

*808. **श्री यशपाल सिंह :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी : **श्री किशन पटनायक :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों को उपर्जित अवकाश संबंधी 8 मार्च 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 746 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : 8 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 746 के उत्तर देते समय से अब तक स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया।

यह एक व्यापक इशु है। असैनिक पक्ष में जब आदेश जारी हो जायेंगे, उन आदेशों को रक्षा संस्थानों पर लागू करने पर भी विचार किया जाएगा।

Shri Yashpal Singh : May I know the difficulties Government are faced with and as are coming in the way of arriving at a final decision ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक दूसरा वेतन आयोग का सम्बन्ध है, उसकी सिफारिशों का सम्बन्ध औद्योगिक कर्मचारियों तथा इस से भिन्न श्रेणी के कर्मचारियों, दोनों से है। औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में, छुट्टियां का हक़ तथा अन्य बातों के बारे में उक्त आयोग ने उदारता बरती है किन्तु जहां तक इससे भिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके मामले में वह कुछ हद तक अनुदार रहा है। इसलिये हमें दोनों ओर विचार करना पड़ता है। वास्तव में, मंत्रिमंडल ने इस प्रश्न पर विचार किया है और यह सोचा है कि फिलहाल यथापूर्व स्थिति कायम रहने दी जाये।

Shri Yashpal Singh : The Government itself is responsible for this delay and the employees are suffering. How long this delaying tactics will continue?

श्री अ० म० थामस : सरकार इसमें विलम्ब नहीं कर रही हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसका प्रभाव केवल प्रतिरक्षा मंत्रालय पर ही नहीं अपितु अन्य मंत्रालयों पर भी पड़ता है। इस मामले में मन्त्रिमंडल ने एक निर्णय किया था । इस सम्बन्ध में हम अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकते।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि वेतन आयोग की सिफारिश को एक पंचाट के रूप में माना गया था ? पांच वर्ष से अधिक समय अब व्यतीत हो चुका है, और वेतन आयोग की लागू सिफारिशों की अवधि भी समाप्त हो गई है। उन सिफारिशों को जब एक पंचाट के रूप में माना गया है, तो फिर वित्त मंत्रालय इस उक्ति से सहमत क्यों नहीं होता। यदि सिफारिशें नहीं मानी जातीं, तो उस स्थिति में एक पंचाट का महत्व क्या रहेगा ?

श्री अ० म० थामस : सामान्यतः वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को हम निश्चित रूप से क्रियान्वित करना चाहेंगे। हम ऐसा कर भी रहे हैं। किन्तु वेतन आयोग ने इस मामले में एक क्षेत्र के साथ तो उदारता बरती और दूसरे क्षेत्र के साथ अनुदारता; अतः कर्मचारियों के एक समूह को खुश करने तथा दूसरे समूह को नाराज करने के बजाये सरकार ने यह सोचा कि यथापूर्व स्थिति बनाये रखने में ही भलाई है।

Shri Rameshwaranand : What is the minimum pay in the Ministry of Defence as compared to other Ministries ?

श्री अ० म० थामस : मैं एकदम नहीं बता सकता।

Shri Tulsidas Jadhav : Temporary recruitment is made in the army. People are recruited during the emergency and they are released afterwards as a result of which they have to face difficulties in the matter of getting re-employment. May I know whether Government have taken some measures to absorb such people ?

श्री अ० म० थामस : एक क्षेत्र में फालतू घोषित किये गये लोगों को हम यथा संभव दूसरे क्षेत्र में खपाने का प्रयत्न करते हैं और कर रहे हैं।

नेट विमानों के पुर्जे

\+

***809. श्री कर्णी सिंहजी :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री हेम बरूआ : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैट विमान बनाने के लिये आवश्यक पुर्जों का संभरण करने हेतु स्वदेशी साधनों का विकास करने के लिये किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में देश कब तक आत्मनिर्भर हो सकता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्राथमिकता तथा लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) तक : नैट विमानों के लिए पुर्जों का बहुत अधिक भाग मदों की संख्या के हिसाब से भारत में ही बनाया जाता है किन्तु कुछ मदें जैसे कि औज़ार तथा अतिरिक्त पुर्जे अभी भी आयात किये

जाते हैं। हिन्दुस्तान इरोनाटिक्स, बंगलौर में विमान के अतिरिक्त पुर्जों के एक डिवीजन की मंजूरी दी गई है। जब इसमें उत्पादन आरम्भ हो जायेगा, आयात किये जाने वाले मदों की संख्या और भी कम हो जायगी। विमान उत्पादन की दिशा में उच्चकोटि की आत्मनिर्भरता लाने के लिए अभी कुछ वर्ष और लगेंगे।

श्री कर्णी सिंहजी : नैट विमान तथा उसके सभी औजारों तथा अतिरिक्त पुर्जों का देश के भीतर ही शतप्रतिशत मात्रा में निर्माण करने में हम कब तक सफल हो जायेंगे ?

श्री अ० म० थामस : इस मामले की ओर निश्चित रूप से हम यथा संभव ध्यान दे रहे हैं। इस प्रश्न का सम्बन्ध नैट विमानों से है, नैट विमानों के मामले में भी 85 प्रतिशत पुर्जे देश में ही तैयार किये जाते हैं; केवल 15 प्रतिशत पुर्जे हम आयात करते हैं। कीमत के हिसाब से 60 प्रतिशत तैयार होते हैं। किन्तु इसका ध्यान भी हमें रखना है कि इसे लाइसेंस देकर बनवाया जा रहा है। फॉलैंड कम्पनी को हमने पहले लाइसेंस दिया। हाकर सिडले एविएशन में अब इसका विलय कर दिया गया है। वास्तव में, जहां तक उनके पुर्जे का सम्बन्ध है, हम संभवत: शतप्रतिशत पुर्जों का निर्माण कर रहे हैं। किन्तु कुछ पुर्जों के निर्माण के मामले में वह कम्पनी स्वत: कुछ दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहती है। उन पुर्जों को हमें आयात करना पड़ेगा। इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

श्री कर्णी सिंहजी : माननीय मंत्री जी को भली भांति विदित है कि जब तक हम एक पेंच का भी आयात करते रहे भारत को दी जाने वाली सहायता के अन्तर्गत उस पेंच का कभी भी रोका जा सकता है और अत्यधिक संकट काल में हमारे सम्पूर्ण हवाई बेड़े को निष्क्रिय किया जा सकता है। क्या इन पुर्जों के उत्पादन के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अ० म० थामस : मैंने आरम्भ में ही कहा था कि वह पहलू हमारे ध्यान में है। इसीलिये मुख्य उत्तर में भी मैंने यह कहा है कि हिन्दुस्तान एइरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में विमान के अतिरिक्त पुर्जों के एक डिवीजन की स्थापना की गई है। जहां कहीं संभव है, हम गैर-सरकारी क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करने के लिये भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। इन में से कुछ पुर्जों जिनका हम आयात कर रहे हैं उदाहरणार्थ वे दूरी मापक उपकरण, रडार रेजिंग उपकरण आदि हैं। मैं नहीं समझता कि गैर-सरकारी क्षेत्र इन पुर्जों के निर्माण करने की स्थिति में है।

श्री हेम बरूआ : इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री विल्सन ने एक वक्तव्य में यह कहा है कि ब्रिटिश सरकार को उलझन में न डालने की दृष्टि से उन्होंने सैनिक विमानों के लिये भारत को फालतू पुर्जों की सप्लाई बन्द कर दी है और उसके पश्चात्, विदेशों से विशेषत: ब्रिटेन से फालतू पुर्जों की सप्लाई बन्द हो गई है; क्या इस मद नैट विमानों का निर्माण रुका पड़ा है ?

श्री अ० म० थामस : जी नहीं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनका निर्माण हो रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नैट विमानों के लिये आयातित ये सहायक उपकरण तथा पुर्जे आर्मस्ट्रांग सिडुले फर्म के साथ किये गये मूल करार की आवश्यक शर्तों के रूप में प्राप्त किये जाते हैं अथवा समय समय पर उन्हें वाणिज्यिक आधार पर खरीदा जाता है और क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् सप्लाई बराबर जारी है अथवा बन्द कर दी गई है ?

श्री अ० म० थामस : हम इन्हें वाणिज्यिक खरीद के आधार पर प्राप्त कर रहे हैं। भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय कुछ अड़चनें थीं क्योंकि इनके लिये लाइसेंस की शर्त रखी गई थी

और लाइसेंसों की मंजूरी लेने में काफी कठिनाई रही है। किन्तु अब, जैसा कि मालूम है, उन्होंने यह प्रतिबंध हटा लिया है, यद्यपि इसके लिये लाइसेंस अब भी जरूरी है।

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Minister has stated that we have to import 15 percent of the accessories and components. May I know whether it is possible to amend the terms and conditions of the contract so as to manufacture them within the country ? I want to know the value of this 15 per cent of the imports as also that of the total number of the accessories and components.

श्री अ० म० थामस : 15 प्रतिशत ही हम कुल आयात करते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया, इन वस्तुओं का निर्माण हमारे सहयोगियों अर्थात् हाकर सिडले फर्म द्वारा भी नहीं किया जाता। ईंधन व्यवस्था से मुख्यतः इसका सम्बन्ध है, जिसे ल्यूकस से खरीदना पड़ता है इसलिये हम इन वस्तुओं को अन्य शर्तों के अधीन प्राप्त करते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : ब्रिटेन से, जिसने पाकिस्तान के समक्ष घुटने टेकने के लिये हमें मजबूर करने की भावना से ऐन मौके पर अपनी सप्लाई बन्द की थी, आयात किये जाने वाले अत्यावश्यक पुर्जों के स्थान पर देश अथवा विदेश से उनके स्थानापन्न पुर्जे प्राप्त करने के प्रयत्नों में हम कहा तक सफल हुये हैं ?

श्री अ० म० थामस : इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि हम कहां तक इसमें सफल हुये हैं। जहां तक कुछ मदों यथा पूरी मापक उपकरण तथा रडार रेंजिग उपकरण का सम्बन्ध है, यदि उनकी सप्लाई बनी रहे तो वह वांछनीय होगी क्योंकि थोड़े से उपकरणों के लिये कारखाना लगाना लाभप्रद नहीं होगा, किन्तु फिर भी हम यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्नशील हैं कि क्या देश के भीतर उनका निर्माण करना संभव हो सकेगा।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या इसकी कारगरता तथा उड़ान की गति को बढ़ाने की दृष्टि से उसके डिजाइन आदि में सुधार करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री अ० म० थामस : विमान काफी हद तक सन्तोषजनक सिद्ध हुआ है, हमारा अनुभव भी यही है। अलबत्ता, इसका निर्माण करते समय, कुछ सुधार अवश्य किये जायेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether payment for the 15 percent of these imports is made in foreign exchange or in some commodity ?

श्री अ० म० थामस : हमें स्टर्लिंग में भुगतान करना पड़ेगा।

टेलीविजन का विकास

\+

*813. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टेलिविजन के विकास की कोई योजना बनाई गई है जिसमे 16 से 18 टेलीविजन केन्द्र और अनेक रिले करने वाले स्टेशन होंगे;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है और इस योजना पर कितना खर्च आयेगा; और

(ग) टेलीविजन केन्द्र कहां स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग) : मामला विचाराधीन है और ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा तथा इस के अन्तर्गत भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को टेलीविजन सेवायें उपलब्ध की जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : हमारे पास तीन प्रस्ताव है जिन में से एक मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है । इस के अनुसार बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा दिल्ली के केन्द्र का विस्तार किया जायेगा तथा यह भी संभव है कि अहमदाबाद तथा श्रीनगर में भी टेलीविजन सेवा का विस्तार किया जा सके । भगवानाथम समिति ने सलाह दी है कि आगामी 10 से 15 वर्षों में 16 स्टेशनों की स्थापना की जानी चाहिये । चंदा समिति ने परामर्श दिया है कि 113 कस्बों तथा लगभग 2 1।2 लाख गांव को इस सेवा के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये । हमें अपनी वित्तीय सीमाओं की दृष्टि में रख कर निर्णय करना होगा कि हम इस मामलों में कहां तक आगे जा सकते हैं ।

श्री प्र० चं० बरूआ : मैं जानना चाहता हूं कि टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के स्थान किस आधार पर चुने जायेंगे; क्या उत्तरपूर्व भारत को भी इस में हिस्सेदार होने का कोई अवसर मिलेगा और यदि हां, तो क्या ?

श्री राज बहादूर : मैं समझता हुं कि चौथी योजना में सम्मिलित किये गये चार केन्द्रों के उपरान्त अगली प्राथमिकता सब राज्यों की राजधानीयों को दी जायेगी तथा प्रत्येक नगर में एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा । इस विशेष मामलों में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा ।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know how television machinery will be manufactured in the country to feed the four stations proposed to be set up in the Fourth Plan and the stations to be set up after that and by what time that would be available and whether that would be sufficient to meet the requirements of the entire population ?

Shri Raj Bahadur : So far as the question of manufacturing machinery for these four proposed centres is concerned, much consultation has been made with the Bharat Electronics Ltd. and the Pilani Institute and they are making effort to manufacture the required machinery in the country itself.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it is not a fact that the requirements of urban population only have been kept in mind under the scheme being drawn up for development of television. If it is not a fact then I would like to know the rural areas likely to be covered by the television service under this programme.

Shri Raj Bahadur : So far as our policy regarding television is concerned we want to introduce it mainly for educational purposes. The Pilani Institute's role is very important in this scheme. Care will be taken to keep this suggestion also in mind, but the centres will be established invariably in some cities where facility of electricity is in existence.

Shri Bhagwat Jha Azad : The point is whether this scheme covers villages also or whether it is for cities only ?

Shri Raj Bahadur : Yes Sir, the Centres of All India Radio also have been set up in cities, but they cover the areas all around them.

Shri Bhagwat Jha Azad : Will this be on the same pattern?

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

Question Hour Over.

Missing Army Personnel

\+

S.N.Q. 13 Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Omkar Singh :**
Shri Buta Singh : **Shri Manoharan :**
Shri P. H. Bheel : **Shri Kapur Singh :**
Shri Bade : **Shri P. K. Deo :**
Shri Sezhiyan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to a press report appearing in the *March of the Nation*, dated the 19th March, 1966 regarding a number of contradictory statements, issued by the Defence Ministry, which have caused serious mental sufferings to the kith and kin of the missing personnel;

(b) if so, whether the case of Lt. J. C. Taneja (M 30699/3111) has any veracity to the facts; and

(c) the action taken against the officers responsible for communicating wrong and contradictory reports to the relatives in question ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ख) : जी हां ।

(ग) सैनिक प्राधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं । उनकी जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की जायगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In case the hon. Minister has given an approximate figure, may I know whether any such incident has happened in which firstly it was informed that the soldier has been killed and later it was found that he is alive and if so, the number of such incidents ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां, लगभग 500 व्यक्ति लापता हैं । सरकार के पास एक प्रकार से यह सूचना है और उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है कि वे लापता हैं । यह संख्या जिस का मैं उल्लेख कर रहा हूं अन्दाजन है और बिल्कुल सही नहीं है । यह मोटे तौर पर लगभग 500 है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether Government have ascertained the number of persons missing at present and whether any list of missing persons has been prepared ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां, दुर्भाग्य से जो लापता अथवा मरे हुये भी घोषित किये गये थे सौभाग्य से उन के नाम युद्ध बन्दियों की सूची में पाये गये और उन्हें वापस लाया गया है । ऐसे व्यक्तियों

की कुल संख्या 16 अथवा 17 है । मुझे इस के लिये भी खेद है क्योंकि यह प्रतिशत भी अच्छी नहीं है और हमें प्रत्येक मामले में बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि इस से परिवार की सदस्यों की भावनाओ का संबंध है । मैं ने आवश्यक हिदायतें जारी की है कि ऐसी गलती दुबारा नहीं होनी चाहिये ।

Shri Bade : Will the hon. Minister be pleased to state how contradictory informations were given to the kith and kin of Lt. Taneja on several occasions ? On 2-12-65 the news given was that he was missing. On 9-12-65 it was reported that he was still missing, believed killed. On 11-12-65 the report was–Death confirmed. On 29-12-65 the information was--Missing believed, POW, matter being investigated, ignore earlier information and on 10-1-66 his name appeared in the casualty list realesed by the defence headquarters. On 11-1-66 the Defence Ministry's message was—missing, believed, POW, give no cognisance to press reports. What is the latest information about him ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने स्वीकार किया है कि गलती की गई है । इस की जांच की जा रही है । मुझे इस के लिये खेद है ।

श्री बड़े : इसका क्या कारण है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसके लिये जांच के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी । इस का कारण यह प्रतीत होता है कि कभी कभी वह यूनिट जिस में वह कार्य कर रहा है सम्बन्धित व्यक्ति के परिवार को सीधा संदेश भेजने का प्रयत्न करती है । मेरी समझ में यह इस लिये किया जाता है क्योंकि वे इस बात के इच्छुक होते हैं कि परिवार के सदस्यों को यथासंभव शीघ्र सूचना मिले । कभी कभी यह सूचना जिस सूचना पर आधारित होती है वह उस से असंगत होती है । कभी उन्हें सूचना मिलती है कि व्यक्ति लापता है, कभी उस के साथ लड़ने वाले व्यक्ति कुछ सूचना देते हैं । इस तरह कुछ असंगतता पैदा हो जाती है । मुझे इस असंगतता पर खेद है ।

श्री मनोहरन : क्या हाल ही में लेफ्टिनेंट जी० सी० तनेजा के सम्बन्धियों ने प्रतिरक्षा मंत्रालय से, उन तीन अधिकारियों के साथ, जिन्हें लेफ्टिनेंट तनेजा के साथ तैनात किया हुआ था तथा जिन्हें बाद में युद्ध बन्दी बना लिया गया था और जिन्हें अब मथुरा लाया गया है, भेंट करने की अनुमति मांगी थी ताकि वह उस के बारे में कुछ सूचना प्राप्त कर सकें और क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने यह अनुमति देने से इंकार कर दिया है और यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बहुत संभव है कि ऐसी प्रार्थना की गई हो, परन्तु मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ है । मैं इस की जांच करूंगा ।

श्री कपूर सिंह : मंत्री महोदय के प्रारम्भिक स्पष्टीकरण तथा लेफ्टिनेंट तनेजा के मामले में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित असंतोषजनक व्यवहार की देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सेना की संचार व्यवस्था आम तौर पर इतनी ही असंतोषजनक है और यदि हां, तो उस में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आम स्थिति ऐसी नहीं है । इसी कारण से मैंने कहा है कि लगभग 12,000 व्यक्तियों के मामलों में जिन में कुछ जख्मी थे, कुछ लापता तथा कुछ मारे गये थे 17 से 18 मामलों मे ऐसा हुआ है । फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं कि यह 17 से 18 की संख्या भी उचित नहीं है । परन्तु कुल मामलों की तुलना में यह ही निष्कर्ष निकलता है कि आम स्थिति ऐसी नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हाल ही में परिचालित प्रतिरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि 502 व्यक्ति अभी तक लापता हैं, हालांकि छः महीने का समय व्यतीत हो गया है और उन्हें तबदील किये गये व्यक्तियों में भी नहीं पहचाना जा सका है । माननीय मंत्री के यह कहने का तात्पर्य कि उन

के सम्बन्धियों को सूचना दे दी गई है, क्या इस सूचना से है कि उन्हें बताया गया है कि वे लापता हैं और हो सकता है मारे गये हों, अथवा इस बात की भी कोई संभावना है कि वे अभी तक कैद में हों, जब की कैदियों की अदलाबदली पूरी हो चुकी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सम्बन्ध में नियम यह है कि जब किसी व्यक्ति के बारे में यह सूचना दी जाती है कि वह लापता है तो उसे कम से कम छः महीने के लिये लापता समझा जाता है । यदि छः महीने के बाद कोई और सूचना नहीं मिलती तो यह सूचना भेज दी जाती है कि वह लापता है और हो सकता है मारा गया हो । हम इस प्रक्रिया का पालन करते हैं । नौ महीने के बाद यह निश्चित किया जाता है कि वह मारा गया ।

श्री हेम बरूआ : काश्मीर के गृह मंत्री ने सभा में यह रहस्योद्घाटन किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि तीन वर्ष पूर्व पाकिस्तानी घुसपैठिये काश्मीर में दाखिल हुये थे और उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी भी वहां आये थे तथा उन की गतिविधियों का पता नहीं चल सका । इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जवानों के परिवारों को जो गलत सूचना दी गई वह आम कार्य अक्षमता की, जिसका कि अभी तक प्रदर्शन किया गया है, एक कड़ी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक अलग किस्म का प्रश्न है जो उन्होंने उठाया है । निस्संदेह मैं यह समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है । हम इस पर गौर करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि उन सेना के जवानों तथा अधिकारियों के सम्बन्धियों को केवल एक पत्र भेजा गया है और वह भी नवम्बर मास में भेजा गया था तथा उसके बाद कोई सूचना नहीं भेजी गई ? मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें सही स्थिति बताने के लिये अथवा दिन प्रति दिन की स्थिति से अवगत कराने के लिये, क्या कुछ कदम उठाये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : छः महीने का समय पूरा होने के बाद उन परिवारों के सदस्यों को सूचित करना होगा, जो इस मामले से सम्बन्धित हैं । इस बारे में हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जंजीबार में भारतीय उद्भव के लोग

*805. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई राजनयिक कार्यवाही की गई है कि ज़ंज़ीबार सरकार ज़ंज़ीबार में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों के साथ उचित व्यवहार करे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तान्ज़ानिया में हमारे हाई कमिश्नर ने नागरिकता, सिविल नौकरों को पेंशन की अदायगी और भारतमुलक लोगों की संपत्ति ले लेने से संबद्ध प्रश्न तान्ज़ानिया सरकार के साथ समय-समय पर उठाए हैं ।

ज़ंज़ीबारी पेंशनभोक्ताओं को पेंशन की अदायगी अब शुरू कर दी गई है और तान्ज़ानिया के अधिकारीगण नागरिकता के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं ।

सीमान्त मोर्चों पर प्रतिरक्षा कर्मचारियों की समस्याओं का अध्ययन

*810. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या प्रतिरक्षा वैज्ञानिक देश के सीमान्त मोर्चों पर सैनिक कर्मचारियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये वहां पर गये हैं;

(ख) उन्होंने किन किन सीमान्त मोर्चों का दौरा तथा अध्ययन किया हैं;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : कई रक्षा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अग्रिम क्षेत्रों में भेजे गए हैं और उन्होंने समस्त सीमा के साथ साथ कई स्थानों का भ्रमण किया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) वैज्ञानिकों द्वारा दी गई रिपोर्टों का रक्षा मन्त्रालय और सेवाओं के मुख्यालयों में उपयुक्त अधिकारियों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

आकाशवाणी से फार्म सम्बन्धी गोष्ठी कार्यक्रम

*811. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से फार्म सम्बन्धी गोष्ठी कार्यक्रम शीघ्र आरम्भ किये जाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से किस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जायेगा; और

(ग) इस कार्यक्रम से किसानों को कितना लाभ होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादूर) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण† सदन की मेज पर रखा जा रहा है ।

आवडि डिपो

*812. **श्री प्र० के० देव :**
श्री प० ह० भील :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा आवडि डिपो को बन्द किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां । आवडि का वेस आर्डनेंस डिपु बन्द किया जा रहा है ।

† अंग्रेज़ी उत्तर के साथ लगा दिया गया है ।

(ख) डिपु द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान दूरपूर्व में सैनिकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वेस डिपु के तौर पर स्थापित किया गया था। इस समय यह डिपु अतिरिक्तांगी बन गया है, क्योंकि यह केन्द्रीय आयुध डिपु के तौर अथवा दक्षिणी कमान में यूनिटों के लिए कमान डिपु का कार्य नहीं कर रहा। अन्य डिपुओं के लिए इसका भारक डिपु के तौर पर भी कार्य समाप्त हो चुका है ।

जंगी जहाजों का निर्माण

*814. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से जंगी जहाज़ों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) किस प्रकार के जहाज़ बनाने का विचार है; और

(ग) इसके लिये इस समय किन फर्मों के साथ बातचीत चल रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) : दिसम्बर 1964 में यू० के० के मैसर्ज विकर्स आर्मस्ट्रांग (पोत निर्माता) लि० और मैसर्स यैरों एंड कम्पनी के साथ मज़ागाव डाक लि०, बम्बई में लीएंडर किस्म के फ्रिगेटों के निर्माण के लिए एक सहयोग करार तय पाया था ।

सैंसर व्यवस्था विनियमों में ढ़ील

*815. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा विदेशी फिल्मों के लिए वर्तमान सेंसर व्यवस्था विनियमों में ढील देने के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : विदेशी और भारतीय फिल्मों को पास करने में ससर बोर्ड को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई है, और न ही वर्तमान सेंसर नियमों को लागू करने में कोई कठिनाई सरकार के ध्यान में लाई गई है । इसलिए फिलहाल इन नियमों में सशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

वियतनाम

*816. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार भारत सरकार के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि वियतनाम में युद्ध विराम कराने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग किस प्रकार का सहायता कार्य कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये ह ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कनाडा की सरकार वियतनाम प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान करने की दिशा में वियतनाम-स्थित अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण कमीशन की सेवाओं का उपयोग करने के बारे में विचार करती रही है । कनाडा सरकार ने इस के बारे में भारत सरकार को अपनी विचारधारा से अवगत कराया है ।

(ख) और (ग) : यह प्रस्ताव सिर्फ यह जानकारी पाने के लिए किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण कमीशन इसमें किस तरह सहायता दे सकता है और कोई विशेष विवरण तैयार नहीं किए गए । इस प्रस्ताव पर ज़ोर नहीं दिया जा रहा है ।

नेताजी जयन्ती

*817. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 3 दिसम्बर, 1965 को संविधान (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी जयन्ती के अवसर पर प्रतिवर्ष एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय किया है, जैसा कि गान्धी जयन्ती और नेहरू जयन्ती के अवसर पर किया जाता है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बद्ध केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति ने 1961 में सलाह दी थी के नेताजी जयन्ती समारोह हर पांच साल में किया जाए । परन्तु दिसम्बर में मेरे पूर्ववर्ती द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य के अनुसार केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति की अप्रैल मे होने वाली बठक में इस विषय पर सलाह ली जाएगी और उसको दृष्टि में रखते हुए आवश्यक निर्णय किया जाएगा ।

Scarcity of Cartridges

*818. **Shri Mate** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is scarcity of imported cartridges in India for civilian use; and

(b) if so, the action taken to manufacture them in India to meet the shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) Cartridges for civil use are being imported from abroad on a restricted scale in view of the difficult foreign exchange position. While the overall supply position of .22" ammunition is satisfactory, there is a general shortage of 12 bore ammunition.

(b) The manufacturing capacity for 12 bore ammunition is being augmented in stages during 1966 and increased production is expected to be available very shortly.

सिक्किम के चोग्याल और ग्यालमो की यात्रा

*819. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1966 में सिक्किम के चोंग्याल और ग्यालमो नई दिल्ली आये थे और प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सिक्किम के विकास के लिए कोई भारतीय सहायता मांगी थी; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ; लेकिन 1966-71 की अवधि में सिक्किम को सहायता देने के प्रश्न पर अलग से विचार किया गया है ।

(ग) सरकार सिद्धान्त रूप में सिक्किम की तीसरी विकास योजना में जैसा ठीक समझेगी, आंशिक रूप से अनुदान और आंशिक रूप से कर्ज़ देकर धन लगाएगी, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है । कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए के खर्च का विचार है ।

तटस्थ राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन

*820. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कंडप्पन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटस्थ राष्ट्रों के एक सीमित शिखर सम्मेलन बुलाने के बारे में संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के कथित प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : गुट-रहित राष्ट्रों के सीमित शिखर सम्मेलन आयोजित करने की कुछ बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं रखा गया है ।

मिजो पहाड़ी जिलें में हुए दंगों के बारे में पाकिस्तान द्वारा रेडियो प्रसारण

*821. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6 मार्च, 1966 को पाकिस्तान रेडियो से बंगाली में प्रसारित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें आसाम के मिज़ो ज़िले में हुए दंगों को "स्वतंत्रता संग्राम" बतलाया गया है;

(ख) क्या उन्होंने पाकिस्तान को यह सूचित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि ताश्कंद घोषणा को दृष्टि में रखते हुए यह पूर्णतः अनुचित तथा असंगत है; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान ने इस बारे में क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देख ली हैं, लेकिन इस प्रकार का प्रसारण वास्तव में किया गया था या नहीं इसकी कोई अधिकृत सूचना सुलभ नहीं है। फिर भी, इस मामले को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उठाया गया था, जिन्होंने इस बात से इन्कार कर दिया कि पाकिस्तान रेडियो ने इस तरह की कोई बात कही थी।

Knowledge of Foreign Languages

***822. Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is compulsory for the officers and employees of the Indian Foreign Service to possess knowledge of some foreign language;

(b) whether knowledge of Hindi is also compulsory for them; and

(c) if not, the reasons therefor and whether Government propose to make the knowledge of Hindi compulsory before they are posted in foreign countries ?

The Minister of External (Affairs Sardar Swaran Singh) : (a) It is compulsory for all persons recruited into the Indian Foreign Service to study and qualify in a foreign language.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

Ordnance Factories at Jabalpur

***823. Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an enquiry is being conducted by the Central Bureau of Investigation in the Ordnance Factories at Jabalpur;

(b) whether it is also a fact that the cartridges manufactured in these factories were declared useless and sent to Pakistan;

(c) whether it is also a fact that some persons have been suspended because of some malpractices;

(d) whether it is also a fact that some persons have offered to resign of their own in order to save themselves in this case; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence Production (Shri A. M. Thomas) : (a) An enquiry is being conducted by the Central Bureau of Investigation against one officer of the Gun Carriage Factory, Jabalpur.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

एवरो-748 विमानों का निर्माण

*824. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री दाजी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में एवरो-748 विमानों का निर्माण करने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि निर्माण बहुत धीमी गति से हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तेजी से निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) 1965 में कितने एवरो विमानों का निर्माण किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ) : 16 अगस्त, 1965 को अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर में बताया गया था कि कानपुर में निर्माण होने वाले विमानों का उत्पादन निश्चित समय से कुछ पीछे जा रहा है और यह भी बताया गया था कि यह देरी विदेशों से अवयवों के समय नुसार न प्राप्त होने के कारण है, तथा तकनीकी कार्मिकों की कार्यक्षमता की दर में कुछ कमी होना भी इसका कारण है । यह भी बताया गया था कि अब तक 5 विमान निर्मित किये जा चुके हैं । 2 विमान 1965 से पहले ही भारतीय वायु सेना को दे दिये गये थे और बाकी 3 विमान 1965 के अन्तर्गत दिये गये थे । एक और विमान मार्च 1966 में पूरा किया गया था और आई० ए० सी० को आवश्यकतानुसार कुछ संशोधन फिट करने के लिए उसे यू० के० उड़ाया गया है । एक और विमान नई 1966 में भारतीय वायुसेना को दे दिया जायगा । इनके अलावा 7 विमान एकत्रीकरण लाइन में हैं । जिनमें से दो पूर्ति की अन्तिम अवस्था में हैं ।

अगस्त 1965 से अवयवों की प्राप्ति असन्तोषजनक रही है, किन्तु उसे सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है । हिन्दुस्तान एइरोनाटिक्स (कानपूर डिवीजन) के उत्पादन की प्रगति की हमेशा देख-रेख होती रहती है ।

Disturbances in Ceylon

*825. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Indian nationals sustained some loss in disturbances which took place in Ceylon in January, 1966 on the issue of Tamil language; and

(b) if so, the nature of loss and action taken by Government in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

चन्दा समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन

*826. **श्री प्र० के० देव :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

श्री सोलंकी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1966 के 'मार्च आफ दि नेशन' (साप्ताहिक) के पृष्ठ 16 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आकाशवाणी के सम्बन्ध में चन्दा समिति के अन्तरिम प्रतिवेदनों को संसद् में पूर्ण रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादूर): (क) सरकार ने, 5 फरवरी, 1966 को 'माच आफ़ दि नेशन' में चन्दा समिति की आकाशवाणी सम्बन्धी अन्तरिम रिपोर्टों के बारे में छपा समाचार देखा है ।

(ख) 'सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये प्रसारण' सम्बन्धी रिपोर्ट के 4 नकशे तथा एक परिशिष्ट गोपनीय थे इनको छोड़ कर तीन अन्तरिम रिपोर्टें पूरी पूरी 21 फरवरी 1966 को लोक सभा के मेंज पर रख दी गई हैं ।

भारत और पाकिस्तान के वायुसेनाध्यक्षों की बैठक

***828. श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के वायु सेनाध्यक्ष (चीफ आफ एयर स्टाफ) तथा पाकिस्तान वायु सेना के कमांडर-इन-चीफ मार्शल नूर खां ने ताशकन्द घोषणा के अनुसरण में भारत में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिये हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, 14 से 16 मार्च, 1966 तक ।

(ख) यह बातचीत हमारे वायुसेनाध्यक्ष द्वारा फरवरी, 1966 में पेशावर में होने वाली बातचीत के क्रम में थी । इन बातचीतों में जो फैसले हुए हैं उन्हें सूचित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 5917/66]**

छम्ब जौरियां क्षेत्र से सेनाओं की वापसी

***829. श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर का कोई प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिला है;

(ख) क्या सरकार को कोई ज्ञापन मिला है जिसमें यह कहा गया है कि पूंछ, छम्ब और जोरियां क्षत्रों से पाकिस्तानी सैनिकों ने वापिस जाते समय वहां के लोगों से कहा कि "हिन्दुओं को वहां पक्के मकान नहीं बनाने चाहिएं, क्योंकि हम कुछ दिनों में वापिस लौट आयेंगे";

(ग) क्या वापिस जाने वाली पाकिस्तानी सेनाओं ने भारत-विरोधी नारे लगाये और उनमें से कुछ लोग दीवारों पर भी लिख गये; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) तक : प्रश्न के भाग (ख) में इंगित विषय पर जम्मू काश्मीर राज्य से कोई डेलीगेशन अथवा ज्ञापन-पत्र भारत सरकार को नहीं मिला है । जबकि छम्ब अंचल में कई भवनों की दीवारों पर भारत विरोधी कुछ नारे लिखे पाए गए थे, वापस

लौटते पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा ऐसे नारे लगाए जाने की कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई। उन क्षत्रों में जहां से पाकिस्तानी सैनिक वापस हुए, कुछ समय के लिए शून्यता का आभास हुआ था, और अगर कोई नारे लगाए भी गए थे, तो उन के पता चल पाने की प्रत्याशा नहीं की जा सकी ।

मिजो विद्रोहियों द्वारा सेना के एक हेलीकौप्टर पर गोली चलाया जाना

*830. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रति रक्षा** मंत्री 8 मार्च, 1966 को मिज़ो की पहाड़ियों की स्थिति पर ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में दिये गये वक्तव्य और उस पर पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिज़ो विद्रोहियों ने पूर्वी कमान के जी० ओ० सी० को ले जा रहे सेना के हैलीकौप्टर पर किन परिस्थितियों में छिपकर गोली चलाई थी ; और

(ख) इस घटना का ब्यौरा क्या है और उस से कितना नुकसान हुआ है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : भारतीय वायुसेना के किसी हेलीकौप्टर का न तो छिप कर पता लगाया गया था और न ही उस पर गोली चलाई गई थी। तदपि, 4 मार्च 1966 को एक विमान टोह कार्य तथा सप्लाई गिराने के काम में था, जिसपर पूर्वी कमान के जी० ओ० सी० भी विद्यमान थे। जिस समय यह विमान सप्लाई गिराने के काम में लगा था जमीन से उपद्रवियों ने उस पर गोली चलाई। इस वायुयान पर कुछ गोलियां लगी, किन्तु वायुयान सुरक्षापूर्वक हवाई अड्डे पर वापस आ गया ।

छावनी बोर्ड कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*831. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री दाजी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश के छावनी बोर्ड कर्मचारियों ने अपनी मजूरी में वृद्धि पर विचार करने के लिय एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने को मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) यह सच है कि अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ ने एक औद्योगिक ट्रिबुनल अथवा उजरत बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया है ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अन्तरिक्ष किरण सम्बन्धी अनुसंधान

2885. **श्री राम हरख यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फण्डामेण्टल रिसर्च बम्बई, अमरीकी विशेषज्ञों के सहयोग से बहुत ऊंची अंतरिक्ष किरणों के बारे मे अनुसन्धान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक अनुसन्धान के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) जिन अन्तरिक्ष किरणों के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जा रहा है उनकी उत्पादन तथा विनाशकारी क्षमता क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च ने समय-समय पर अमरीकी विशेषज्ञों के सहयोग से अंतरिक्ष किरणों का अध्ययन किया है।

(ख) इन अध्ययनों में मौलिक खोजें शामिल हैं तथा इनके परिणाम प्रकाशित अनेक पत्र-पत्रिकाओं में दिये गये हैं।

(ग) अंतरिक्ष किरणों के ऐसे अध्ययनों से ज्योति-भौतिकी तथा उच्च ऊर्जायुक्त मौलिक कणों के बारे में काफी जानकारी मिली है। यह सिद्ध हुआ है कि समताप मण्डल में उड़ने वाले पराध्वनिक वायुयानों और पृथ्वी के चारों ओर स्थित विकिरण पट्टियों से गुजरने वाले मनुष्ययुक्त अन्तरिक्ष यानों जैसे चन्द्रलोक की यात्रा के लिये काम में आने वाले यानों को सौर कणों के गहन विकिरण से होने वाले स्फोटों से भारी खतरा पैदा हो सकता है।

सेना के जवानों की विधवाओं के लिये संस्था

2886. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के जवानों की विधवाओं के लिये एक संस्था स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसमें उन्हें नर्सिंग तथा अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें दिये जाने वाले प्रशिक्षण का कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) इस संस्था में कौन सी विधवायें प्रवेश पाने की हकदार होंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

खेमकरण क्षेत्र में शहीद हुए जवानों के लिये स्मारक

2887. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेमकरण क्षेत्र में शहीद हुए जवानों के सम्मान में खेमकरण में एक स्मारक बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) स्मारक का निर्माण कब से आरम्भ होगा ; और

(घ) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जैसे कि पहले घोषित किया गया है, सरकार की व्यापक नीति, इकाई दुकड़ी या एकल व्यक्तियों के लिये स्मारक की स्थापना को प्रोत्साहन देने की नहीं है। स्वतन्त्रता के पश्चात् युद्ध में अपने सभी काम आए व्यक्तियों के लिए, दिल्ली में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने संबंधी, एक प्रस्ताव पहले से विचाराधीन है। तदपि, सरकार का ध्यान स्थानीय सैनिक यूनिट द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से अमृतसर खेमकरण सड़क पर, चीमा गांव के निकट, एक स्मारक संबंधी समाचारपत्रों में समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, और मामले की जांच की जा रही है।

(ख), (ग) तथा (घ) : यह प्रश्न इस अवस्था में नहीं उठते।

मैसूर में पंचायतों के लिये रेडियो सेट

2888. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में ग्राम पंचायतों को अब तक कितने रेडियो सेट दिये गये हैं ;

(ख) मैसूर राज्य ने ग्राम पंचायतों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अब तक कितने रेडियो सेट मांगें ;

(ग) यह मांग कहां तक पूरी की गई है ;

(घ) प्रत्येक ग्राम सेट का कितना मूल्य है; और

(ङ) इस में से ग्राम पंचायत को कितना देना पड़ता है तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार कितना देती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) 2,740 ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(घ) लगभग 350 रुपए प्रति सेट ।

(ङ)

केन्द्रीय सरकार . .	125 रुपए	प्रति सेट
राज्य सरकार	100 रुपए	
ग्राम पंचायत .	125 रुपए	

मेरीन डीजल इंजन फैक्टरी

2889. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे के सहयोग से केरल राज्य में एक मेरीन डीजल इंजन फैक्टरी स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस फैक्टरी में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख): मेरीन डीज़ल इंजन फैक्टरी की स्थापना के सम्बन्ध में रक्षा मन्त्रालय ने नार्वे के साथ कोई सहयोग समझौता नहीं किया है । पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म एम० ए० एन० के साथ पहले से एक सहयोग समझौता तय पाया हुआ है, और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है । किसी नई फैक्टरी के संस्थापन के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया ।

Lands for ex-servicemen

2891. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the details of lands allotted to ex-servicemen in Maharashtra State (District-wise) ; and

(b) the number of memoranda received in his Ministry from the ex-servicemen in Yeotmal District wherein complaints regarding non-allotment of land to them have been made ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) The information has been called for from the Government of Maharashtra and will be laid on the Table of the House when received.

(b) The exact number of complaints regarding non-allotment of land received from the ex-servicemen in Yeotmal District has not been kept. The applications received from time to time are passed on to the State Soldiers', Sailors' and Airmen's Board for appropriate action as almost in all such cases the decision rests with the State authorities concerned.

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्योग

2892. श्री सिद्धय्या : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मे मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य लिमिटेड कम्पनियों के क्या नाम हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक में 1 मार्च, 1966 को पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारी काम कर रहे थे ;

(ग) क्या उनमें से प्रत्येक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये कोई स्थान रक्षित रखे गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो 1 मार्च, 1966 को प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ग) : निम्नलिखित छः सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां प्रशासनिक नियंत्रण के हिसाब से रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं :—

(1) हिन्दुस्तान एइरोनाटिक्स लिमिटेड

(2) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

(3) मझगांव डाक लिमिटेड

(4) गार्डन रीच वर्क्स शाप्स लिमिटेड

(5) प्रागा टूल्स लिमिटेड ; तथा

(6) भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड

गार्डन रीच वर्क्सशाप्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एइरोनाटिक्स लिमिटेड तथा भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड ने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए खाली जगहों को रिजर्व करने में सरकार जैसा ढंग अपना लिया है । भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड तथा प्रागा टूल्स लिमिटेड में भी अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के उम्मीदवारों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं ।

(ख) तथा (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

वाणिज्य प्रतिनिधि

2893. श्री जसवन्त मेहता : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं और जिनमें हमारे वाणिज्य प्रतिनिधि भी हैं ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं किन्तु उनमें हमारे वाणिज्य प्रतिनिधि नहीं हैं ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन के साथ समारे राजनयिक सम्बन्ध नही हैं किन्तु उनमें हमारे वाणिज्य प्रतिनिधि हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : एक वक्तव्य सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5917/66]**

परीक्षण राकेटों के लिये भारयोगों (पे लोड्स) का निर्माण

2894. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत परीक्षण राकेटों के लिये भारयोगों (पे लोड्स) का खाका बनाने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : निम्नलिखित के अध्ययन के लिये भारयोगों के डिजाइन तैयार किये गये हैं और उनका निर्माण किया गया है :

(i) 100–180 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली पवनें ।

(ii) विषुवत-विद्युततरंग ।

(iii) आयन मंडल ।

कुछ और अध्ययनों के उपयुक्त भारयोग बनाये जा रहे हैं ।

सस्ते रेडिओ सेटों का निर्माण

2895. श्री लिंग रेड्डी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स बंगलोर, ग्रामीण क्षेत्रों में दिये जाने के लिये रेडियो सेटों को काफी सस्ते दरों पर बनाने के लिये तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Royalty for Film Songs to Ceylon Radio

2896. Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsinghika :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether royalty has been demanded from the Radio Ceylon for the film songs which were so far being given to them for broadcast free of charge ; and

(b) the details of the talks between the Film Producers Association and officers of Radio Ceylon visiting India and the decisions arrived at ?

The Minister of Information & Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) : There were press reports regarding discussion between the representatives of the Indian Motion Picture Producers' Association and the Radio Ceylon concerning broadcast of records of Indian Films songs over the commercial services of Radio Ceylon. As the negotiations were between a private association and a foreign organisation, Government do not have information beyond what has appeared in the Press.

नेपाल में भारतीय नागरिकों की भूमि का जब्त किया जाना

2897. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नेपाल सरकार ने भारत-नेपाल संधि के उपबंधों के विपरीत भारतीय नागरिकों की भूमि जब्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो भूमि वापिस दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को मालूम है कि एक ऐसा मामला हुआ है, जिसमें एक भारतीय नागरिक को पहले दान में दी गई जमीन को बाद में नेपाल की महामहिम की सरकार ने जब्त कर लिया था ।

(ख) इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाया गया है ।

(ग) नेपाल सरकार से कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला है ।

Employment of Retired Military Personnel in Civil Services

2898. Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Ram Harakh Yadav :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to absorb the military personnel in civil services after retirement ;

(b) if so, in what categories and the names of Departments in which they will be so absorbed ; and

(c) the number of ex-service personnel who have applied and who have been absorbed ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b). A proposal to reserve a certain percentage of vacancies for ex-servicemen in all Central Government Departments and in all Public Sector Undertakings is under consideration of Government and a decision is likely to be reached shortly. A statement indicating other measures already taken by Government to facilitate absorption of Military personnel in civil services after their retirement is attached. **[Placed in Library. See No. LT/5918/66].**

(c) Up to 31st December, 1965, 29,692 retired/released ex-servicemen were on the live register of the Employment Exchanges and during the year 1965 13,710 ex-servicemen were placed in civil employment by the Employment Ex-

changes. As regards ex-officers, 665 retired officers were employed under the Central/State Governments Departments/Undertakings and in the private sector upto the 31st December 1965 as under :—

(a) Central Government Departments/Undertakings . .	535
(b) State Governments and their Undertakings .	49
(c) Private Sector .	81
TOTAL	665

Transmitter in Braj Area

2899. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri P. C. Borooah :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any scheme to install a transmitter in Braj area is under consideration of Government ; and

(b) if so, when the transmitter is likely to be installed ?

The Minister of Information & Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir. In the draft Fourth Five Year Plan, which has yet to be approved by the Planning Commission, provision has been made for setting up a Radio Station to cater to the needs of the Braj Area.

(b) The project, if approved, will be completed during the Fourth Plan period.

चीन द्वारा मारे गये भारतीय जवान

2900. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1965 में चीनियों द्वारा कितने भारतीय जवान मारे गये ; और

(ख) भारतीय सेनाने कितने चीनी सैनिकों को मारा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 6 ।

(ख) 30 ।

विचारधारा डिवीजन

2901. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रामसेवक यादव :**
श्री बागड़ी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 8 मार्च 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र सेनाओं के मनोबल को परखने के हेतु कोई कसौटी तैयार करने के लिये क्या अध्ययन किये गये हैं और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : सैद्धान्तिक विभाग ने अपनी सशस्त्र सैनाओं के नैतिक स्तर तथा संबंधित समस्याओं से संबद्ध कई अध्ययन सम्पूर्ण किए है। कई अन्य अध्ययन किये जा रहे हैं। इन अध्ययनों के बारे में विस्तार प्रकट करने लोकहित में नही होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष

2902. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष मनाने के लिये बहुत बडी रकम नियत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या समारोहों का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ड़) क्या यह सच है कि समारोह को अधिक सफल बनाने के लिये अनेक गैर-सरकारी संगठनों ने अपना योगदान देने के लिये कहा था लेकिन उनका सहयोग नहीं लिया गया ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(छ) क्या आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष के उत्साह और भावना को बनाए रखने के कोई प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : 1965–66 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा स्वीकृत किन्हीं प्रायोजनाओं पर अमल करने के वास्ते 31,500 रुपये की धन राशि मंजूर की गई थी।

(ग) और (घ) : दो ब्योरे सदन की मेज पर रख दिए गये है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5919/66]**

(ड़) और (च) : जी नहीं। वास्तव में गैर-सरकारी संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष को बनाने में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया।

(छ) आशा है कि विभिन्न संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष की भावना को बनाऐ रखने का बराबर प्रयत्न करते रहेंगे।

सीमा के साथ साथ सुरक्षा पट्टी

2903. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान की सीमा पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष से उत्पन्न स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सीमा के साथ-साथ शीघ्र ही एक सुरक्षा पट्टी स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सदस्य महोदय का अभिप्राय स्पष्ट नही है। तदपि, जैसे कि अपनी सभी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, राजस्थान सीमा की सुरक्षा के उपाय भी समय समय पर सम्यक् किए जाते हैं, और पुनरीक्षण अधीन रहते हैं।

Unidentified Planes

2904. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unidentified planes flew over Gadra and Khem-Karan fronts on the 21st December, 1965 ;

(b) if so, the countries to which they belonged ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) to (c). Pakistan F-86 aircraft flew over Khem Karan Sector on the 21st December, 1965 and over Gadra on the 22nd December, 1965. Cease-fire violation complaints were lodged with the U.N. Observers.

"चुनौती का मुकाबला करो" प्रदर्शनी

2905. श्री सुबोध हंसदा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की राजधानियों में सरकार ने 'चुनौती का मुकाबला करो' प्रदर्शनी आयोजित की है;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों को छोड़ दिया गया है;

(ग) क्या प्रदर्शनी द्वार पर कोई पैसा लिया जाता था; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित की जा चुकी है और यह धन किस प्रयोजन के लिए खर्च किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादूर): (क) तथा (ख): जी हा, पंजाब, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, जम्मू तथा कश्मीर और गुजरात को छोड़ कर। मध्य प्रदेश और पंजाब में प्रदर्शनी पहिले दूसरे नगरों में, यानी इन्दौर तथा अमृतसर में की गयी, बाद में इन राज्यों की राजधानियों में की जाने वाली थी, पर ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर होने के बाद यह विचार छोड़ दिया गया।

(ग) केवल एक स्थान, कलकत्ता में प्रवेश शुल्क लिया गया। इसे पश्चिमी बंगाल राज्य की नागरिक समिति ने लगाया था, जिसने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था। अन्य स्थानों पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया।

(घ) सूचना मिली है कि राज्य नागरिक समिति को कलकत्ता में शुल्क 1,56,116.16 रु० मिले। हमारी सूचना के अनुसार, नागरिक समिति प्रदर्शनी पर हुए खर्च को काट कर, शेष धन राष्ट्रीय रक्षा कोष में देना चाहती है।

Firing by East Pakistan Rifles

2906. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1029 on the 22nd November, 1965 regarding firing by East Pakistan Rifles and state :

(a) whether any reply has since been received from the Government of Pakistan; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir. (b) Does not arise.

पाकिस्तान के लिये पासपोर्ट

2907. क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान जाने के हेतु पासपोर्ट के लिये भारतीय नागरिकों से 1965-66 में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने प्रार्थना-पत्र मंजूर किये गये; और

(ग) कितने प्रार्थना-पत्र अब भी सरकार के विचाराधीन हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जनवरी 1965 से फरवरी 1966 के बीच 84,905 भारतीय नागरिकों ने पाकिस्तान जाने के लिये पासपोर्ट के वास्ते प्रार्थना-पत्र दिए थे ।

(ख) इस अवधि में 65,983 प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए गए ।

(ग) फरवरी 1966 के अंत में 42,980 प्रार्थना-पत्रों पर, उनके प्राप्त होने की तारीखें चाहे कुछ भी हों, विचार किया जा रहा था ।

मंगोलिया में रिहायशी (रेजीडेंट) मिशन

2908. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 6 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1837 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगोलिया में एक रिहायशी (रेज़िडेंट) मिशन खोलने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) और (ख) : उलन बातोर में एक रिहायशी मिशन खोलने के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्रीलंका में भारतीय नागरिक

2909. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 तक श्रीलंका से कितने भारतीय नागरिक भारत आये;

(ख) श्रीलंका से धन वापस लाने के लिये अब तक क्या प्रबंध किये गए हैं; और

(ग) श्रीलंका में अब कुल कितने भारतीय नागरिक रह गये है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 1954 से लेकर 31 दिसंबर 1965 तक लगभग 1,23,250 भारतीय नागरिक भारत आ गए हैं ।

(ख) जब भारतीय राष्ट्रिक विदेशों में स्थायी रूप से बसने के लिये श्रीलंका छोड़कर जाते है तब उन्हे श्रीलंका की सरकार अपने साथ अधिकतम 75,000 रुपये की परिसंपत्ति बाहर ले जाने की अनुमति देती है ।

(ग) लगभग 31,000

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

2910. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा के उल्लंघन के बारे में 6 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1907 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 और 17 नवंबर 1965 के दौरान भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन के बारे में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को भेजे गए विरोध-पत्र का उत्तर सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

मुक्त कराये गये क्षेत्र में सुरंगो (माइन्स) को हटाना

2911. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 दिसम्बर, 1965 को सुरंग (माइन) विस्फोट के कारण खेमकरन सीमा क्षेत्र में सीमा गांव में दो किसान मारे गये थे;

(ख) क्या उन किसानों को, जो फसल काटने के लिये खेतों में गये थे, इस बारे में विधिवत चेतावनी तथा सूचना दे दी गई थी कि वहां पर अभी भी सुरंग होने की आशंका है;

(ग) यदि मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है तो कितना मुआवजा दिया गया है; और

(घ) क्या अब उन क्षेत्रों से सुरंगें हटा दी गई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चीमा गांव के क्षेत्र में 25 दिसम्बर 1965 (न कि 28 दिसम्बर 1965) को एक सुरंग फटने के परिणामस्वरूप अगल उत्तर गांव के दो व्यक्ति मारे गए थे ।

(ख) यह व्यक्ति खेतों में फसल काटने के लिए नहीं गए थे, बल्कि बमों के खोलों से पीतल इकटठा करने गए थे । क्षेत्र के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ लगी थी, और जनता को सूचित कर दिया गया था, कि वह सुरंगों से अटा पड़ा है, और उसमें किसी को नहीं जाना चाहिए । इस पर भी इन दोनों व्यक्तियों ने तार को ऊपर कर के उसमें प्रवेश किया था ।

(ग) कोई मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि घटना की जांच के लिए स्थापित की गई कोर्ट आफ इन्क्वायरी के विचार में इस घटना के लिये कोई सैनिक सेविवर्ग उत्तरदायी नहीं थे ।

(घ) घटना के समय तक उस क्षेत्र को सुरंगों से विमुक्त नहीं किया गया था, परन्तु अब उसे साफ कर दिया गया है ।

पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों को रेडियो सेट

2912. श्री दलजीत सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1965 के अन्त तक पंजाब के गावों को कितने रेडियो सेट दिये गये, और

(ख) 1966 में इस राज्य को कितने रेडियो सेट देने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) 11,722 ।

(ख) 1966–67 में दिए जाने वाले रेडियो सेटों का ब्यौरा अभी तै नही हुआ है ।

आकाशवाणी केन्द्र, सम्बलपुर

2913. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31जनवरी, 1966 तक आकाशवाणी सम्बलपुर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने स्टाफ आर्टिस्ट काम करते थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादूर) :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
स्टाफ़ आर्टिस्ट . .		..
अन्य कर्मचारी . . .	13	5
योग	13	5

भारी पानी निर्माण संयंत्र

2914. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या प्रधान मंत्री 15 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 552 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने भारी पानी निर्माण संयंत्र स्थापित करने के बारे में अब कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में किराये पर ली गई असैनिक मोटरगाड़ियां

2915. श्री प्र० के० देव :

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष में प्रतिरक्षा कार्यों के लिये कुल कितनी असैनिक मोटरगाड़ियां किराये पर ली गई अथवा स्वेच्छापूर्वक दी गई;

(ख) दुश्मन के हमले के कारण इनमें से कितनी मोटरगाड़ियां नष्ट हुई; और

(ग) यदि सरकार ने मोटरगाड़ियों के मालिकों को यदि कोई मुआवजा दिया है तो उसकी राशि क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दर्मियान रक्षा कार्यों के लिए निम्नलिखित कुल गाड़ियां किराए पर ली गई या स्वेच्छा-पूर्वक दी गई या अधिगृहीत की गई :

किराये पर ली जाने वाली		3239 गाड़ियां
स्वेच्छा-पूर्वक दी जाने वाली		12 गाड़ियां
अधिगृहीत की जाने वाली		16462 गाड़ियां
	टोटल	19713 गाड़ियां
	तथा .	10 ट्रेलर्स

(ख) अधिगृहीत की जाने वाली गाड़ियों में से 18 गाड़ियां तथा 1 ट्रेलर खो गये और 43 गाड़ियां शत्रु की कार्यवाही के कारण क्षति-ग्रस्त हुई । किराये पर ली जाने वाली या स्वेच्छा-पूर्वक दी जाने-वाली गाड़ियों में से कोई भी न तो खोई और न ही क्षतिग्रस्त हुई ।

(ग) निम्नांकित रकमें अब तक दी गई है :

(1) किराये पर ली जाने वाली या स्वेच्छा-पूर्वक दी जाने वाली गाड़ियों के लिए किराया रु० 67,96,085.94 ।

(2) अधिगृहीत की जाने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए हर्जाना रु० 7,14,910.96 ।

(3) अधिगृहीत की गई गाड़ियों में से शत्रु की कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कारणों से क्षति-ग्रस्त गाड़ियों का हर्जाना रू० 1,94,943.94 ।

अधिगृहित की गई गाड़ियों तथा शत्रु की कार्यवाही के कारण क्षति-ग्रस्त होने वाली गाड़ियों के हर्जानें का मूल्यांकन तथा अदायगी सिविल अधिकारियों द्वारा की गई थी और बाद में वह धनराशि रक्षा बजट से प्राप्त की गई थी । यह मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हो सका है और सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है वे शीघ्र ही निपटारा करें ।

Flags not flown at half-mast on late Prime Minister s Death

2916. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bagri : Shri Bade :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any of the member-nations of Commonwealth did not fly their flags at half-mast on the death of the Late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri;

(b) if so, the names thereof; and

(c) whether any effort has been made to ascertain the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) We are not aware, that any member-nation of Commonwealth did not fly their flag at half-mast on the occasion of the sad demise of the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri.

(b) & (c) : Do not arise.

भारतीय सेना में गोरखों की भर्ती

2917. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार भारतीय सेना में गोरखों की भर्ती के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की आयव्ययक समिति का प्रस्ताव

2918. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ की आयव्ययक समिति के खर्च को वित्त देने के प्रस्ताव के बारे में 6 दिसम्बर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 680 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह प्रस्ताव एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों पर ही लागू होता था;

(ख) यदि नहीं, तो भेदभाव का आरोप किस आधार पर लगाया गया अथवा उचित ठहराया गया; और

(ग) यात्रा को कम करने अथवा उसमें बचत करने के लिये सरकार द्वारा समर्थन न किये जाने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । यह निर्णय सभी सदस्य राज्यों पर लागू होता है ।

(ख) और (ग) : यात्रा खर्च को लौटाने की संशोधित दरों से संयुक्त राष्ट्र के 120,000,000 डालर के कुल बजट में सिर्फ 250,000 डालर का मामूली फायदा होगा । चूंकि सदस्य राज्य अपनी क्षमता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र बजट में अंशदान देते हैं इसलिए संयुक्त राष्ट्र के बजट में विकासशील देशों का अंशदान कम हो जाने से इन देशों को जो लाभ होगा, वह उस अतिरिक्त व्यय से बराबर हो जाएगा जो कि उन्हें अपने प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र में भेजने की समुचित यात्रा-सुविधाएं देने पर खर्च करना पड़ेगा । चूंकि इनमें से अधिकांश देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से बहुत दूर हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि इस निर्णय से उनके प्रति भेदभाव होगा । इसी आधार पर भारत ने संशोधित प्रक्रिया स्वीकार करने के बारे में अपना मत सुरक्षित रक्खा है ।

Suicide by a Scientist of Atomic Energy Establishment

2919. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scientist of the Atomic Energy Establishment, Trombay, died on the 22nd January, 1966 ; and

(b) whether it is also a fact that he committed suicide due to undue reprimand by his superior officer and the matter was afterwards hushed up calling it a case of heart-failure ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) There is no question of hushing up the matter. The inquest on his death has not yet been completed. The report of the Chemical Analyser and the verdict of the Coroner are awaited.

पाकिस्तान पर चीन का दबाव

2920. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि चीन गिलगित में सैनिक संस्थानों के लिये पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में अधिगृहीत प्लाट की वापसी

2921. डा० रानेन सेन :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के टालीगंज स्थित 'के साइट' प्लाट के मालिक पिछले 20 वर्षों से प्रतिरक्षा विभाग द्वारा अधिगृहीत अपनी भूमि की वापसी के लिये बराबर मांग करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) भूस्वामियों को सूचित कर दिया गया है कि भूमि अब रक्षा आवश्यकताओं से फालतू है,और उसे पूर्वी पाकिस्तानसे आये विस्थापित व्यक्तियों को निकासित किए जाने के पश्चात कि जो सितम्बर 1948 से उस पर अनाधिकार पूर्वक कब्जा किए है निरधिग्रहीत कर दिया जाएगा । उपवेशियों को बेदखल करने का प्रश्न सरकार द्वारा विचाराधीन है । तदपि यदि किसी अधिग्रहण आदेश से प्रभावित भूस्वामी उपवेशियों सहित समस्त भूमि की वापसी स्वीकार करने को और उपवेशियों से सीधे स्वयं ही निबट लेने को तैयार हों, तथा सरकार के पास रहते समय के दौरान संपत्ति को किसी प्रकार की हुई क्षति के लिए मुआवजे का दावा न करना मानलें, तो सरकार को ऐसे भूमिक्षेत्र को निरधिग्रहन करने में कोई आपत्ति न होगी । उन भूस्वामियों को जिन्होंने सरकार को प्रत्याभिवेदन भेजे हैं, तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल के कैडेटों के भोजन में विष

2922. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री राष्ट्रीय सेना छात्र दल के कैडटों के भोजन में विष के बारे में 21 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 475 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) मामले की पोलीस द्वारा जांच सम्पूर्ण करली गई है ।

(ख) पता चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध शीघ्र ही न्यायालय में फर्द जुर्म लगाया जाने वाला है ।

राकेटों का निर्माण

2923. श्री दी० च० शर्मा :

श्री लिंग रेड्डी :

श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तरिक्ष अनुसन्धान के लिये प्रयोग में आने वाला भारत ने निर्मित पहला राकेट जून 1966 तक बन कर तैयार हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो बनाये जा रहे राकेट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या थुम्बा के निकट बेली पहाड़ी पर एक अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्राद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) आशा है कि भारत में निर्मित पहला राकेट इस वर्ष के अंत तक बन कर तैयार हो जायेगा ।

(ख) जैसा कि सदन में पहले बताया जा चुका है, इस राकेट का डिज़ाइन विशेष रूप से ऐसा बनाया गया है कि इससे अधिक उंचाई पर कई प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन किये जायें ।

(ग) थुम्बा के पास बेली पहाड़ी में एक अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्राद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

शिलांग और पासीघाट में नये ट्रान्समिटर

2924. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग और पासी घाट (नेफा) में आकाशवाणी के दो नये ट्रान्समिटर लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक की प्रसारण क्षमता कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) शिलांग और पासी घाट में स्थापित दोनों ट्रांसमीटर अल्पशक्ति मीडियम-वेव के हैं ये अपने अपने केन्द्रों और आस पास के क्षेत्रों में प्रसारण करेंगे ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा

2925. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 29 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1512 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये न्यूनतम अर्हता हाई-स्कूल पास की बजाय हायर सेकेन्डरी पास करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस परीक्षा में बैठ सकने के लिये आयु-सीमा में भी उचित परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो परिवर्तित आयु-सीमा क्या है; और

(ग) क्या आयु-सीमा में परिवर्तन किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन/आवेदन पत्र भी प्राप्त हुए ह और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग): राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भरती होने की शैक्षणिक योग्यता तथा आयु-सीमा में परिवर्तन करने के प्रश्न पर अब भी विचार हो रहा है; और इस बारे में जो भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनके उत्तर में स्थिति बतादी गई है ।

प्रतीरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

2926. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के इंजीनियरिंग निदेशालय ने देशीय डिजाईन की इंजीनियरी की अनेक वस्तुएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन किन विशिष्ट वस्तुओं के डिजाईन बनाये गये तथा कौन कौन सी वस्तुएं तयार की गयी; और

(ग) इस से अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) देशी डिजाइन की वस्तुओं में दोनों प्रकार के भंडार की वस्तुएं शामिल हैं, पहली तो वे जिन्हे आर० डी० (इंजीनियर्स) ने सेनाओं के लिए डिजाइन करके विकसित किया है और दूसरे देशी उत्पत्ति के अन्य भंडार जो नागरिकों के इस्तेमाल के लिए ह और जिन्हे परिवर्तित करके सेना की आवश्यकताओं के उपयुक्त बनाया गया है । इन उपकरणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

(1) मोटर टग के लिए 5 टन 4 पैंहियों वाले ट्रेलर ।

(2) कतिपम रडारों के लिए एअर कन्डिशनिंग यूनिट ।

(3) टोह नाव 3 मैन ।

(4) बोट असाल्ट न्यूमैटिक ।

(5) माइन प्राडर ।

(6) पम्पिंग सेट, इनमें फ्लैक्जेबिल, ड्राइव, इंजिन तथा पैकलेस ग्लाण्डस् भी शामिल हैं ।

(7) पंच टेप तथा ऐन्सीलरीज इनमें लेइंग यूनिट, रीवाइंडिंग यूनिट, स्पूल्स तथा ऐन्टी ट्वीस्टर यूनिट भी शामिल हैं ।

(ग) जितनी मात्रा में उपर्युक्त वस्तुएं इस समय बनाई जा रही हैं यदि वे उसी मात्रा में आयात की जाती तो उनकी लागत एक करोड़ रूपय से भी अधिक होती ।

बर्मा में मिजो शरणार्थी

2927. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में मिजो शरणार्थी बर्मा चले गये हैं तथा टिड्डिम के सीमावर्ती नगर में बस गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : प्राप्त सूचना से यह प्रतित होता है कि मार्च 1966 के दूसरे सप्ताह में लगभग 1,000 मिज़ो बर्मा की सीमा में चले गये।

(ग) सरकार इस से अप्रसन्न है क्योंकि मिज़ो हमारे मित्र राष्ट्र बर्मा के लिये कोई समस्या खड़ी कर सकते है। अतः हमे मिज़ो लोगों के विरूध्द उचित कार्यवाही करने में बर्मा को पूर्ण सहयोग देंग।

बर्मा से वापस आने वाले भारतीयों की आस्तियाँ

2928. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से वापस आने वाले भारतीयों द्वारा बर्मा स्थित भारतीय उच्चायोग की अभिरक्षा में छोड़ी गई आस्तियों का मूल्य क्या है ; और

(ख) इन आस्तियों को वापिस दिलाने मे अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय राजदूतावास की रखवाली में अभी ज़ेवरों की आठ पेटियां हैं।

(ख) ज़ेवरों के मालिक किसी भी समय अपने-अपने ज़ेवरों की मांग कर सकते हैं।

Libraries in Indian Missions Abroad

2929. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Indian Missions abroad having libraries and out of them which of the libraries have Indian Librarians and which have foreigner Librarians ;

(b) the reasons for not having Indian librarians where there are foreign librarians and whether the question of sending Indians to replace foreigners as librarians there is under consideration ; and

(c) if so, the time by which such arrangement would be made ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) A list of Indian Missions abroad having libraries is enclosed [**placed in Library, See No LT/5920/66**] . The Indian Missions at the following stations have librarians to look after their library work :

Brussels, Bonn, Colombo, Cairo, Kathmandu, Lagos, London, New York, Nairobi, Ottawa, Paris, Tokyo, Tehran and Washington.

Except for Kathmandu, where we have an India-based librarian, the posts of librarians are local and are held by locally employed incumbents.

(b) & (c). It has not been possible to send India-based librarians to all our missions abroad as the expenditure, mostly in foreign exchange, on India-based officials, is much larger than on locally employed staff. We have, however, agreed in principle to send India-based librarians but this will be done as soon as more funds are available and the foreign exchange position improves.

प्रतिरक्षा संस्थानों में अपर डिविजन क्लर्कों तथा लोअर डिविजन क्लर्कों का अनुपात

2930. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संस्थानों में अपर डिवीजन क्लर्कों और लोअर डिवीजन क्लर्कों के अनुपात में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस ढंग से ; और

(ग) क्या ये आदेश आयुध कारखानों सहित सभी प्रतिरक्षा संस्थानों में लागू होंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० यासस) : (क) तथा (ख) : उच्च श्रेणी क्लर्कों तथा निम्न श्रेणीं क्लर्कों के अनुपात में आर्मी आर्डनेन्स कोर में तथा इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्ज कोर में उसे 1 : 4 बढ़ाकर 3 : 8 में परिशोधित कर दिया गया है, और आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं। आर्डनेन्स फैक्ट्रियों समेत अन्य रक्षा सिव्बन्दियों में उच्च श्रेणी क्लर्कों और निम्न श्रेणी क्लर्कों के अनुपात में परिशोधन का प्रश्न विचाराधीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री अ० क० गोपालन का स्वास्थ्य

अध्यक्ष महोदय। मुझे डा० राम मनोहर लोहिया तथा अन्य सदस्यों से श्री अ० क० गोपालन के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना मिली है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं दोपहर के बाद जानकारी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य दोपहर के बाद दिया जायेगा।

श्री हेम बरूआ : (गोहाटी) : किस समय ?

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य कितने बजे दिया जायेगा ?

श्री नन्दा : पांच बजे।

अध्यक्ष महोदय : क्या चार बजे ठीक रहेगा ?

श्री नन्दा : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य 4 बजे दिया जायेगा।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में
RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

बस्तर की घटना

अध्यक्ष महोदय : मुझे बस्तर की घटना के बारे में छः स्थगन प्रस्ताव और 18 ध्यान दिलाने-वाली सूचनाएं मिली हैं। निसंदेह यह मामला गंभीर तथा अविलम्बनीय महत्व का है। किन्तु मैं नहीं समझता कि यह केन्द्र का उत्तरदायित्व है। अतः डा० लोहिया इस सम्बन्ध में मेरा समाधान करें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, the responsibility of the Central Government is clear under Articles 244, 47, 256 and 353 of the Constitution of India in regard to the events leading to the killings at Bastar, under Article 244, the provisions of the fifth schedule apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes and these provisions envisage extension of the executive power of the Union Government to those Areas. These areas come under Scheduled Areas.

I would like to draw the attention of the House to the fact that the fast by the ruler of Baster from 13th to 20th March, 1965 was undertaken for the sake of the people of that area who were facing conditions of starvation and greatly agitated over the question of compulsory procurement levy.

It is a case of complete violation of Article 47 of the Constitution of India. The circumstances in which Shri Bhanj Deo was found dead show that there was a complete failure of law and order and the Union Government has failed in its obligation to give directions under Article 256. I would also like to draw the attention to Article 353 relating to emergency because there is emergency in the whole country.

श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, बस्तर एक आदिम जातीय क्षेत्र है और वहां 80 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या आदिम जातियों की है। आदिम जाति के लोग श्री भंजदेव को अपना नेता मानते थे। वे लोग काफी समय से केन्द्रीय सरकार को कई अभ्यावेदन भेज चुके थे, जिनमें उन्होंने स्थानीय सरकार के विशेष रूप से वहां के जिला प्रशासन, पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की थीं। उन लोगों ने अनाज की कमी तथा अनाज की अनिवार्य वसूली के विरूद्ध भी शिकायत की थी। इन सब बातों के बावजद भी केन्द्रीय सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिये तथा राज्य सरकार को सचत करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। यदि सरकार सावधानी से कार्य करती, तो शायद यह दुःखद घटना नहीं होती। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कुछ दिन पहले भूतपूर्व महाराजा भंजदेव ने राष्ट्रपति तथा गृह-मंत्रालय के पास अभ्यावेदन भेजा था, जिसमें उन्होंने यह आशंका व्यक्त की थी कि उनका जीवन खतरे में है तथा स्थानीय अधिकारी उन पर तथा भूख हड़ताल करने वाले उनके साथियों पर हमला करना चाहते हैं। इन सब बातों के होते हुए भी भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

आदिम जाति के लोगों का संरक्षण, कल्याण तथा उन्हें उन्नत बनाना केन्द्रीय सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है। चूंकि केन्द्रीय सरकार इस उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रही है, इसी लिये यह दुःखद घटना हुई। वे लोग भूख से पीड़ित हैं और उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता है। किन्तु फिर भी उनसे अनिवार्य वसूली की गई। इन सब बातों की की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था, फिर भी इन भूख से पीड़ित लोगों तथा राज्य सरकार के बीच इस मामलों को निपटाने के केन्द्रीय सरकार असफल रही, जिसका परिणाम यह दुःखद घटना है। इस घटना में न केवल महाराजा ही, अपितु कई असहाय आदिम जाति के लोग मारे गये।

सरकार इस बात को यह कह कर नहीं टाल सकती है कि शान्ति और व्यवस्था कायम करना स्थानीय सरकार का उत्तरदायित्व है। इसी बात की आड़ लेकर किसी भी विरोधी दल के सदस्य को समाप्त किया जा सकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभा को इस मामले पर विचार करने और सरकार को उत्तरदायी ठहराने तथा यह सुनिश्चित करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए कि विरोधी दलों के लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जायेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं डाक्टर लोहिया तथा प्रोफेसर रंगा के इस बात का समर्थन करता हूं कि बस्तर में जो कुछ हुआ है उसके लिये भारत सरकार उत्तरदायी है।

जब तक बस्तर के महाराजा जीवित रहे, भारत सरकार उन्हें सभी प्रकार यातनाएं देती रही। अब उनकी मृत्यु भी प्रायः निन्दनीय परिस्थितियों में ही हुई है। अतः भारत सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि बस्तर में इन घटनाओं के क्या कारण थे। यह एक गंभीर मामला है, विशेषकर जब कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि यह मिजो अथवा नागा विद्रोह के समान था।

बस्तर के महाराजा को सरकार की ओर से निजी थैली मिलती थी। राजा महाराजों की श्रेणी के किसी व्यक्ति को समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है और जब उस व्यक्ति की मृत्यु इस प्रकार की परिस्थितियों में हो तो सरकार ही उसके लिये उत्तरदायी समझा जाता है। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार आदिम जातियों के सम्बन्ध में अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने में असफल रही। अतः इस मामले पर सभा में चर्चा किया जाना आवश्यक है।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर-नगर) : यह एक दुःखद घटना है। राज्य सरकार इस मामले में जांच करने के लिये केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त कर चुकी है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : A Supreme Court Judge should be appointed to go into the matter.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : No Judge from Madhya Pradesh should be appointed to go into this matter.

Shri Bade (Khargone) : He is a friend of the Chief Minister.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : He is a friend of Shri Dwarka Prasad Mishra.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यदि माननीय सदस्य हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हमारे लिये भी उनकी बात सुनना संभव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : यही मैं उनसे कहने जा रहा हूं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Shoot all of us.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी बात सुनें। हम जो कुछ कहना चाहते है, वह हमें नियमानुकूल कहना चाहिए। एक बार में केवल एक ही माननीय सदस्य को बोलना चाहिए। इस तरह एक साथ बोलने से सभा में तथा सभा के बाहर लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कल ही एक राजनयिक व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में मुझसे कहा था। ऐसी बातें सभा के गौरव के लिय शोभनीय नहीं हैं।

श्री हनुमन्तैया : मैं समझता हूं कि इस मामले पर इस समय चर्चा का अवसर दिये जाने से न्यायाधीन मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह ठीक है कि इस घटना से माननीय सदस्यों को बहुत दुःख हुआ है किन्तु उन्हें भावावेश में नहीं बहना चाहिए। माननीय सदस्यों को अपने

[श्री हनुमन्तैया]

तर्क इस विषय की ग्रह्यता तक ही सीमित रखने चाहिए। यह समय मामले के गुण-दोषों पर विचार व्यक्त करने तथा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार पर दोषारोपण करने का नहीं है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं इस मामले पर चर्चा के ग्राह्यता के पक्ष में तीन बातें कहूंगा। पहली बात यह है कि इस सभा में बस्तर के बारे में एक पूर्व उदाहरण उस समय का है जब कि अनुसूचित आदिम जातियों के बारह व्यक्ति पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण मारे गये थे। उस समय उस मामले पर इस सभा में चर्चा करने की अनुमति दी गई थी, यद्यपि यह अनुमति स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं दी गई थी। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री उस समय गह-कार्य मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि मामला गंभीर है और वह उस सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य देंगे। हमें उस समय अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया गया था।

दूसरी बात इसकी ग्राह्यता के पक्ष में यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा था कि वहां विद्रोह जैसी स्थिति है। विद्रोह जैसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह स्थिति को सुधारने के लिये उचित कार्यवाही करें।

तीसरी बात यह है कि देश में इस समय आपातकालीन स्थिति है। आपात काल में यदि स्थिति बिगड़ती चली जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 353 के अन्तर्गत इस स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। किन्तु सरकार ने बस्तर में स्थिति लगातार बिगड़ती रहने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की।

इसके अतिरिक्त बस्तर के लोगों को आदिम जाति के लोग कहा जाता है। यदि वे आदिम जातिय लोग हैं तो क्या हुआ, भारत के नागरिक तो हैं। उन्हें भी जन साधारण की भांति जीवन निर्वाह करने का अधिकार है। उनके हितों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सरकार पर है, जिसमें वह असफल रही है।

यह भारत के लिए गौरव की बात नही है कि यहां कांगो जैसी घटनायें हों। अपने विरोधियों को इस प्रकार समाप्त करने से देश के नाम पर बट्टा लगता है और विदेशों में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर इस सभा में विचार अवश्य होना चाहिए। जनता को इस प्रकार गोलियों से चूनने की सरकार की प्रवृत्ति समाप्त की जानी चाहिए। जहां तक इस मामले विशेष का प्रश्न है, हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच के साथ साथ इसकी विस्तार पूर्वक जांच की जाये।

Shri Bade : Bastar is a Scheduled Area and it is the direct responsibility of the Governor, who is responsible to the Parliament, to look after the interests and welfare of Tribal people. But the Governor failed to perform his duty.

The conditions in Bastar had been deteriorating for the last two or three years. The late Maharaja, Shri Bhanj Deo had sent Memoranda to the Government and President also, which went unheeded inspite of the provisions made in the fifth Schedule of the Constitution of India in this regard. The Chief Minister of Madhya Pradesh considered Shri Bhanj Deo as a hurdle in his way and found an opportunity for his elimination.

The present enquiry which is being instituted is not going to satisfy the people. It should be an enquiry by the Central Government through a Supreme Court Judge or the C.B.I.

The adjournment motion tabled by me is admissible because the whole of Bastar is a Tribal Area.

Shri Lakhmu Bhawani (Bastar) : The Tribal people of Narainpur, Awajmarh, Koyali, Beda areas had no foodgrains and they were starving. They went to the ex-Maharaja of Bastar and complained that they were starving. The Maharaja went on fast from the 13th to 19th March, 1966 in sympathy with tribal people from several places. The local authorities did not make any arrangements for supplying rice etc. to those people in spite of the promises made in this regard. On the other hand, excesses were committed on them for procuring the levy which they could not afford to pay.

The conditions in Bastar had been deteriorating for a long time but the Government completely failed to improve the condition or check it from further deterioration. This is a very serious matter. I would like that the inquiry into this matter should be conducted by the Central Government.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to draw the attention of the House to the facts besides what has been stated by other hon. Members on this matter. The responsibility of the Central Government also attracts provisions of Articles 46, 339(2) and 275 of the Constitution which respectively relate to the promotion of educational and economic interests of the Scheduled Tribes, control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the grants-in-aid paid out of the consolidated fund of India to the States for the welfare of the Scheduled Tribes.

The Governor is also responsible for making regulations for peace and good Government in Scheduled Areas of a State. Besides this, the Ministry of Home Affairs is responsible for the policy and Coordination of all tribal programmes and there is a senior officer of the status of a Secretary for this purpose.

Keeping in view of all these facts the adjournment motion is admissible.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नंदा) : 25 और 26 मार्च को जगदलपुर में हुई घटना से हमें अत्यन्त दु:ख हुआ है और इस घटना में जो कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

माननीय सदस्यों ने इस मामले पर इस सभा में विचार करने की मांग की है, हम यहां पर इस मामले पर विचार करने के लिये तैयार है, यदि ऐसा करना ग्राह्य हो और इसकी अनुमति मिल सके क्योंकि यह सभा संविधान के ढ़ांचे तथा कुछ नियमों के अन्तर्गत कार्य करती है।

इस घटना के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री विधान सभा में पहले ही तीन वक्तव्य दे चुके हैं और उसके बाद इस मामले की जांच करने के लिये केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग नियुक्त कर दिया गया है। मैं इस आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5921/66।]**

यदि इस न्यायिक जांच आयोग की उपपत्तियों से यह स्पष्ट हो जाये कि केन्द्रीय सरकार अपना उत्तरदायित्व निभा सकने में असफल रही है, तो हम निश्चय ही इस उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले लेंगे।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : चूंकि राज्य सरकार ने कहा है कि यह विद्रोह है, अत : यह एक राजनैतिक प्रश्न बन गया है जिस पर हमें इस सभा में चर्चा करने का अधिकार है।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आग्ल भारतीय) : यदि वास्तव में बस्तर एक अनुसूचित क्षेत्र है, तो केन्द्रीय सरकार भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत अपने प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट सकती है। इस समय जब कि देश में आपातकाल की स्थिति है तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री का कहना है कि यह विद्रोह था। केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता था कि वह राज्य सरकार को समुचित आदेश देकर समय पर कार्यवाही करती। इस मामले की जांच इस प्रकार की जानी चाहिए जिसमें सारी जनता को विश्वास हो। यदि केन्द्रीय सरकार इस मामले में प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नहीं लेती है, तो वह अपने उत्तरदायित्व से विमुख होती है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : क्या गृह-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कड़ा रूख अपनाने के लिये कहेंगे ? इस मामले की जाच करने के लिये गृह-कार्य मंत्री को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को मनोनीत करना चाहिये।

श्री स्वैल (आसाम–स्वायत्तशासी जिले) : इन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में यह स्वीकार कर लिया गया है कि इस बारे में राज्य सरकार को अनुदेश देना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। वहां खाद्य के बारे में आन्दोलन चल रहा था और वह कई दिन से अनशन पर थे। क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात को अब मान लिया है और क्या उसने इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार को कोई अनुदेश दिये हैं ? इस क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारने राज्य सरकार को कोई अनुदेश नहीं दिये हैं अत : वह अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही है।

श्री नाथ पाई : महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह क्षेत्र अनुसूचित है अथवा नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्राधिकृत प्रकाशन में रायपुर डिवीजन में बस्तर को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है और यह कहा है कि संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्य को इस सम्बन्ध में अनुदेश देगा।

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार ने कोई अनुदेश अथवा निदेश देना आवश्यक नहीं समझा। एक बात तो यह है। दूसरी श्री फ्रेंक एन्थनी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जांच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के बजाये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के बारे में केन्द्रीय सरकार अनुदेश दे सकती है। ये दोनों बाते अलग-अलग हैं। एक तर्क तो यह है कि जब यह अनुसूचित क्षेत्र है, तो उस स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश न दिये जाने पर अथवा निदेश देना उचित न समझे जाने पर क्या वह अपने कर्तव्य निभाने में असफल रही है। दूसरा यह कि क्या केन्द्रीय सरकार को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं और क्या वह इस आशय के निदेश जारी करेगी।

Shri Prakash Vir Shastri : When the State Government is itself a party to the whole affair, the responsibility of the Centre certainly comes in.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी हो सकती है। मै यह भी मानता हूं कि केन्द्र उस उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रहा है किन्तु यह महत्वपूर्ण 'किन्तु' है. . . . . **व्यवधान**। किन्तु किसी न्यायाधिकरण के प्रति, जिसमें एक वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, हमारी भावना किसी भी प्रकार अनुद्भावपूर्ण नहीं होना चाहिये। प्रश्न यह है : तथ्य क्या थे ; कारण क्या थे और उत्तरदायी कौन था ? इन सभी बातों की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जायेगी। किन्तु उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के प्रति ऐसे दोषारोपण किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार भी उचित नहीं हैं। हमारे देश में न्यायपालिका

के प्रति यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है। मैं नहीं समझता कि कभी भी यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का एक पार्टी के रूप में होने के कारण उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उचित निर्णय नहीं दे सका। न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जा चुकी है। काफी आदर तथा सम्मान के साथ मुझे यह निवेदन करना है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अनिर्णित मामले को स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री नन्दा : मेरे सहयोगी ने कहा है 'इस बात को मानते हुये भी'। यह सच है कि यह अनुसूचित क्षेत्र है और यह भी सच है कि आपात कालीन शक्तियों के अन्तर्गत निदेश देने की शक्ति प्राप्त है। किन्तु ऐसे हालात अथवा स्थिति कहां है जिसमें निदेश दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम इस सम्बन्ध में व्यापक चर्चा नहीं कर सकते। इस प्रकार और इस ढंग में चर्चा करना कोई लाभदायक प्रतीत नहीं होता। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री एक वक्तव्य दे सकते हैं और सदस्य स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछ सकते हैं। वक्तव्य के पश्चात् इस बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या इस मामले पर चर्चा करना भी आवश्यक है अथवा नहीं।

श्री नन्दा : इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये मुझे समय की आवश्यकता है।

Dr. Ram Manohar Lohia : The Home Minister may be asked to make a statement tomorrow at 3 O'clock.

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय के लिये कल तीन बजे वक्तव्य देना संभव होगा? यदि वह यह महसूस करें कि समय पर्याप्त नहीं है, तो परसों 3 बजे वह वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री नन्दा : जी हां, परसों।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि जानकारी प्राप्त करने के लिये समय की आवश्यकता है, अतः मंत्री महोदय परसों 3 बजे वक्तव्य देंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा-परिक्षा प्रतिवेदन तथा विनियोग लेखें, प्रतिरक्षा सेवाएं

संसदीय कार्य विभाग तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं श्री सचिन्द्र चौधरी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवाएं, 1966 **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5912/66।]**

(दो) प्रतिरक्षा सेवाओं के वर्ष 1964-65 के विनियोग लेखे तथा उनका वाणिज्यिक परिशिष्ट। **(पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5913/66)**

इलेक्ट्रोनिक्स समिति का प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं श्री हाथी की ओर से इलेक्ट्रोनिक्स समिति 1966 के प्रतिवेदन (सुरक्षा वर्ग के मागों को छोड़कर) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिय संख्या एल० टी० 5914/66।]**

प्राग टूल्स का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री अ० म० थामस : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5915/66]**

कनाडा द्वारा दी जाने वाली खाद्य सहायता के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : FOOD AID BY CANADA

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कनाडा सरकार ने पहली अप्रैल, 1966 से आरम्भ होने वाले कनाडा के वित्तीय वर्ष 1966-67 में भारत सरकार को 560 लाख डालर की खाद्य सहायता देने के अपने आशय की घोषणा की है। कनाडा द्वारा पहले दी गयी 150 लाख डालर की आपात खाद्य सहायता और इस राशि से लगभग 10 लाख टन कनाडा की गेहूं की सप्लाई होगी और इससे आने वाले महीनों में कठिन खाद्य स्थिति का मुकाबला करने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। मैं भारत सरकार की ओर से कनाडा सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कठिन स्थिति को दूर करने के लिए हमें उदार एवं सामयिक सहायता प्रदान की है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : शुक्रवार को मैंने कहा था कि खाद्य तथा कृषि मंत्री बंगाल की खाद्य स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दें। क्या आप उनसे वक्तव्य देने के लिये कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बात सुन ली है।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला हैद्राबाद सम्बन्धी उप-समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि प्राक्कलन समिति के सभापति, श्री अ० चं० गुह ने अध्यक्ष द्वारा निर्देशों के निर्देश संख्या 101 के खंड (9)(ख) के अन्तर्गत प्रतिरक्षा मंत्रालय की हैदराबाद स्थित प्रतिरक्षा अनुसन्धान और विकास प्रयोगशाला के बारे में प्राक्कलन समिति की उप-समिति का प्रतिवेदन मुझे दे दिया है। उप-समिति ने अपनी 16 मार्च, 1966 की बैठक में इस प्रतिवेदन का अनुमोदन किया। उप-समिति का विचार था कि प्रतिवेदन में कुछ वर्गीकृत जानकारी है जिनका प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है, इस लिये सभापति महोदय ने यह इच्छा व्यक्त की है कि प्रतिवेदन को गोपनीय माना जाय और यह अनुरोध भी किया है कि यह प्रतिवेदन सरकार के पास पहुंचा दिया जाय। तदनुसार मैंने यह प्रतिवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रतिरक्षा मंत्री के पास पहुंचा दिया है कि इस पर यथा समय की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति के सभापति को बता दिया जाय।

पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति संबंधी वक्तव्य के बारे में
RE : STATEMENT ON FOOD SITUATION IN WESTBENGAL

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय बंगाल में खाद्य स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं संभवतः कल वक्तव्य दे सकंगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सभी प्रतिवेदन गोपनीय हैं?

सरकारी उपक्रमो सम्बन्धी समिती
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं एयर इण्डिया के सम्बन्ध में सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*
सूचना और प्रसारण मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। इस चर्चा के लिये नियत 4 घंटे के समय में से 3 घंटे 10 मिनट शेष रहते हैं। मंत्री महोदय को कितना समय लगेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : लगभग 45 मिनट।

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं उन्हें पौने चार बजे बोलने के लिय कहूंगा। अब श्री दि० सी० चोधरी।

S ri D. S. haudhuri (Mathura) : Mr. Speaker, Sir, on Friday last while supporting these demands for grants pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. I had requested for the setting up of a broadcasting station at Mathura as this is the genuine demand of masses. Previously some sort of survey was made in this regard. An early step should be taken in this respect.

[श्री श्यामलाल सराफ पीठासीन हुए
SHRI SHYAM LAL SARAF *in the Chair*]

Radio can play a very important part in increasing our food production through broadcasting useful programmes, educating the farmers in the methods of agriculture. But those programmes should be broadcast by those having practical experience of agricultural operations and not by persons with only theoretical knowredge. At present the persons passing only theoretical knowledge are kept for boadcasting programmes for villages.

The A. I. R. has also been helpful in broadcasting useful programmes for students in Delhi. These programmes should be broadcast for villages where there are only primary schools and where more qualified teachers are not available. Thousand teachers there can be benefitted and they can impart better education to children.

[Shri D. S. Chaudhuri]

I am sure that this Ministry can do much more in the field of education. Immediate attention should be paid in this regard. Broadcasting facilities in primary schools in villages should be provided—so that better education is imparted to students. There is no need of broadcasting programmes for schools in Delhi.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महत्व को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री का पद मंत्रिमंडल के मंत्री के स्तर का होना चाहिये।

प्रसारण के बारे में चन्दा समिति ने अविचारपूर्ण आयोजन पर, जो कि हमारे प्रसारण की एक मुख्य बात है, अपनी निराशा व्यक्त की है क्योंकि कार्यक्रम सामान्यतया नीरस होते हैं। समय समय पर आकाशवाणी के विरुद्ध बड़ी गंभीर शिकायतें आयी हैं। आकाशवाणी ने विदेश से आयात किये गये 100 किलोवाट के ट्रांसमिटर को लगाने के बारे में लगभग दो वर्ष खराब कर दिये हैं, ऐसी बातें अब और न होने दी जायं।

विदेशों के लिये प्रसारणों के बारे में आकाशवाणी का रिकार्ड बडा खेदजनक है। आकाशवाणी विदेशों में एक सप्ताह में केवल 160 घंटे प्रसारण करता है जब कि चीन 937 घंटे प्रसारण करता है और क्यूबा और उत्तरी कोरिया जैसे छोटे छोट देश भी सप्ताह में 200 घंटे प्रसारण करते हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के उपकरण बहुत कम शक्ति वाले ह और कलकत्ता से होने वाले प्रसारण ठीक से सुने नहीं जाते है। विदेशी प्रसारणों की तो बात ही क्या। हमें विदेशों से ट्रांसमीटरों के आयात किये जाने के बारे में बताया जाता है लेकिन जिस प्रकार से यह सब कार्य हो रहा है उससे यह पता नहीं चलता है कि भविष्य में प्रगति हो सकेगी। ऐसा लगता है कि रूसी ट्रांसमिटर 1967 के अन्त तक भी नहीं लग पायेगा और यह 1968 में ही चालू हो सकेगा। क्यों कि सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय नहीं कर सकी है कि हमें रूस से किस प्रकार का ट्रांसमीटर मंगाना चाहिये। आकाशवाणी के कार्य करने के ढंग का यह भी एक पहलू है।

आकाशवाणी से प्रसारित किये जाने वाले समाचार साम्राज्यवादी प्रचार के द्योतक होते हैं। इसका हमारे देश की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा। आकाशवाणी को यह सुनिश्चित करना है कि हमारी मित्रतापूर्ण और स्वतंत्र विदेश नीति के क्रियान्विति में कोई बाधा न आए।

आकाशवाणी में लगभग 2000 स्टाफ आर्टिस्ट हैं जो बहुत योग्य और प्रतिभाशाली हैं। लेकिन उनकी सेवा स्थायी नहीं है। इन लोगों को भारत में कहीं पर भी स्थानांतरीत किया जा सकता है लेकिन उनके कन्ट्रैक की अवधि बहुत थोड़ी होती है। उनकी सेवा को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है और उनको कोई पेन्शन नहीं दी जाती है। उनके लिये कोई मजूरी बोर्ड नियुक्त नहीं किया गया है। उनका वेतन बहुत थोड़ा है। उनके संघ को मान्यता नहीं दी गयी है।

हाल ही में आकाशवाणी के एक उच्च कोटि के तबला वादक श्री चतुर लाल का देहान्त हो गया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद पता चला कि उनको 'ख' श्रेणी के कलाकारों की श्रेणी में रखा गया और इस लिये उनके तबला वादन का एक भी रिकार्ड तैयार नहीं कराया गया। देश के कलाकारों के साथ, जो हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, ऐसा व्यवहार वांछनीय नहीं है।

संगीत सम्मेलनों का आयोजन करना अच्छा है लेकिन आकाशवाणी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नहीं ढूंढती।

प्रशासन में बड़ा भेदभाव है। तो क्यो ओलम्पिक में कमेंटरी करने के लिये उस व्यक्ति को भेजा गया जिसने कभी भी अपने देश में खेलकद के बारे में कमेंटरी नहीं की थी। वहां पर किसी योग्य व्यक्ति को भेजा गया होता।

आकाशवाणी की और भी कई असफलताएं हैं। जब लाल बहादूर शास्त्री का निधन हुआ तो कोई रूपक कार्यक्रम तैयार नहीं था। बी०बी०सी० ने अपनी विश्व सेवा में बड़े ही मार्मिक और प्रभावी रूपक का प्रसारण किया। "वेकेंट चेयर' नामक रूपक जिसका प्रसारण आपात-काल में किया गया था, मनोविज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल अनुपयुक्त था। एक वह व्यक्ति जिसकी आवाज बड़ी अच्छी है जो बहुत अच्छा न्यूज रीडर बन सकता है, यह जरूरी नहीं है कि वह अच्छा रूपक लेखक भी हो। आकाशवाणी द्वारा जीवन को हथेली पर रख कर शत्रु की प्रस्थापनाओं मे घुस जाने की झूठी कहानी का प्रसारण किया गया। इस प्रकार की बातों से हमारे देश की प्रसिद्धि को बट्टा लगता है।

जहां तक तकनीकी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, आकाशवाणी में काम करने वाले इंजीनियर निराश हैं। हम अपने ही इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। जो काम हमारे इंजीनियर कर सकते हैं हम वही काम विदेशियों से करवा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि उन्हें अपने इंजीनियरों पर विश्वास है या नहीं और वह उनका अपमान करना नहीं चाहते। साथ ही आकाशवाणी में अपना ही सामान रखने का केन्द्रीय विभाग होना चाहिये।

सरकार को चाहिये कि टेलीविजन के बारे में बतावे। उसे चाहिये कि टेलीविजन को प्राथमिकता दे। हमें टेलीविजन को शीघ्र चालू करना चाहिये। टेलीविजन को सरकार द्वारा ही चालू किया जाना चाहिये।

सरकार समाचार-पत्र उद्योग में एकाधिकार को रोकने में असफल रही है। ऐसा दिखाई देता है कि प्रेस के विकास और एकाधिकार विरोधी गतिविधियों में संतुलन के लिये सरकार कोई लम्बी अवधि की योजना बनाने के लिये उत्सुक नहीं है। दिवाकर समिति ने पृष्ठ मूल्य दर और विज्ञापन की अधिकतम सीमा के बारे में सिफारिश की है। परन्तु इसको कार्यान्वित नहीं किया गया। पृष्ठ मूल्य दर को लागू नहीं किया गया है। यही कारण है कि समाचार-पत्र वाले दूसरे लोगों से अधिक धन कमा रहे हैं।

प्रकाशन में बहुत कमियां हैं। गांधी जी के ग्रंथों को अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किया जा रहा है। क्या कारण है कि इन्हें दूसरी भाषाओं में प्रकाशित नहीं किया जा रहा। मंत्रालय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के ग्रंथों का भी प्रकाशन कर रहा है। हमें कहा गया है कि नेहरूजी के ग्रंथों से प्राप्त होने वाली "रॉयल्टी" उनकी पुत्री को मिलेगी। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है विशेषकर जब कि यह "रॉयल्टी" देश के प्रधान मंत्री को मिलने वाली हो। यह नहीं होना चाहिये।

स्वतंत्र दल के उप नेता ने अपने भाषण में कहा है कि टेलिविजन को सरकार के स्वतंत्र रहना चाहिये। इस से दिखाई देता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विरुद्ध किस प्रकार कार्य हो रहा है। वास्तव में यह कार्य सरकार के ही हाथ में होना चाहिये क्योंकि सरकार ही जनता के लिये उत्तरदायी है।

इस लिये सरकार को कुछ मामले ठीक करने चाहिये। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह अपना कार्य बिना केबिनेट का सदस्य होते हुए भी ऐसे ढंग से करे कि हम उनकी प्रशंसा कर सकें।

श्रीमती मैमूना सुल्तान (भोपाल) : सभापति महोदय देश में टेलीविजन चालू करने के कार्य की बहुत लोगों ने प्रशंसा की है। इसका चालू करना एक क्रांतिकारी कदम है। इसके चालू करने से जनता का ज्ञान और कृषि, शिक्षा तथा दूसरे क्षेत्रों में लोगों का ज्ञान बढ़ने में सहायता मिलेगी। वास्तव में यह ऐश्वर्य के लिये नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश के लिये तो यह आवश्यक है। चन्दा समिति ने सुझाव दिया है कि टेलीविजन को एक निगम के सुपुर्द किया जाना चाहिये। परन्तु विकास की प्रारम्भिक अवस्था में सरकार को इस पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिये। बाद में इसे निगम के हवाले किया जा सकता है ताकि लोगों का भला हो।

[श्रीमती मैमूना सुल्तान]

और कुछ कहने से पूर्व मैं ताशकन्द समझौते का जिक्र करूंगी। इस समझौते के अनुच्छेद 4 का पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। हम तो इसे पूरी तरह कार्यान्वित कर रहे हैं। वहां के नेताओं के भाषण जैसे कि राष्ट्रपति अयूब खां तथा श्री भुट्टो के बयानों से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ताशकन्द भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रचार साधनों के बारे में हमें अपनी नीति को नया रूप देना चाहिये। लोगों को बिल्कुल सच्ची बात बतादि जानी चाहिये।

प्रसारण के बारे में सरकार ने महत्व नहीं दिया है। योजना आयोग ने भी इस के लिये बहुत कम राशि नियत की है जो कि इस समय की स्थिति के अनुकूल नहीं है। सरकार को इस पर शीघ्र ध्यान देना चाहिये।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मंत्री केबिनेट स्तर का मंत्री होना चाहिये। पहले तो यह सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे व्यक्ति के हाथ में था जोकि देश के उपप्रधान मंत्री भी थे। आकाशवाणी एक एसा संगठन है जिस में कई तरह से निराशा तथा असंतोष फैला हुआ है। उदाहरणार्थ, (प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव) कार्यक्रम कार्यपालों) के लिये, जो कार्यक्रमों के आयोजन तथा निष्पादन करने के कार्य के लिये अधिकांश रूप से जिम्मेदार हैं, पदोन्नति के अवसर नहीं हैं। पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों में वृद्धि की जानी चाहिये और युक्तियुक्त समय में पदोन्नति के लिये अवसर देना चाहिये।

प्रसारण के बारे मुझे यह कहना है कि हमारा आन्तरिक प्रसारण तो बहुत ही अच्छा है परन्तु विदेशों के लिये जो प्रसारण हैं उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन में बड़े प्रभावहीन कार्यक्रम होते हैं। विदेशों के लिये हमारे प्रसारणों के बारे में इस बात को हमें समझना है कि विदेशों के लिये प्रसारणों का ढंग आन्तरिक प्रसारणों के ढंग से अलग होना चाहिये। अरब देशों को यह बताने से कोई लाभ नहीं हुआ है कि पाकिस्तान एक धर्म पर आधारित राज्य है क्योंकि यह देश स्वयं धर्म तथा शासक तंत्र पर बने हुए हैं। हमें उन्हे और ही तरीके से अपनी ओर लाना है।

अन्त में मैं आप से प्रार्थना करुंगी कि भोपाल जैसे स्थानों को और अधिक ध्यान देना चाहिये। वहां एक आध घंटे का कार्यक्रम उर्दू में होना चाहिये क्योंकि वहां के लोगों के साथ हमें उन्ही की भाषा में मेल करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंग।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : मैं ने बार बार कहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन होना चाहिये। वर्तमान मंत्री स्वयं बहुत अनुभवी तथा योग्य हैं और उन्हें ही मंत्रिमंडल का सदस्य बना देना चाहिये। यह मेरी प्रार्थना प्रधान मंत्री से है।

कोई दस वर्ष पूर्व प्रैस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि समाचार पत्रों में एकाधिपत्य समाप्त करना चाहिये। लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।

देश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना को बढ़ावा देना प्रेस के तीन बड़े बड़े व्यक्तियों के हाथ में है। इसमें शक नहीं कि प्रेस की स्वतंत्रता कम नहीं की जानी चाहिये परन्तु प्रेस को इतनी आजादी भी तो नहीं दी जानी चाहिये कि समाजवाद की नीतियों तथा कार्यक्रमों में ढील पड़े। इस लिये ऐसी मनोवृत्तियों को समाप्त करना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय श्री दिवाकर समिति के निवेदन पर गम्भीरता से विचार करेंगे। सरकारी विज्ञापनों रेलवे विज्ञापनों तथा राज्य निगमों के विज्ञापनों से होने वाली आय का 50 प्रतिशत छोटे समाचारपत्रों को मिलना चाहिये। एक वित्तीय निगम बनाया जाना चाहिय जो प्रेस की मशीनों तथा अखबारी कागज आदि के खरीदने के मामले में इन समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता दे सके। यदि इस देश में संसदीय लोकतंत्र को बनाये रखना है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि छोटे समाचारपत्रों का विकास हो तथा प्रेस के एकाधिकार को समाप्त किया जाये।

जो हिन्दी भाषा आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत की जाती है वह सरल होनी चाहिये ताकि अधिक लोग इसे समझ सकें। उर्दू को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। उर्दू मजलिस कार्यक्रम के समय को बढ़ाया जाना चाहिये।

यह अच्छा हुआ कि विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे होते हैं वरना पहले तो लोग रेडियो सीलोन को ही सुनते थे। अब विविध भारती के कारण आकाशवाणी के प्रसारणों को भी लोग सुनते हैं। यह कार्यक्रम अन्य आकाशवाणी के केन्द्रों से भी जारी किया जाना चाहिये।

आकाशवाणी के समाचार विभाग की आलोचना की गई है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसके सुधार की काफी गुंजाइश है, फिर भी न्यूजरील कार्यक्रम बहुत उत्तम है। बड़े बड़े आदमियों से वार्ता बहुत ही अच्छी रही है, इसे और अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए। और जितना सम्भव है इस का विस्तार भी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विदेश प्रचार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए। इससे मितव्ययता होगी और जो मंत्रालय के साधन है उनका भी उपयोग हो सकेगा। विभिन्न मंत्रालयों को प्रशासन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत होने चाहिए। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि नये मंत्री इस कार्य को काफी सफलता से कर पायेंगे।

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor) : The importance of Information and Broadcasting Ministry is clear from the fact that Sardar Patel himself became the incharge of this department. The experienced persons like Shri Dewakar was also the Minister with this portfolio. I am very sorry that the required importance is not given to this Ministry in the present times. The Radio is a powerful medium of Propaganda. We are not in a position to use it properly as there is no high power transmitter in the Country. This is a great need of the day. The trouble is that Political considerations have made it difficult to get a high power transmitter early.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Let me also state a good deal of stress is laid on English in the All India Radio. It is very sad that sufficient attention is not given towards the Indian languages. The attitude towards Indian languages is very indifferent. I want to stress that more time should be allowed to features in Indian languages. The time of English features should be reduced. I shall also like to urge that features such as 'Focus' used to be prepared by high salaried people, should not be prepared by giving daily payment.

It is a matter of great regret that the time of broadcasts meant for foreign countries are being gradually reduced. It is very bad and wrong decision. I am also very sad to find that the selection of news for bulletins is not done in a proper way. Even in English bulletins certain news are not given proper and due importance. Hindi bulletins should also be issued from all stations. They should be given precedence over English bulletins. It is also very necessary that the time of English ulletins should be curtailed. In this connection I may also urge that Nation Services Unit should be created.

News in Hindi should be prepared independently, specially the news pertaining to Vidhan Sabhas of Hindi speaking States should be originally in Hindi. I would like to urge that the encouragement should be given to news agencies like U.N.I. Encouragement should also be given to Indian newspapers. There should be uniform policy in the matter of giving Government advertisements. Preferential treatment should not be given to any newspapers in giving Government advertisements.

श्री काशीनाथ दुरै (अरूरपुकोट्टरै) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। मंत्रालय का कार्य बहुत ही शानदार रहा है और आशा करनी चाहिए कि मंत्रालय का स्तर बढ़ा दिया जायगा। जम्मू तथा काश्मीर रेडियो ने शानदार काम किया है। मैं जन सम्पर्कमास कम्यूनीकेशन संस्था की स्थापना का स्वागत करता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को जो अच्छी बातें कर रही है उनको जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि उससे आम लोग अच्छी प्रकार से अवगत हो सके। गांवों में प्रचार कार्य करने के लिए कुछ ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देना चाहिए। पंच वर्षीय योजनाओं की भावना तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों से लोग परिचित हो इसके लिए पर्याप्त प्रचार कार्य किया जाना चाहिए।

अंग्रेजी में काफी साहित्य प्रकाशित किया जाता है। उसका कुछ लाभ नहीं होता। अच्छा हो कि इसका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो। राष्ट्रीय एकता कार्यक्रमों को आदिम जाति लोगों में भी लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। नागाओं के इस विचार को दूर किया जाना चाहिए कि वे भारत के अलग तत्वों से है। शास्त्रीय संगीत की ओर भी कम ध्यान दिया जा रहा है। शास्त्रीय संगीत, प्राचीन साहित्य तथा सभ्यता पर अधिक जोर देना चाहिए। मेरा विचार यह है कि इस दिशा में जानकारी बढ़ने से निश्चय ही राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी।

इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन यह है कि सरकार को दिल्ली की शंकर अकादमी और रामलिंग मिशन जैसी संस्थाओं के कार्य कलापों का प्रचार करना चाहिए। भाषा के बारे में भी पूरी तथा पूर्ण जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। साम्प्रदायिक एकता को बनाये रखने के लिए भी रेडियो से प्रचार होना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि साम्प्रदायिक एकता बनाने के लिए विभिन्न संस्कृतियों में जो बातें आपस में मिलती हैं उनका रेडियो पर प्रचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अनुशासन योजना को भी लागू किया जाना चाहिए।

विदेशी प्रचार को तेज करना चाहिए वृत्तान्त चित्रों का निर्माण होना चाहिए। भारत में अल्प संख्यक लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके प्रलेख चित्र तैयार किये जाने चाहिए। इन चित्रों को विदेशों में झूटा प्रचार रोकने के लिए लाभदायक ढंग से दिखाया जाना चाहिए। मुस्लिम देशों में हमारे देश के मुस्लिम धर्म के पवित्र स्थानों को दिखाना चाहिए। तटस्थ देशों से हमें अपने सम्बन्ध मजबूत करने चाहिए। संयुक्त अरब गणराज्य तथा भारत के बीच सांस्कृतिक तथा सामाजिक आदान प्रदान भी होना चाहिये।

जवानों को बढिया से बढ़िया सामग्री तैयार करके दिखाई जानी चाहिये ताकि उनका जोश बना रहे।

कुछ चलचित्रों के नाम ऐसे होते हैं जिनसे तानाशाही की बू आती है। ऐसे चलचित्रों की ओर चलचित्र उद्योग का ध्यान दिलाया जाना चाहिये। कलाकारों को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिये।

समाचारपत्रों में ऐसा साहित्य तथा कार्टून होते हैं जो कामुकता उत्पन्न करते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए इस तरह की चीजों को बन्द किया जाना चाहिये।

भक्ति गीतों की तरफ और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इस कार्यक्रम में सुधार करने हेतु कुछ और अधिक राशि खर्च की जानी चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : All-India Radio should not be made an avenue of political activity. The way the election of the leader of the Congress Party was broadcast from the AIR it could better be termed "All-India Radio". The shortcomings and defects in this Department should be removed without any further delay.

Here is an example of the slow speed with which AIR works. The news of Shri Lal Bahadur Shastri's death in Tashkent at 2 O'clock at night was broadcast from the AIR not before 5 O'clock in the morning whereas the radio stations of foreign countries started making this broadcast as early as 3-4 O'clock in the morning. I hold the special correspondent of AIR who accompanied Shri Shastri to Tashkent responsible for delaying the broadcasting of the news of Shri Shastri's death.

An important newspaper of the Capital reported that the appointment of the Director-General has been made on the basis of influence. His report in the Sangeet Natak Academy was not up to the mark and he has been appointed on the present post despite bad report and inexperience.

Some officers in the Information and Broadcasting Ministry have direct links with the Communists who supply every information to outsiders.

Two newspapers had been banned by the State Government of Punjab during the recent disturbances there. It does not behove democracy. The Central Government should see that the particular papers are not penalised for no particular fault of theirs.

In publishing a booklet entitled "Pledge Renewed" foreign paper was used. It contained the speech of Shrimati Indira Gandhi delivered on the 26th January. 5000 copies of this booklet were got printed for distribution at the Jaipur Session of the Congress. Such a blatant misuse of foreign exchange cannot be excused particularly when the country is short of foreign exchange.

1965 diary was much inferior to the diary supplied in 1966. It is very strange that the contract for the 1965 diary was given to a 'B' class contractor of Bombay and whose tender was not received in time. Misappropriation of Rs. 50,000 has taken place in this case. The tourists' Head Office returned those diaries as they were not considered fit for supply to foreign countries.

Similarly 5,000 copies of an album for being sold at the New York fair were got printed on the insistance of the Director inspite of the objection of the Finance Ministry based on the acute shortage of foreign exchange. But actually even 50 copies could not be sold and the country suffered a loss of Rs. 25,000. Such cases should not be condoned.

A particular song or songs should not be repeated day in and day out in the "Vividh Bharati" programme of the AIR. The money being spent on commercial advertisements on Radio Ceylon by Indians should be diverted to "Vividh Bharati" by banning these advertisements on Radio Ceylon. By this step, we shall be saving a large amount of money from going to a foreign country.

Like Jaipur-Bikaner and Bikaner-Udaipur radio stations combined broadcasts Should be made from Jaipur-Kotah radio stations and Harauti, a famous dialect of Rajasthan, should be given a prominent place in such broadcasts.

Hindi Teleprinter Operators should be given the same scales of pay as are given to the English Teleprinter Operators.

In the matter of publication of books in English, Hindi and other regional languages during the period 1959 to 1965 the number of English publications has increased considerably whereas the number of Hindi and other language

[Shri Onkar Lal Berwa]

publications has gone down very much. This is very shameful. We should not be so much indifferent and unfair towards Hindi This is something which cannot be tolerated.

We should not take in hand the programme of introducing television in the country at this stage. First we should try to achieve self-sufficiency in the matter of foodgrains. Food is more important for us because a large percentage of our population is not getting enough to eat as yet. Schemes which affect the poor man adversely should not be given priority.

The recommendations of the Diwakar Committee should be given preference over the recommendations of the Chanda Committee. The small newspapers should be given all encouragement so that they may reach the farmers even in the remotest villages.

The timings of the summer broadcasts for farmers should be changed suitably so that they may listen to them when they return to their homes after finishing their work in the fields.

The political and any other sort of corruption prevalent in the AIR should be enquired into and removed.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : For the proper functioning of democracy it is essential that illiteracy should be removed and public opinion should be enlightened. All India Radio has a vital role to play to educate the general masses of the country who are mostly illiterate and are unaware of the Government's programmes and policies. But it is very sad to observe that our broadcasting programmes have not been able to acquaint the people of this country with the policies of the Government. It is because more emphasis is being placed on Engligh in the matter of broadcasts as well as publications of periodicals etc.

In a poor country like India television would not be of any advantage. Instead the programme of distributing community listening sets should be given all encouragement. In the course of the next five years every village should be provided with a community listening set.

The press in this country is dominated by the proprietors and editors are not free to express their own ideas quite independently. They have to toe the press magnates' line of thinking. In the newspaper field independent press advisory committees should be promoted and encouraged.

Our publicity machinery has not been able to make much headway. In these circumstances, private institutions devoted to the cause of spreading education among the masses should be given all encouragement and an organisation should be set up with that purpose in view.

The Hindustan Samachar Samiti should be given more and more encouragement and if any new news agency of this kind is in the offing it should also receive encouragement from the Government.

In Darbhanga Maithili is spoken by the majority of the people. Maithili has its own characteristics. The people of Darbhanga have been pleading for the setting up of a radio station in Darbhanga. Government should fulfil this demand and do justice to the Maithili dialect.

I welcome the setting up of the Institute of Mass Communication. It should be further expanded and more and more Indians should be trained to man this Institute.

Films should be used as a medium of education. There should be a library of such educational films where from educational institutions can take those films.

A committee should be set up to go into the question of censorship of films. This committee should lay down criteria for censorships of films. This will help in creating healthy atmosphere in the country and teenagers would be saved from the adverse effects of obscene films. It would be better if the production of films which may affect society adversely is banned.

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, चन्दा समिति के हाल के प्रतिवेदन के अनुसार इस देश में प्रत्यक 1000 व्यक्ति के पीछे 500 रेडियो सेट, 1000 दैनिक समाचार पत्रों की प्रतियां, 20 सिनेमा सीटें तथा 20 टेलीविजन सेट होने चाहियें जब कि यहां पर प्रत्येक 1000 व्यक्ति के पीछे केवल 80 रेडियो सेट, 11 समाचारपत्रों की प्रतियां, 6 सिनेमा सीटें हैं और कोई भी टेलीविजन सेट नहीं हैं।

आकाशवाणी के कार्यक्रम बिल्कुल प्रभावहीन होते हैं और वे भी लोगों तक पहुंच नहीं पाते। जहां तक प्रादेशिक भाषाओं के विभिन्न युनिटों द्वारा समाचार प्रसारित करने का प्रश्न है हिन्दी यूनिट में तो काफी कर्मचारी हैं, उसमें श्रेणी एक और दो के अधिकारी हैं, अनुवादक हैं और घोषक भी हैं; परन्तु तामिल और तेलुगू जैसी अन्य भाषाओं के यूनिटों में कर्मचारियों की बड़ी कमी है; वहां केवल एक ही व्यक्ति अनुवादक और घोषक का काम करता है। प्रादेशिक भाषाओं के एककों के साथ सौतेली मां का सा सलूक नहीं किया जाना चाहिये और उनको भी वे ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिये जो कि हिन्दी एकक को सुलभ हैं। भारत की 80 प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है और उन तक पहुंचने के लिये हमें उस भाषा का प्रयोग करना चाहिये जिसे वे सरलता से समझ सकते हैं।

विविध भारती का एक दिन का कार्यक्रम लगभग 13 घंटे होता है और उसमें से दक्षिण की चारों भाषाओं के लिये कुल मिला कर केवल 1 3/4 घंटे का समय दिया जाता है। इस छोटे से कार्यक्रम में भी घोषणाएं हिन्दी में की जाती हैं। ये घोषक प्रादेशिक भाषाओं को नहीं समझते हैं और गलत घोषणाएं करते हैं। यही कारण है कि दक्षिण के लोग सीलोन रेडियो को सुनना अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि वहां के दो घंटे के कार्यक्रम में घोषणाएं बहुत अच्छी तामिल में की जाती हैं। चन्दा समिति के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि प्रसारण केवल उसी भाषा में होने चाहिये जिस भाषा को सुनने वाले क्षेत्रों के लोग अच्छी तरह समझते हों।

विविध भारती के 26 प्रसारण केन्द्र हैं और उन सब केन्द्रों में हिन्दी में प्रसारण किये जाते हैं। देश के विभिन्न भागों के लोग हिन्दी नहीं समझते हैं। अतः इसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिये।

हिन्दी के समाचार बुलेटिन अब मूल रूप से हिन्दी में ही तैयार किये जाते हैं। क्या यह सुविधा तामिल और तेलुगु यूनिटों को नहीं दी जा सकती ?

प्रकाशन विभाग द्वारा 31 दिसम्बर, 1965 तक अंग्रेजी में 16, हिन्दी में 11 और उर्दू में 10 आपात संबंधी पुस्तिकाएं तयार की गई थीं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये

[श्री सेझियान]

पुस्तिकाएं अन्य भाषाओं में क्यों तैयार नहीं की गई। क्या आपात केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये ही है। यदि ऐसा है तो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से आपात को समाप्त किया जाना चाहिये।

सूचना और प्रसारण विभाग की ओर से तीन पत्रिकाएं निकाली जाती हैं जिनमें से 2 हिन्दी में हैं और एक उर्दू में है। क्या यह मंत्रालय केवल हिन्दी राज्यों के लिये ही है? अन्य राज्यों के लिये अन्य भाषाओं में पत्रिकाएं क्यों नहीं प्रकाशित की जाती हैं?

वर्ष 1965 में केन्द्रीय नाटक मण्डली ने 103 प्रदर्शन किये और उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये विभागीय नाटक मण्डली ने 138 प्रदर्शन किय। तामिलनाड और तेलुगु क्षेत्रों के लिये कोई विभागीय नाटक मंडली नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार का ही ध्यान रखा जाता है।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में नृत्यलीला, रामलीला और कृष्णलीला के 30 प्रदर्शन किये गये जबकि अन्य क्षेत्रों और भाषाओं के लिये ऐसी किसी लीला का आयोजन नहीं किया गया।

1965 में प्रेस इन्फमशन ब्यूरों की हिन्दी में 7,747 प्रेस-प्रकाशनियां जारी की गई जब कि तेलुगु में केवल 1,936 प्रेस प्रकाशनियां जारी की गई। मुझे हिन्दी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, परन्तु प्रश्न यह है कि अन्य लोगों को भी यह जानने का अधिकार है कि हमारी सरकार को और देश में क्या हो रहा है।

"संसदीय समीक्षा" कार्यक्रम, पहले आकाशवाणी के एक पूर्ण-कालिक कर्मचारी द्वारा तैयार किया जाता था। अब यह कार्यक्रम एक अल्पकालिक कर्मचारी द्वारा तैयार किया जाता है जो कि एक विदेशी समाचार सेवा का स्थायी प्रतिनिधि है। क्या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति का आकाशवाणी में आना वांछनीय है जिसका संबंध एक विदेशी समाचार सेवा से है?

1963 के अन्त तक इस मंत्रालय द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को कुल मिलाकर 30·80 लाख रु० दिया गया है जिसमें से लगभग 95 प्रतिशत रु० अकेली भारत सेवक समाज को ही मिला है। भारत सेवक समाज के अधिकांश प्रकाशन गिरे हुए स्तर के होते हैं। यदि आप भारत को बचाना चाहते हैं तो भारत सेवक समाज को समाप्त कीजिये और जो अनियमितताएं बताई गई हैं उनको दूर कीजिये।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : श्रीमन, प्रतिवेदन में यह दिया गया है कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों की किस्म तथा अन्तर्वस्तु को एक नया रुख दिया गया है। यदि आप समाचार बुलेटिन को सुनें तो आपको उसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आयेगी। समाचार बुलेटिन में मंत्रियों, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के भाषणों का भार श्रोताओं पर लादा जाता है। जहां तक प्रसारण मंत्री का संबंध है, वह जहां भी बोलते हैं, उनके भाषण का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। इन भाषणों में हमें क्या समाचार मिलता है? अधिकारी मंत्रियों को खुश करना चाहते हैं; मंत्री प्रधान मंत्री को खुश करना चाहते हैं और प्रधान मंत्री न जाने किसको खुश करना चाहते हैं।

मुझे मंत्रियों या राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति से कोई द्वेष भाव नहीं है। उनके भाषणों के लिये समाचार दर्शन कार्यक्रम का समय बढ़ाया जा सकता था "मंत्री भारती" के नाम से और कार्यक्रम चालू किया जा सकता है। परन्तु समाचार बुलेटिन में केवल समाचार ही होने चाहिये और कुछ नहीं होना चाहिये। भाषण पृथक शीर्षक के अन्तर्गत आने चाहिये ताकि लोगों को पता चल सके कि समाचार और भाषण में क्या अन्तर है।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र को उत्तर भारत अथवा हिन्दी भाषी क्षेत्र के लिये एक प्रादेशिक केन्द्र में बदल दिया गया है। आपको स्मरण रखना चाहिये कि आकाशवाणी केवल उत्तर भारत का ही नहीं है, कारण, सारे भारत का है। वास्तव में यह एक राष्ट्रीय रेडियो होना चाहिये। समाचार बुलेटिन के 15 मिनट के समय में से कम से कम 5 मिनट तो 16 राज्यों को समाचारों को मिलने ही चाहिये। हम देखते हैं कि केन्द्र के समाचारों को भी दिया जाता है जिनका कोई महत्व नहीं होता जबकि राज्यों के महत्वपूर्ण समाचारों को भी छोड़ दिया जाता है।

जो अधिकारी सम्दान करते हैं, उनको वास्तव में निष्पक्ष होना चाहिये। उनके विचार स्वतन्त्र होने चाहिये और उनको अपने से ऊंचे लोगों को खुश करने का सिद्धान्त नहीं अपनाना चाहिये।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, on the 24th instant the Prime Minister gave a message to the on the air. In English news bulletiin it was reported like this : "There came violence in Bengal, Punjab and for away Mizo Hills." Now what is meant by *far away Mizo Hills* ?

What impression will these words create in the minds of the people of Mizo Hills ? I would request the hon. Minister to think over this matter and admit the mistake.

Now I want to tell you how the bureaucrats of All India Radio are sucking the blood of the artists.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shri Hiren Mukerjee gave the example of Chatur Lal. Chatur Lal played a great role in bringing international fame to the Tabla music of India. Chatur Lal died at the age of 49. While the bureaucrats of All India Radio are getting salaries of Rs. 2,000, Chatur Lal was getting only Rs. 300—350 after a service of 20 years. After his death no gratuity or pension has been arranged for his family so far. The condition of his family is precarious. No record of Chatur Lal has been preserved in All India Radio to comendable him.

The general condition of the staff artists of A.I.R. is deplorable. No conveyance is provided for their coming to the Radio Station. To do justice to these people a wage board should be appointed.

Now I would like to say something about the corruption in the various Departments under the Ministry. There is clerk in the Audio Visual Publicity Department who is running a firm in his father's name. He is engaged in adopting these advertisements. He assigns all the contracts of the Department to his firm. Another man, who is a technical Assistant, is running a block-making factory. He gets all the blocks prepared in his factory. An amount of Rupees one lakh has been paid to one Paresh Nath within the last two years for these jobs for which the Department has already got employees. In this case the enquiry is being held by those officers who are personally involved in the case. An independent inquiry should be held in this case.

Then again Rs. 30-40 thousand has been spent upon sending diaries to foreign countries by air. Due to delay diaries of the value of Rs. 40-50 thousand could not be sold. The contract had been given to the Company on the understanding that

[Shri Kishan Pattnayak]

the diaries would be supplied in time, but these were supplied late. The Government has taken no action against that Company.

At present there is no plan as to the places at which the transmitting stations should be established in the country. The equipment of one transmitter is lying idle for the last two years because no decision has been taken as to the place where it should be established. Some plan should be formulated in this regard.

The Engineering Section personnel have not been given any powers for incurring expenditure and even for petty expenses they have to take the sanction of the bureaucrats. The hon. Minister should attend to these things.

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : उपाध्यक्ष महोदय नये मंत्री का हम स्वागत करते हैं। अच्छा होता यदि उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाता क्योंकि इस मंत्रालय की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं।

क्षेत्र प्रचार एक संगठन है जो कि सारे देश में फैला हुआ है। चीनी आक्रमण तथा हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष में इस संगठन ने बहुत अच्छा कार्य किया था। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा योजना प्रचार कार्य कैसा किया जा रहा है, इसका मूल्यांकन करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी मैं उसका सभापति था। अकेली सरकार इस कार्यक्रम को दूर दूर के गांवों में नहीं पहुंचा सकती है। अतः यदि सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं मिल कर इस कार्य को करें तो लोगों में अच्छा प्रचार होगा। इस संबंध में हमारी उपपत्तियां ये हैं कि वर्तमान सरकारी अभिकरणों की संख्या अपर्याप्त है। इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। देश में इस समय गैर-सरकारी सहयोग की जो क्षमता उपलब्ध है उसका उपयोग नहीं किया गया है। अधिकांश राज्यों में जिला स्तर से नीचे कोई प्रचार व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र प्रचार की दिशा में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अभिकरणों को पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये।

हमने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि भारत सेवक समाज द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें भाग लेने के लिये और अधिक संगठनों को कहा जाना चाहिये। हमने अपने प्रतिवेदन में एक सूची दी है और सिफारिश की है कि इस कार्य में सरकार की सहायता के लिये सूची में दी गई संस्थाओं को भी भाग लेने के लिये कहा जाना चाहिये। क्षेत्र प्रचार एककों के उन मित्रों के प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूं जिन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों का साथ दिया। मुझे आशा है कि सरकार हमारी सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी।

Shri H. C. Soy (Singhbhum) : Mr. Speaker, Sir, I support the demands for grants of this Ministry because the work of this Ministry has been very good as a whole. The performance of the Films Division of this Ministry has won admiration in the international field. The documentary films prepared by the Films Division are a great source of help in bringing about the national integration. It is surprising to note that many obscene things are allowed in foreign films shown in this country while similar things are censored in the Indian films. I hope the Ministry will form a definite opinion about this.

At present there are villages where not a single radio set has been provided so far. On the other hand the hon. Minister is going to introduce television programmes. The time for television programme is not ripe in our country as yet. It is good, if we conduct research in our own country regarding television.

The Radio Station at Ranchi should be made more powerful with a view to broadcasting industrial news of the surrounding industrial areas from this centre.

In the regional languages centres more and more time should be allotted to regional languages without increasing the present allocation of time for Hindi and English programmes.

The latest documentary films are not shown in the rural areas while in urban areas they are shown. This anomaly should be removed.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पाकिस्तानी और चीनी आक्रमण के दौरान आकाशवाणी के कलाकारों ने जो सराहनीय कार्य किया उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशो पर क्या कार्यवाही की गई है। मुझे बताया गया है कि उनके ठेके का नवीकरण किया जा रहा है। मेरे सामने श्री बृहस्पति का उदाहरण है। उनका हाल ही में 12 वर्ष 26 दिन के लिये ठेके पर भारतीय संगीत के मुख्य उत्पादक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठेके को केवल डाक्टरी कारणों पर ही मुअत्तिल किया जा सकता है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि उन सभी स्टाफ आर्टिस्टों के संबंध में भी, जिन्होंने दस वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, इसी प्रकार के ठेके होने चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री बेरवा ने महानिदेशक के संबंध में उल्लेख किया। हमारे लिये यह बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे व्यक्ति को, जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने तीन बार अस्वीकार किया, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

स्टाफ आर्टिस्टों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर दिये जाने चाहिये।

माननीय मंत्री को स्टाफ आर्टिस्टों की स्थायी बनाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये। उन के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिये। उन पर भी सभी श्रमिक विधियां लागू की जानी चाहियें।

इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि की व्यवस्था की जायेगी। उस आश्वासन का क्या बना? इन्दिराजी तथा केसकरजी द्वारा दिये गये आश्वासन पूरे किये जाने चाहियें। मैं मंत्रालय को उसके अच्छे कार्य के लिए बधाई देता हूं।

श्री ल० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : श्री राज बहादुर अच्छे कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है कि वह स्थिति में सुधार करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और यह मंत्रालय मंत्रि-मण्डल के पद के मंत्री के पास होना चाहिये।

इस मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले प्रचार-कार्य के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ करना शेष है। मेरा विचार है कि इस मंत्रालय द्वारा जो प्रचार-कार्य किया जा रहा है, उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। कई समितियां नियुक्त की गई थी। मंत्रालय ने उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया है।

अभी तक हम यह नहीं जानते कि मंत्रालय ने वो कौनसी सिफारिशें स्वीकार की हैं और कौन सी स्वीकार नहीं की जा रही हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोई तालमेल नहीं है। प्रत्येक मंत्रालय अपना प्रचार स्वयं करना चाहता है।

मैं इस मंत्रालय के संगीत नाटक विभाग द्वारा तथा फिल्म विभाग द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा करता हूं। परन्तु समाचार-पत्रों के प्रचार के बारे में मुझे यह कहना है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया

[श्री ल० ना० विद्यालंकार]

ही एकमात्र अभिकरण है जिसकी यह मंत्रालय सहायता करता है परन्तु उसका कार्य अच्छा नहीं है। यह राष्ट्रीय आधार पर नहीं किया जा रहा है। समाचार-पत्रों पर कुछ लोगों का नियंत्रण है।

स्टाफ आर्टिस्टों का सम्मान किया जाना चाहिये और उनको अधिक महत्व मिलना चाहिये। अब स्थिति यह है कि यद्यपि वे पूर्णकालिक कार्य कर रहे हैं तथापि वे स्थायी नहीं किये गये हैं। उनको किसी भी समय सेवा से निकाला जा सकता है। आशा है कि मंत्री महोदय इस विषय की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। यह सुझाव नहीं माना जाना चाहिये कि आकाशवाणी और टैलीविज़न वाणिज्यिक आधार पर चलाये जायें। जिस दिन इनका संचालन वाणिज्यिक आधार पर किया जायेगा, वह दिन एक बुरा दिन होगा। आकाशवाणी और टेलिविज़न सेवा का संचालन करने के लिए वाणिज्यिक निगम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह सभा किसी ऐसे सुझाव का समर्थन नहीं करेगी। यदि प्रचार के साधनों को वाणिज्यिक आधार पर चलाया गया तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री अ० क० गोपालन का स्वास्थ्य

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request him to make a statement in regard thereto :

"The deteriorating health of Shri Gopalan, Member of Parliament and his telegram to the Ministry of Home Affairs."

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्री अ० क० गोपालन की प्रार्थना पर उनकी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसिस, नई दिल्ली में 25 मार्च, 1966 को प्रबन्ध किये गये थे। उनके स्वास्थ्य की आरम्भिक जांच से पता चला है कि उनकी सामान्य स्थिति संतोषजनक है। यह बात सभी जानते हैं कि वह लगभग पिछले पांच वर्षों से मधुमेह से पीड़ित हैं। 29 मार्च को इंस्टीट्यूट में उनके स्वास्थ्य का पुनः परीक्षण किया जायेगा। एक चिकित्सा अधिकारी उनके स्वास्थ्य का परीक्षण प्रति दिन करता है। उसने आज भी उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया है और पता चला है कि उनकी दशा में कोई असाधारण बात नहीं है।

श्री अ० व० राघवन् (बड़ागरा) : आप उन्हें रिहा क्यों नहीं करते।

Dr. Ram Manohar Lohia : I would like to say that the condition of those persons is not good. I would request that detenues, whose age is more than 60, should be released. So long as Shri Gopalan is here in Delhi, he should be given an opportunity to attend the House.

Shri Nanda : Shri Bagri telephoned me that he wanted to see Shri Gopalan. I made the arrangements for the meeting. We pray for his health. He is in very competent hands.

Shri Kishan Patnayak (Sambalpur) **:** I met Shri Gopalan in Dum Dum jail. He has lost thirty pounds in weight. The jail authorities prohibited him to talk to others. My suggestion is that those who are detained for longer periods, should be released on parole for a week or a fortnight after every three or six months.

Shri Bagri : Shri Gopalan lost his weight after my meeting with him. Shri Gopalan told me that he had sent a Calling Attention Notice regarding deaths in Kerala due to Cholera. That notice was interrupted by the police and it could not reach you. I would like to know from the hon. Home Minister whether the telegram received by him contained any reference to parole.

Shri Nanda : Regarding weight, I would like to say that decrease in weight is a part of his treatment. The question of parole depends on the circumstances.

Dr. Ram Manohar Lohia : He has not told whether there is some mention about parole in the telegram.

Shri Nanda : I am prepared to consider over it even without the telegram.

अनुदानों की मांगें—(जारी)
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा होगी ।

Shri J. P. Jyotishi : Mr. Speaker, Sir, I support these demands for Grants pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. There is no doubt that television is a very important medium of mass communication, especially from the educational point of view but we have to see that at the present stage, it is not going to benefit the poor people in the villages of the country. Only the urban people will take benefit from it and not the rural population. In cities where there are colleges and universities, it will mean duplication and triplication. So if television system is introduced keeping in view only the educational factor, then there is need to introduce it first in the rural sector. We have not even so far been able to give radios to all the villages. One radio set should be provided in each village for a number of 500 persons. It is very necessary to have cheap radio sets and they should be made available in villages.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The number of publicity vans meant for exhibiting documentary films in the rural areas is inadequate. It is better if we have jeep cars in places of vans so that the number is increased and more villages are covered.

Better programmes should be broadcast from All India Radio for promotion of emotional and national integration. It should be seen why we cannot have good engineers. Better Scales of pay should be given to them.

श्री बासप्पा (तिपतुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपात काल में इस मंत्रालय ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है लेकिन बहुत कुछ काम अभी किया जाना बाकी है जैसे राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, विश्वभर में ताशकन्द भावना को फलाना, हमारे जवानों और जनता का मनोबल ऊंचा उठाना और उनमें साहस पैदा करना--इस ओर मंत्रालय को काफी प्रयत्न करना होगा। जनता से सम्पर्क सम्बन्धी संस्था (मास कम्युनिकेशन इन्स्टीटयूट) को प्रशिक्षण देने, गोष्ठियों का आयोजन करने और अनुसन्धान के बारे में बड़ा काम करना होगा। इसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना है और आशा है कि यह संस्था अपनी कठिनाइयों पर काबू पा लेगी ।

[श्री बासप्पा]

योजना सम्बन्धी प्रचार के बारे में सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। आकाशवाणी का पुनर्गठन किया जाना चाहिये और उसमें से नौकरशाही प्रवृत्ति, अकुशलता आदि को समाप्त किया जाना चाहिये।

समझ में नहीं आता कि टेलिविजन देखने के बारे में चन्दा समिति ने केवल काहिरा और रोम का ही दौरा क्यों किया। वे अमरीका जैसे देश में क्यों नहीं गये।

सीमाओं को सुदृढ किया जाना है और वहां अधिक शक्ति वाले ट्रांसमिटर लगाये जाने चाहियें। यह बड़ दुख की बात है कि अन्य देशों में हमारे प्रसारण ठीक से नहीं सुने जाते हैं। पाकिस्तान के प्रसारण ठीक से सुने जाते हैं। आकाशवाणी में अच्छे कार्यक्रम और विचार प्रसारित किये जाने चाहियें।

टेलीविजन से जनता का मनोरंजन भी होता है और उनको शिक्षा भी मिलती है। गांवों में तो यह बडा ही आश्चर्यजनक काम कर सकता है क्योंकि इससे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है और इससे देश को बडा लाभ पहुंच सकता है। यदि देश को आगे बढना है तो टेलीविजन की व्यवस्था होनी ही चाहिये। लेकिन इस पर उचित नियंत्रण रखना पडेगा। फिल्म्स डिवीजन में कुप्रबन्ध के कारण कुछ हानि हुई है। चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी में भी हानि हुई है। फिल्म को पुरस्कार देने और उनको सेंसर करने के बारे में शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली अच्छी फिल्मों का विदेशों को निर्यात किया जाये। ताकि उन देशों से हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध सुधरे।

विदेशों में प्रचार के मामले में बड़ी उदासीनता दिखाई गयी है। अमरीका में हर जगह पाकिस्तान का भारत-विरोधी प्रचार चल रहा है और इसके विरुद्ध हमारा कोई प्रचार नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारा राजदूतावास वहां क्या कर रहा है। इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये।

विज्ञापन के बारे में शिकायतें आई हैं कि बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है और प्रचार के लिये सामग्री को अभी तक विज्ञापित नहीं किया गया है।

संगीत तथा नाटक विभाग अच्छा काम कर रहा है। कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिये केवल दो लाख रुपये की सहायता अपर्याप्त है।

Shri Balmiki (Khurja) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the demands for grants pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting and I am happy about the incoming of the Hon. Minister in this ministry. I hope that there will be new changes in this ministry. There have been many committees like Chanda Committee, T.V. Committee and Rural Programme Committee in the ministry which is not a good thing. I want that this ministry should rightly project the image of India, its culture and principles.

It should be seen that in the various activities of different organisations of the Ministry and on A.I.R. Hindi or other regional languages are given their right place.

The complaints in regard to corruption and working of certain departments of the Ministry should be looked into. Our view point should be very clear in all the publicity material. The spirit of Indian in foreign countries should be respected and it should be seen that programmes are broadcast for them so that they do not forget the Indian culture and Indian language.

The ministry should take steps to fight the evil of communalism and to promote national integrity in the country. Audio-visual publicity can help in removal of untouchability. Some literature should be prepared in this respect.

Programmes should be broadcast for the benefit of agriculturists so that more foodgrains are produced and the country becomes self-sufficient.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this ministry has done very commendable work during the present emergency. The Director General of A.I.R. was declared unfit twice. I think there is hand of some minister in his appointment to the post.

There are certain underground communists in A.I.R. who try to disturb the programmes.

The working of Film Censor Board is not satisfactory. Films and posters which are extremely vulgar and which have a very unhealthy effect on the younger generation, students, are allowed to be exhibited. It should be seen that such films and posters are not allowed to be exhibited.

It is surprising that newspapers and magazines publishing obscene literature get sufficient quota. Wherefrom they get this quota ? Last time an assurance was given by the Hon. Minister that the publication of 'Observer' will be banned but no action seems to have been taken so far in this regard. On the other hand nationalist and patriotic newspapers get lesser quota of newsprint. They are also given advertisements in lesser number. The newspapers getting large quantity of newsprint sell that in black market.

The salary of Hindi Editors and Sub-Editors in A.I.R. is lesser in comparison to English Editors and Assistant Editors.

I commend the 'Sansad Sameeksha' broadcast by A.I.R. but the time allotted for this item is much less. The period needs to be increased. The time of Vividh Bharati should be reduced as it is not giving any benefit to masses. In place of vulgar film songs the life-sketch of great men should be broadcast.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता के सम्पर्क बनाने के साधनों का मूल कार्य तथा उद्देश्य देश तथा विदेश में श्रोताओं के समक्ष अपने देश का इसकी बहुमूल्य परम्पराओं और संस्कृति का एक समेकित तथा एकीकृत चित्र खींचना है। इन साधनों का राष्ट्रीय मोर्चे पर आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास परिवार नियोजन और अनाज में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के कार्यों में सहायता देने के लिये प्रयोग करना पड़ता है। इन साधनों के जरिये प्रतिकूल भावनाओं, आशंकाओं तथा अन्ध विश्वास और साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद तथा राज्यवाद की बुराइयों को भी दूर करना पड़ता है। इससे समान आदर्शों और विचारों का प्रचार करना है जैसे (क) लोकतंत्र और लोकतंत्रीय आदर्शों और कार्यों में विश्वास, (ख) धर्म-निरपेक्षता (ग) स्वतंत्रता, न्याय, समान अवसर जिससे अन्तमें समाजवादी समाजवाद की स्थापना हो। इन साधनों के जरीये हमें अपने युवकों को भी कल के लिये तैयार करना है ताकि वे अपनी जिम्मेवारी निभा सकें। हमें संगीत, कला और संस्कृति को भी बढावा देना है। यदि ये उद्देश्य स्पष्ट हों तो इन साधनों के बारे में ऐसी कोई आशंका नहीं रह जायगी कि इन साधनों से वर्तमान सरकार अथवा सत्तारूढ़ दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यदि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के भाषणों को समाचारों में प्रसारित न किया जाय तो देश और विदेश में श्रोतागण किसी विशेष अवसर पर राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा है, वह सुनने से वंचित रह जायंगे।

[श्री राज बहादुर]

जहां तक मंत्रियों की घोषणाओं अथवा उनके द्वारा किये गये उद्घाटनों आदि के बारे में प्रसारण का सम्बन्ध है, इस बारे में प्रसारण तभी किया जाता है जब इन गतिविधियों का कुछ महत्व होता है तथा वर्तमान सरकार और उसके नेताओं का इतना अधिकार इसलिये होता है कि उनके दैनिक कार्यों के बारे में जो नितान्त रूप से न केवल उनके लिये ही परन्तु समूचे राष्ट्र के लिये अत्यावश्यक होते हैं, प्रचार किया जाय। इस बारे में भी शिकायतें आती रही हैं कि संसद-सदस्यों के भाषणों और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषणें को प्रसारित नहीं किया जाता।

"टुडे इन पार्लियामेंन्ट" कार्यक्रम के लिये समय बढ़ाने की मांग की गयी है। मैं भी यह समझता हूं कि संसद की कार्यवाही को कुछ अधिक महत्व देना चाहिये। लेकिन इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश को यह बताना है कि लोकतंत्र में संसद किस प्रकार कार्य कर रही है और संसद में क्या हो रहा है। मैंने महा निदेशक से इस बारे में कहा है कि वह इस बात की जांच करें कि क्या इस कार्यक्रम का समय बढाया जा सकता है।

जहां तक समाचारों का सम्बन्ध है संसार की घटनाओं और राष्ट्रीय घटनाओं का ठीक ठीक चित्रण किया जायेगा।

यह इलैक्ट्रानिक और इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी का युग है। जन-सम्पर्क के साधनों के रूप में टेलीविजन बहुत ही शक्तिशाली साधनों में से एक है। हम नहीं चाहते कि हमारा देश और हमारे इंजीनियर पिछड़े रहें और वे इंजीनियरी के इस क्षेत्र में अमरीका या अन्य देशों का मुंह ताकें। लेकिन हमारे संसाधन सीमित होने से हम इसमें अधिक कार्य नहीं कर सकते लेकिन हम आरम्भ जरूर करेंगे। हम अपने देश को टेलीविजन की सविधाओं से वंचित नहीं रख सकते है क्योंकि कोई नाम मात्र की सरकार भी अपनी कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती है और जन-सम्पर्क के एक ऐसे शक्तिशाली साधन के प्रयोग से अपने आपको वंचित नहीं रख सकती है। हमें भावनात्मक एकता को भी बढ़ाना है। अतः टेलीविजन परम आवश्यक है। यदि धन की व्यवस्था हो गई तो मैं चन्दा समिति की सिफारिशों को फौरन स्वीकार कर लूंगा। अब प्रश्न यह है कि सरकार इसे अपने नियंत्रण में रखे या इसको गैर-सरकारी उपक्रमों को सौंप दिया जाय। इस सारे मामले पर चन्दा समिति का अन्तिम प्रतिवेदन मिलने पर विचार किया जायेगा।

यह कहना गलत है कि टेलिविजन कार्यक्रम प्रभावहीन होते हैं। गत वर्ष टोकियों में टेलीविजन पर शिक्षा सम्बन्धी एक प्रतियोगिता में हमने अपनी टेलीविजन फिल्म का एक कार्यक्रम भेजा था जो सबसे अच्छा रहा और इस पर हमें एक विशेष पुरस्कार मिला। आकाशवाणी पर टेलीविजन पर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में "युनेस्को" ने अपनी रिपोर्ट में बहुत प्रशंसा की है। अभी हमने इस बारे में शुरूआत ही की है। इसका विस्तार होने पर कार्यक्रम रोचक हो सकेंगे। अभी यह केवल एक शिक्षा-साधन है।

यह कहना गलत है कि टेलिविजन सेवा पर, अनुचित धन खर्च किया जा रहा है क्योंकि इससे केवल 700 परिवारों को ही लाभ पहुंचता है। इससे स्कूल के 96,000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचता है जिन्हे टेलीविजन से निदेश मिलता हैं। यहां पर 182 टेली-क्लब है जिन में 20,000 सदस्य इससे लाभ उठाते हैं।

श्री मसानी के एक प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि जब तक सभी सम्बन्धित लोग चन्दा समिति पर अच्छी तरह विचार करने के बाद अपनी राय मुझे नहीं भेज देते मैं अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता।

श्री द्विवेदी की इस शिकायत पर कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, मैं कहूंगा कि उन कार्यक्रमों में सब से अधिक समय दिया जाता है।

यदि हम समस्त भारत की प्रतिशतता को देखें तो मालूम होगा कि अंग्रेजी के कार्यक्रम केवल 3 प्रतिशत ही होते हैं और शेष 97 प्रतिशत कार्यक्रम भारतीय भाषाओं में ही होते हैं।

मैं श्री सेझियान तथा प्रकाशवीर शास्त्री के प्रश्नों के उत्तर में कहना चाहता हूं कि मैं इस समय ठीक आकड़े नहीं बता सकता कि किस भाषा को कितना समय दिया जाता है परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि अंग्रेजी को अधिक समय दिया जाता है।

हमने सहायक केन्द्रों को पूर्ण रेडियो स्टेशनों में बदलने की योजना पहले ही बनाई हुई है।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में मैं कहूंगा कि मुझ से पहले मंत्री महोदय ने जो कार्यवाही की थी उससे इन स्टाफ आर्टिस्टों को वे सभी लाभ प्राप्त हो गये हैं जो कि स्थायी सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। केवल कुछ बातों को हल करना शेष है। जहां तक स्टाफ आर्टिस्टों के लिये नियमित वेतन क्रम बनाने का सम्बन्ध है यह कार्य पहले ही किया जा चुका है। इनको उतना ही महंगाई भत्ता दिया जाये जितना कि सरकारी कर्मचारियों को मिलता है।

दूसरा प्रश्न इन स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देने तथा स्थायी बनाने का है। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। उनकी कार्यविधि की सुरक्षा के बारे में जो अन्तिम आदेश जारी किये गये हैं उनमें यह बताया गया है कि जो लोग कुछ निश्चित समय के लिये कार्य कर लेते हैं उनको लम्बी अवधि के ठेके दिये जायेंगे। मैंने स्टाफ आर्टिस्टों की संख्या को अपनी आवश्यकताएं तथा विचार बताने को कहा है और जब वे मुझे प्राप्त हो जायेंगे तो मैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

आय के बारे में एक बात सामने आई है कि कोई भी स्टाफ आर्टिस्ट अपनी प्रतिभा नहीं खोता है और कभी कभी 60 वर्ष की आयु में उनकी प्रतिभा परिपक्क होती है। ऐसे आर्टिस्टों को जो अपनी प्रतिभा इस आयु तक बनाये रखते हैं उनको इस आयु से आगे भी कार्य करने दिया जायेगा। किसी सदस्य ने कहा था कि इनको दूसरों से अच्छा तथा वरिष्ठ समझा जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश को उन पर गर्व है क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति, संगीत तथा कला को सुरक्षित रखा हुआ है।

यदि वह स्थायी बनना चाहते हैं तो उन को इस बात का एक बार निश्चय कर लेना चाहिये। यदि स्थायी बनाने के सिद्धान्त को मान लिया जाता है तो उनका चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा तथा अन्य कई शर्तों को भी उन्हें मानना होगा। यह सच है कि उनको अनुच्छेद 311 के लाभ प्राप्त हो जायेंगे। परन्तु विचार का प्रश्न यह है कि क्यों वे 58 वर्ष की आयु में सेवा से निवृत्त होना स्वीकार है या उनके लिये 60 या 65 वर्ष की आयु से आगे कार्य करने के लिये विशेष व्यवस्था की जाय। इसलिये इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना है। हम जल्दी से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।

अन्तिम प्रश्न उनके पद के नाम के बारे में है। यदि वे "स्टाफ आर्टिस्ट" के वर्तमान पद के नाम को पसन्द नहीं करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें आर्टिस्ट जैसे अथवा किसी अन्य पदनाम से पुकारा जाये तो हम इस मामले के बारे में निश्चय ही विचार करेंगे। इससे उनके व्यवसाय को गौरव प्रतिबिम्बित होना चाहिये और इससे रेडियो में शेष अन्य लोगों से उन में भेद किया जाना चाहिये।

हमें बाहर से भी आर्टिस्टों को लेना है। हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी हैं जिसे ये लोग आकाशवाणी में कार्य करने को अच्छा समझें। हम आमोद प्रमोद, शिक्षा के लिये कार्यक्रम बनाने का यत्न करेंगे तथा उनको अधिक लाभदायक बनायेंगे। हम पिछड़े हुए, आदिम जातियों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिये अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का यत्न करेंगे।

श्रीमती मैमूना सुल्तान ने ताशकंद समझौते की भावना को बनाये रखने तथा उसका अनुवाद करके उसका रेडियो द्वारा प्रसारण करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। मैं उनसे पूर्णतया

[श्री राज बहादुर]

सहमत हूं। हम जानते हैं कि दूसरा पक्ष ऐसा नहीं करेगा परन्तु हम शांति चाहते हैं और हमें उस महान व्यक्ति को नहीं भूलना है जिसने इस समझौते के लिये अपना बलिदान दिया है। पाकिस्तान के नेता अपने तथा संसार के लोगों को रेडियो द्वारा यह बता रहे है कि भारत उनको समाप्त करना चाहते है और उनके प्रति भारत के विचार अच्छे नहीं हैं। हमें भी रेडियो द्वारा पाकिस्तान के तथा अन्य लोगों को यह बताना है कि हम पाकिस्तान की समाप्ति में रुचिकर नहीं हैं और कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले।

हम न केवल अपने देश के लोगों की जानकारी के लिये परन्तु विदेशों में लोगों की जानकारी के लिये और सांस्कृतिक आमोद प्रमोद के लिये अधिक अच्छे तथा विभिन्न कार्यक्रम बनाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह शिकायत की है कि विदेशों के लिये हिन्दी कार्यक्रमों में कटौती की जा रही है। मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि विदेशों के लिये गुजराती और हिन्दी में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों को छोटा न किया जाये, बल्कि उनका समय उतना ही रहने दिया जाये जितना कि पहले है।

श्री बेरवा ने यह बात उठाई थी कि "आल इंडिया रेडियो" को "रेडियो इंडिया" कहा जाना चाहिये। मैं नहीं जानता कि उनके कहने का ठीक मतलब क्या है। परन्तु हम यह नाम पिछले तीस वर्षों से सुनते आ रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि शास्त्री जी की मृत्यु का समाचार शीघ्रता से प्रसारित नहीं किया गया था। सच तो यह है कि ज्यों ही स्टेशन को चालू करते हैं इस समाचार को प्रसारित कर दिया गया था। हमें यह सूचना दो और तीन बजे के बीच प्राप्त हुई थी और इस की पुष्टि के बाद ही स्टेशन पर कार्य आरम्भ किया जाना था। यह भी सच नहीं है कि शास्त्री जी के सम्बन्ध में कोई रूपक प्रसारित नहीं किया गया था। पहला रूपक, जोकि अपनी किस्म का पहला ही रूपक था, प्रातः-काल 9 बजे प्रसारित किया गया था। परन्तु दुख की बात यह है कि हम में से कुछ लोग इसको सुन नहीं सके और यदि कुछ सदस्य चाहे तो मैं उनको निजी तौर से यह रुपक सुनवा सकता हूं।

यह सच है कि हमारे वैदेशिक-प्रसारणों में शक्तिशाली उपकरणों के अभाव के कारण कुछ त्रुटियां हैं। जैसा कि सभा को अवगत है एक एक हजार किलोवाट के मीडियम वेव के दो शक्तिशाली ट्रांसमीटरों को लगाने की हमारी एक योजना है। इनको 1967 के अन्त अथवा 1968 के आरम्भ तक चालू कर दिया जायेगा। लगभग तभी 250 किलोवाट के शार्ट वेव के दो शक्तिशाली ट्रांसमीटर भी लग जायेंगे। विदेशों के अधिक प्रसारण के लिये 250 किलोवाट के दो अथवा संभवतया चार शार्ट वेव के ट्रांसमीटर लगाने का भी हमारा प्रस्ताव है। हमारा विचार जम्मू और इम्फाल में 50 किलोवाट की क्षमता का एक एक ट्रांसमीटर, रांची, गढ़वाल गोरखपुर, जैसलमेर, दार्जिलिंग डिब्रुगढ़ में 100 किलोवाट की क्षमता का एक एक ट्रांसमीटर, जयपुर, देहरादून, जगदलपुर, इलाहाबाद, वाराणसी में 20 किलोवाट की क्षमता का एक एक ट्रांसमीटर और लेह में 10 किलोवाट की क्षमता का एक ट्रांसमीटर लगाने का है।

स्टाफ आर्टिस्टों के संघ को मान्यता दे दी गई है और इस आशय के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

जहां तक टेलीविजन का सम्बन्ध है समस्त उपकरण जर्मन सरकार ने उपहार में दिया है। इसका मूल्य लगभग 27 लाख रुपये है समझौते में यह व्यवस्था है कि जर्मन इसको हमारे इंजीनियरों के सहयोग से लगायेंगे। जहां तक रूस के उपकरणों को लगाने का सम्बन्ध है, समझौते के अनुसार रूसी केवल सहायता करेंगे और इनको लगाने का समस्त कार्य हमारे अपने इंजीनियर करेंगे। हमें अपने इंजीनियरों पर गर्व है।

गांधी जी के कार्यों से सम्बन्धित एक नियमित कार्यक्रम है। इस सम्बन्ध में हमें मंत्रणा देने के लिये एक सलाहकार समिति है। 2 अक्तूबर 1969 तक महात्मा गांधी का सम्पूर्ण वाङ्मय अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार हो जायेगा और उसी वर्ष गांधी जी का शताब्दी समारोह भी है। जहांतक प्रादेशिक भाषाओं का सम्बन्ध है यह निर्णय किया गया है कि इस बारे जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिये परन्तु फिर भी यहां पर व्यक्त किये विचारों ध्यान में रखते हुए मंत्रणा बोर्ड से इस मामले पर पुनः विचार करने की प्रार्थना की जायेगी कि वह देखे कि इस मामले में केन्द्र कहांतक सहायता कर सकता है।

श्री जवाहर लाल जी के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक सितम्बर 1946 के पहले के कार्य तथा दूसरा इसके बाद के कार्य जब उन्होंने देश के प्रधान मंत्री का पद ग्रहण किया। इस समय में किये गये कार्यों के लिये रायल्टी का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु सितम्बर 1946 के पहले के कार्यों की रायल्टी के प्रश्न पर विधि मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

चतुरलाल के परिवार के लिये नियमों के अन्तर्गत हम जो भी कर सकते हैं हम उसे करने का यत्न करेंगे परन्तु यह कहना ठीक नही है कि आकाशवाणी के पास उनके कार्यसंचालन के रिकार्ड नहीं है। वास्तव में आकाशवाणी के पास चतुरलाल के तबलावादन के कई रिकार्ड हैं।

उर्दू कार्यक्रमों के लिये एक सलाहकार समिति है। हमें उर्दू साहित्य पर बहुत गर्व है। हम उर्दू भाषा का यथासम्भव विकास करना चाहते हैं। हैदराबाद से एक उर्दू समाचार बुलेटिन आरम्भ किया गया है।

यह कहा गया है कि हिन्दी के बुलेटिनों को सरल बनाया जाना चाहिये। इस प्रश्न की पूर्णतया जाँच की जा रही है और इस उद्देश्य हेतु एक समिति भी नियुक्त की गई है। जबतक किसी भाषा की शालीनता में परिवर्तन लाने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं तब तक सन्देह और असंतोष की गुंजायश बनी रहती है। उर्दू को हिन्दी निष्ठा बनाने अथवा हिन्दी को उर्दू निष्ठा बनाने की हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हमने ऐसा करने का यत्न किया तो कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। विभाग को मंत्रणा दी गई है कि वह न केवल उर्दू और हिन्दी अपितु भारतीय भाषाओं के दूसरे प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग करें।

दरभंगा में एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। बृज क्षेत्र के लोगों के लिये भी एक छोटा ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय किया गया है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बृज भाषा के सर्वोत्तम उपलब्ध ज्ञान का उपयोग किया जाये। जहांतक अवधि का सम्बन्ध है लखनऊ स्टेशन से इस भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। परन्तु यदि विशेष कार्यक्रमों के लिये कोई आवश्यकता है तो उसकी जांच की जायेगी।

निश्चित रूप से हमारी यह नीति रही है कि समाचार पत्रों पर केवल कुछ वर्ग के लोगों अथवा परिवारो का ही एकाधिकार न हो। साप्ताहिक पत्रों सहित हम छोटे सभी पत्रों का अत्याधिक उपयोग कर रहे हैं। विज्ञापन देने के लिये निम्नतम परिचालन सीमा एक हजार रखी गई है। जहांतक वास्तविक रूप से इस्तेमाल में लाई गई जगह का सम्बन्ध है छोटे और मध्यम श्रेणी के पत्रों का भाग 85.4 प्रतिशत है। जहाँतक लागत का सम्बन्ध है छोटे और मध्यम श्रेणी के पत्रों को कुल लागत का 58.8 प्रतिशत धन दिया गया है। जहांतक वर्गीकृत विज्ञापनों का सम्बन्ध हैं प्रतिशत इससे भी अधिक है अर्थात जगह के बारे में 70.7 प्रतिशत तथा लागत के बारे में 50.9 प्रतिशत।

भारतीय भाषाओं की सहायता के लिये हमने प्रेस रिलीजेज, 'फीचर आर्टिकल्स', 'फोटो ग्राफ्स' और 'एबोनोइट ब्लाक्स' की प्रणाली अपनाई है। कुछ सदस्यों ने पृष्ठ मूल्य दर को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस प्रयोजन के लिये तथा समाचार पत्रों के स्वामित्व के मामले में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हैं। प्रेस परिषद

[श्री राज बहादुर]

इन सब मामलों की जाँच करेगी और हमें संविधान में संशोधन करने के लिये इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती द्वारा श्री एम० एल० भारद्वाज के विरुद्ध लगाये गये आरोपों श्री पी० सी० भमत ने जांच की थी परन्तु वे आरोप निराधार सिद्ध हुए । इसलिये श्री चक्रवर्ती के पत्र पर और आगे कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई । सतर्कता आयोग ने भी इस शिकायत को रद्द कर दिया क्योंकि श्री चक्रवर्ती कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके दूसरे मामलों में जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कुछ अधिकारियों के रिश्तेदारों को ठेके दिये गये हैं, निराधार सिद्ध हुआ है परन्तु फिर भी सम्बन्धित अधिकारियों का या तो तबादला किया जा चुका है या किया जा रहा है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने वर्तमान मुख्य निदेशक के विरुद्ध भी काफी कुछ कहा है । इस अधिकारी के साथ दो अन्य अधिकारियों के मामले भी 1965 में आयोग को निर्दिष्ट किया गया था । उन्होंने किसी को भी उपयुक्त नहीं पाया, परन्तु दूसरे यहा निदेशक के चुने जाने तक वर्तमान अधिकार को महानिदेशक के रूप में कार्य करते रहने देने के लिये आयोग सहमत हो गया है अधिकारी को चुनना अब संघ लोग सेवा आयोग का काम है । मैं वर्तमान मुख्य निदेशक का अपनी योग्यता के अनुसार बचाव करूंगा क्योंकि आकाशवाणी में कुछ गलत कार्य होते हैं तो उसके मंत्री जिम्मेदार होगा न कि मुख्य निदेशक ।

सैंसर बोर्ड के बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि वह नियमानुसार अपना कार्य कर रहा है यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो सदस्य उदाहरण सहित ऐसे मामले सभा के समक्ष ला सकते हैं । उनकी जाँच की जायेगी ।

संघर्ष के दौरान जो हिन्दी रूपक प्रसारित किये गये, वे सराहनीय हैं । आशा है कि भविष्य में भी यही स्तर बना रहेगा । रूपकों के लिये सभी प्रतिभाशाली कलाकारों की सेवाओं का लाभ उठाया जायेगा ।

केन्द्र की ओर से इस समय एक लाख सत्रह हजार रेडियो लगाये गये है और राज्य सरकारों तथा अन्य विभागों की ओर से लगभग 83,000 रेडियो लगाये गये हैं । हम इस संख्या में और वृद्धि करने का भी यत्न करेंगे ।]

यद्यपि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सभी सुझावों का यहां उल्लेख नहीं किया है परन्तु वे अवश्य ही ध्यान में रखे जायेंगे । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि अपनी योग्यता और साधनों के अनुसार हम आकाशवाणी तथा अन्य भाषाओं द्वारा जनता की सर्वाधिक सेवा करने का प्रयत्न करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए / *All The cut motions were put to vote and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं / *The following Demands in respect of Ministry of Information and Broadcasting were put and adopted :*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	13,86,000
63	प्रसारण	5,57,77,000
64	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	4,33,11,000
130	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	1,56,51,000

प्रतिरक्षा मंत्रालय

वर्ष 1966-67 के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्न लिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
4	रक्षा मंत्रालय	63,90,000
5	रक्षा सेवाएं सक्रीय स्थलसेना	5,35,13,88,000
6	रक्षा सेवाएं सक्रिय नौसेना	25,81,75,000
7	रक्षा सेवाएं सक्रिय वायुसेना	1,22,86,09,000
8	रक्षा सेवाएं निष्क्रिय	19,91,67,000
114	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,03,33,33,000

श्री कृष्णपाल सिंह (जेसलमेर) : महोदय, मैं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ हुए हाल ही के संघर्ष में अपना जीवन बलिदान किया हैं ।

मेरा निवेदन है कि सेना के तीन अंगों का मुख्यालय एक ही होना चाहिये क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही के संघर्ष में वायु सेना के मुख्यालय में आदेशों को अग्रसर करने में कुछ विलम्ब हो गया था और कार्यवाही बिल्कुल अन्तिम समय में ही सम्भव हो पाई । इसी प्रकार जब अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह को खतरा उत्पन्न हुआ तब भी ऐसा ही हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि सभा में इस समय गणपूर्ति नहीं हैं इस लिये माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

अब सभा कल प्रातः ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित की जाती है

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 29 मार्च 1966/8 चैत्र, 1888 (शक)के ग्यारह बजें तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March 29, 1966/ Chaitra 8, 1888 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि०5—45 लोक सभा/66—28-7-67-600